पंचम माला, खंड 63, अंक 3, गुरुवार, 12 अगस्त, 1976/21 श्रावण, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXIII, No. 3, Thursday, August 12, 1976 Sravana 21, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 63 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—595LSS/76

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3, गुरूवार, 12 अगस्त, 1976/21 श्रावण, 1898 (शक)

No. 3, Thursday, August 12, 1976/Sravana 21, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference . . .	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWER TO QUESTION	1—17
तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 46 और 48 से 50	Starred Questions Nos. 41 to 46 and 48 to 50	
प्रश्नों के लिखिक उत्तर	WRITTEN ANSWER TO QUESTION	17—107
तारांकित प्रश्न संख्या 47 और 51 से 60	Starred Questions Nos. 47 and 51 to 60	
अतारांकित प्रश्न संख्या 294 से 329, 331 से 360, 362 से 410 और 412 से 458	Unstarred Questions Nos. 294 to 329, 331 to 360, 362 to 410 and 412 to 458	
सभा पटल पर रख गए पत्र	Papers laid on the Table	107—113
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	113
क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र विधेयक——	Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Bill . .	114
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	114
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	
पटसन कारखानों के कथित बन्द हो जाने तथा कच्चे पटसन के मूल्य में गिरावट आना	Reported Closure of jute mills and fall in price of raw jute . .	114—121
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukherjee . .	114—117
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhaya .	114—121

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
केन्द्रीय और अन्य सोसायटियां (विनियमन) विधेयक--	Central and other Societies (Regulation) Bill	121—122
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee;	121—122
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence	122
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	122
65वां प्रतिवेदन	Sixty-fifth Report	
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill	122—140
विचार करने का प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Joint Committee	
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma	122—123
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	123—124
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	124—125
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	125—126
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	126—127
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	127—128
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	128
खण्ड 2 से 98 और 1	Clauses 2 to 98 and 1 .	129—140
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	129—140
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	131—140
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	140
आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और	Statutory Resolution re-Disapproval of Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance and	
आन्तरिक सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक	Maintenance of Internal Security (Second Amendment) Bill	140—145
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to consider	
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	140—143
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmnanda Reddy	143
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	143
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	144
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	144
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	
62वां प्रतिवेदन	Sixty-second Report	145

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरूवार, 12 अगस्त, 1976/21 श्रावण, 1898 (शक)

Thursday, August 12, 1976/Sravana 21 (1898) (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को श्री पी० सी० अदियन के दु:खद निधन के बारे में सूचना देनी है जिनका 69 वर्ष की आयु में 7 अगस्त, 1976 को एन० एस० एस० मेडीकल मिशन अस्पताल, पांडलम, ज़िला एलेपी में स्वर्गवास हो गया।

श्री पी० सी० अदियन वर्ष 1969-70 के दौरान केरल के अडूर निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य थे। वह सर्वप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और ट्रावनकोर विधान परिषद् तथा ट्रावनकोर-कोचीन विधान परिषद् के सदस्य रह चुके थे। बाद में 1960—65 के वर्षों के दौरान वह केरल विधान परिषद् के सदस्य रहे। वह हरिजनों की उन्नति के लिए काम करते रहे और अपने गृह राज्य में हरिजनों के लिए सहकारी समितियों और कल्याण स्कूलों के गठन कार्य में लगे रहे।

हम इस मित्र की मृत्यु पर गहन दुख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार के प्रति समवेदना व्यक्त करने में यह सभा मेरे साथ है।

सभा दु:ख प्रकट करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़ी हो।

(तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।)

(The Members then stood in silence for a short while.)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध-व्यवस्था में भाग लेना

*41. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में उद्योग की प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों द्वारा भाग लेने की योजना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) मजदूर संघ सुदृढ़ होकर एकता से इसमें शामिल हो इस उद्देश्य के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि योजना को सफल बनाया जा सके ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता संबंधी योजना को देश भर में सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ लागू किया जा रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के 472 एककों ने या तो इस योजना को लागू कर दिया है या फिर इसे लागू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि विभिन्न राज्यों में जिन एककों ने इस योजना को लागू कर दिया है, उनकी अनंतिम संख्या 924 है।

(ख) आपात स्थिति के बाद स्थापित किए गए द्विपक्षीय शिखर निकायों ने श्रमिकों की सहभागिता की योजना जैसे महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में एक सीमा तक संयुक्त ट्रेड यूनियन दृष्टिकोण उत्पन्न किया है। राष्ट्रीय शिखर निकाय ने इस योजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया तथा उन्होंने नियोजकों के तथा श्रमिकों के संगठनों से सभी एककों में इसे शीघ्र लागू करने की सिफारिश की।

श्री राजा कुलकर्णी : वक्तव्य में कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के 472 एककों ने इस योजना को या तो कार्यान्वित कर लिया है या ऐसा करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है। इन आंकड़ों की जांच की जानी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि केन्द्रीय सरकार के पास इतने उपक्रम नहीं हैं।

इसी प्रकार राज्यों के मामले में भी यह स्पष्ट नहीं है कि 924 की संख्या में गैर-सरकारी उपक्रम शामिल हैं या नहीं। लेकिन यह आम धारणा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने श्रमिक सहभागिता के कार्य में अधिक उत्साह नहीं दिखाया है। क्या श्रम मंत्री गैर-सरकारी उद्योगों में भी इस कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे ?

मैंने अपने प्रश्न में योजना की प्रगति के बारे में पूछा है। क्या इस योजना के लागू किए जाने से उत्पादन बढ़ा है और औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य को कम्पनी और एकक के बीच अंतर को जान लेना चाहिए। एक कम्पनी के कई राज्यों में एकक हो सकते हैं। इसलिए 472 एककों का मतलब 472 कम्पनियां नहीं हैं। इस संख्या में खनन क्षेत्र के 247 एकक, निर्मित क्षेत्र में 188 एकक और रक्षा, डाक और तार, नोट छापने का कारखाना, सेक्योरिटी प्रेस, रेल कर्मशालाएं आदि विभागीय उपक्रमों में 37 एकक आते हैं। मैं सभी एककों के नाम भी बता सकता हूं लेकिन मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता।

गैर सरकारी क्षेत्र में श्रमिक सहभागिता का कार्य औद्योगिक और शॉप फ्लोर स्तर पर चल रहा है। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मैंने जांच की है। वहां कार्य सन्तोष-जनक हुआ है। इस योजना के कार्यान्वित किए जाने के बाद उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। मैं आंकड़े नहीं दे सकता लेकिन निश्चित रूप से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि योजना के लागू होने के बाद निश्चित रूप से सुधार हुआ है ?

श्री राजा कुलकर्णी : मंत्री जी ने औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार का जिक्र नहीं किया। क्या योजना के लागू होने के बाद से रोजगार, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि के मामले में प्रबन्धकों के पारम्परिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन हुआ है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : शॉप फ्लोर परिषद् और संयंत्र परिषद् के कृत्य श्रमिकों की सहभागिता योजना में दिए गए हैं। इस योजना को भारत सरकार ने संकल्प के माध्यम से घोषित किया था। जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों का प्रश्न है यह बात कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों पर भी निर्भर हैं।

शॉप फलोर कौंसिल तथा प्लांट कौंसिल उन उद्देश्यों तथा जिम्मेवारियों से सम्बन्धित हैं जिनकी परिभाषा भागीदारी योजना में की गई है । औद्योगिक सम्बन्धों, विशेषकर सरकारी क्षेत्र में सुधार हुआ है और बहुत कम कार्य दिवस खोये गए हैं।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जायंट स्टाक सेक्टर में क्या कोई सुधार हुआ है क्योंकि बहुत से चीनी जैसे जायंट स्टाक कारखानों में उत्पादन में गिरावट आ रही है। सभी कारखानों के शॉप फ्लोर स्तर पर श्रमिकों को भागीदार नहीं बनाया गया हैं । क्या राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन निकट भविष्य में इन समस्याओं पर विचार करने के लिए बुलाया गया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरी समझ में यह नहीं आता है कि माननीय सदस्य का जायंट स्टाक से क्या तात्पर्य है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : गैर सरकारी क्षेत्रों के चीनी कारखानों से।

श्री रघुनाथ रेड्डी : चीनी के जैसे मौसमी कारखानों में, सहकारी क्षेत्र को छोड़कर, कार्यान्वयन की प्रक्रिया अच्छी नहीं है। हमने प्रबन्ध स्तर पर कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का ज़िक्र नहीं किया है, फिर भी कुछ सहकारी चीनी कारखानों ने कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया है ।

राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्बन्ध में मैं राज्य वार स्थिति का मूल्यांकन कर रहा हूं ताकि हमें स्थिति का पूरा पता लग सके और हम इस मामले पर विस्तार पूर्वक विचार कर सकें। सारी स्थिति का पता लगाने के बाद ही हम श्रम मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि राष्ट्र के शिखर निकाय, जिसमें मज़दूर संघों का प्रतिनिधित्व है, ने इस योजना के कार्यान्वयन की सराहना की है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मज़दूर संघों ने इस आशय की आलोचना की है कि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है जिससे वे अपने विचार प्रकट कर सकें तथा प्रबन्ध मूल्य नीति, कच्चे माल तथा प्राइवेट ठेकेदारों से सम्बन्धों आदि-आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। क्या यह सच नहीं है कि वर्तमान समितियों का गठन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध के बारे में प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता जिसके प्रतिकूल वित्तीय परिणाम निकलते हैं और जिसकी

आड़ में कर्मचारियों को उनकी मजूरी देने से इनकार किया जाता है। क्या इस योजना में संशोधन करने का कोई विचार है ताकि कर्मचारियों की आवाज़ को भी प्रबन्ध के मामलों में महत्व दिया जा सके।

श्री रघुनाथ रेड्डी : राष्ट्र की शिखर निकाय द्वारा सराहना का तात्पर्य यह है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है और उन्होंने इसकी सराहना की है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आलोचना नहीं करते। वे आलोचना भी करते हैं। जहां तक प्रबन्ध बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, तो इस का अर्थ यह है कि इसे भागीदारी की प्रक्रिया का एक भाग समझा जाना चाहिए। इस योजना में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। शिखर स्तर की संस्था के तथा माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।

इंगलैण्ड में रंग भेद के प्रश्न पर दंगे

*42. **श्री चन्द्रशेखर सिंह**
श्री एन० ई० होरो } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड में रंगभेद के प्रश्न पर दंगे हो रहे हैं और सफेद चमड़ी वाले लोगों ने इंग्लैंड के विभिन्न भागों में रह रहे एशियाई लोगों पर कई बार हमला किया;

(ख) यदि हां, तो वहां रहने वाले भारतीयों तथा भारत मूलक लोगों पर कितनी बार हमला किया गया और उनके कारण कितने भारतीय मारे गए अथवा घायल हुए;

(ग) इंग्लैंड में भारतीय नागरिकों की जान व सम्पत्ति की रक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर ब्रिटिश सरकार से विरोध प्रकट किया है?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपनपाल दास) : (क) ब्रिटेन में कोई जातीय दंगे नहीं हो रहे हैं। जातीय तनाव रहा है और ब्रिटेन के विभिन्न भागों में कुछ छुटपुट मामलों की खबरें मिली हैं। भारतीयों को लेकर सभी मामले आवश्यक रूप से जातिमूलक नहीं हैं।

(ख) ठीक-ठीक संख्या मालूम नहीं है क्योंकि सभी मामलों की खबर न तो हमारे हाई कमीशन को दी जाती है और न उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है। अभी तक ये रिपोर्टें मिली हैं कि चार व्यक्तियों को चोटें आईं और दो मरे। मरने वालों में से एक भारतीय राष्ट्रिक था और दूसरा भारत मूलक व्यक्ति था।

(ग) और (घ) ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के जान और माल की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर है जिसके साथ हम बराबर संपर्क में हैं। हमने कई स्तरों पर उन तक अपनी चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि "उनकी सरकार और पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदायों को डराने-धमकाने और हिंसा से बचाने के सभी संभव उपाय बरतने का निश्चय किया हुआ है।" ब्रिटेन के प्रधान मंत्री और अन्य नेताओं ने जातिवाद और हिंसा की निंदा करते हुए कई सार्वजनिक वक्तव्य दिए हैं।

श्री एन० ई० होरो : वहां जातीय तनाव हुआ है, रंगभेद के नाम पर दंगे नहीं हुये। मंत्री महोदय ने यही कहा है। यह स्थिति का सही मूल्यांकन है। क्या यह सच है कि बहुत से मामलों में ब्रिटेन आने वाले आप्रावासियों ने या तो आप्रावासी कानूनों को टाला है या उनका उल्लंघन किया है जिसके फलस्वरूप वहां जातीय तनाव उत्पन्न हुआ है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न को अब तक हुए राष्ट्रमंडल सम्मेलनों के सामने लाया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रश्न को भविष्य में होने वाले सम्मेलनों के सामने लाएगी?

श्री बिपिनपाल दास : आप्रावासियों द्वारा ब्रिटेन में आप्रावासी कानूनों का दुरुपयोग करने के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है।

अब तक हुए राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों की कार्यवाही का मैं अवश्य अध्ययन करूंगा। लेकिन फिर भी इस दिशा में हमने कुछ कदम उठाये हैं। आप चाहें तो मैं उनका ब्यौरा दे सकता हूं।

हमने भारत में स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ इस मामले को उठाया है और हमारे उच्चायुक्त ने भी वहां विभिन्न स्तरों पर इस मामले को उठाया है। लंदन स्थित भारत-पाकिस्तान तथा बंगलादेश के उच्चायुक्तों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने भी वहां के प्रधान मंत्री से भेंट की तथा यह आश्वासन प्राप्त किया कि आप्रावासियों की जान तथा सम्पत्ति की रक्षा करना उनका अपना कर्तव्य है। इसके बावजूद भी स्थिति ऐसी ही रही तो हमें इस मामले को आगामी राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता।

श्री एन० ई० होरो : क्या मंत्री महोदय ने आर्चबिशप आफ केंटरबरी के उस वक्तव्य को पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप्रावासी कानूनों को टालने के कारण ही तनाव पैदा हुआ है। तनाव पैदा करने वाले लोगों के प्रति कुछ संसद् सदस्यों के दिल में भी हम-दर्दी थी। मंत्री महोदय ने कहा है कि आप्रावासी कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो इस जातीय तनाव के क्या कारण हैं?

श्री बिपिनपाल दास : मैंने प्रश्न के पहले भाग को गलत समझा। मैंने समझा था कि आप्रावासी लोग आप्रावासी कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये प्रश्न को दूसरे ढंग से रख रहे हैं।

यह बात ठीक है कि वर्तमान आप्रावासी कानूनों में कमियां हैं और ब्रिटेन की संसद् के विचाराधीन अब एक नया कानून है और इस विधेयक द्वारा वे सारी त्रुटियों को दूर करना चाहते हैं और सीधी कार्यवाही करना चाहते हैं ताकि ऐसी घटनायें फिर न हों।

श्री राम सहाय पांडे : माननीय उप मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया है कि इंगलैंड में जातीय तनाव बना हुआ है और इस बारे में ब्रिटिश सरकार से बातचीत हुई थी तथा स्वयं प्रधान मंत्री ने इस पर भली प्रकार ध्यान दिया। वहां पर रंग भेद तथा सामाजिक घृणा का बोल-बाला है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे कि पुनः वैसी स्थिति उत्पन्न न हो? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर सामाजिक घृणा तथा

रंग भेद की नीति चल रही है और यदि हां, तो सरकार ने आप्रावासी लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री बिपिनपाल दास : यही तो मैंने बताया है। परन्तु मैं स्पष्ट गारंटी नहीं दे सकता। आप्रावासियों के जान माल की रक्षा करना ब्रिटिश सरकार का दायित्व है।

श्री राम सहाय पांडे : मेरा आशय उसका ध्यान दिलाये जाने की ओर है।

श्री बिपिनपाल दास : हम कई बार विभिन्न स्तरों पर उनका ध्यान दिला चुके हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम राष्ट्रमंडलीय स्तर पर भी इस मामले को उठायेंगे।

Shri Shanker Dayal Singh : The issue of colour bar has taken roots in a bad manner in England and it is a pity that the people of Asian continent are suffering there. I feel that this question won't do, but the Government should take up the matter through it's High Commissioner and give a statement in the House on receipt of his report. May I know whether our High Commissioner went to console the family where boy was killed in racial roits and whether he met the Indians in Santhal in order to study their actual condition and if so, what is his report in the matter.

श्री बिपिनपाल दास : निश्चय ही हमने माननीय सदस्य द्वारा बताये गये सभी कदम उठाए हैं। हमारे उच्चायुक्त स्वयं संबद्ध क्षेत्र में गये तथा उन लोगों की कठिनाइयां दूर करने की चेष्ठा कीं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि केन्टरबरी के आर्चबिशप द्वारा अपने सार्वजनिक भाषण में रंगभेद नीति की कड़े शब्दों में कड़ी आलोचना की गई है। उन्होंने इस बारे में कई प्रकार की कार्यवाही की है तथा नवीनतम समाचार यह है कि पिछले एक महीने से किसी नई घटना की सूचना नहीं मिली है।

ब्रिटिश स्वामित्व वाले जहाजों में काम कर रहे भारतीय नाविक

*43. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटिश सरकार के इस वर्तमान व्यवस्था को यथा-शीघ्र समाप्त करने के निर्णय के कारण ब्रिटिश स्वामित्व वाले जहाजों में काम करने वाले हजारों भारतीय नाविक बेरोजगार हो जायेंगे जिसमें ब्रिटिश या यूरोपीय नाविकों की तुलना में एशियाई नाविक कम भुगतान-दरों पर काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) यू० के० सरकार ने यू० के० के जहाजों पर एशियाई तथा अन्य गैर अधिवासी नाविकों की रोजगार दिलाने में उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करने की दृष्टि से एक कार्य दल का गठन किया है और इन समस्याओं का ऐसे हल का सुझाव देना है जो सबको मान्य हो। कार्य दल की 12 महीने के बाद रिपोर्ट देने की संभावना है। अतः इसका असर कार्य दल की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही जाना जा सकेगा। इस बीच यथा पूर्व स्थिति जारी

रहेगी। अतः भारतीय नाविकों को ब्रिटिश जहाजों पर रोजगार खोने का तत्काल कोई भय नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि वास्तव में अनुपात कितना है, अर्थात् ब्रिटिश नाविक को वेतन तथा सुविधाओं के रूप में कितनी उपलब्धि होती है तथा ब्रिटिश पोत पर कार्य कर रहे भारतीय नाविक को कुल कितनी उपलब्धि होती है? क्या ऐसी कोई तुलना की गई थी?

श्री एच० एम० द्विवेदी : एक ब्रिटिश नाविक की वास्तविक उपलब्धि मैं नहीं बता सकता। जहां तक ब्रिटिश पोत पर कार्यरत भारतीय नाविक का सम्बन्ध है उसे अन्य सुविधाओं के अलावा 36 पौण्ड न्यूनतम वेतन प्राप्त होता है। उसके तथा सिफारिश किये गये 48 पौण्ड के न्यूनतम वेतन का अन्तर भारतीय नाविकों के कल्याण कार्य के लिए ब्रिटिश फ्लैगशिप के मालिकों द्वारा दिया जाता है। यह भारत में नाविकों के लिए एक कल्याण निधि में दिया जाता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मुझे समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्थिति कैसे स्पष्ट होती है। उन्हें वास्तविक अन्तर तथा वहां के हालात का पता नहीं है। अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि जब तक कार्यकारी ग्रुप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता, जिसे लगभग एक वर्ष लगेगा, यथा स्थिति बनी रहेगी। क्या आप बतायेंगे कि यह यथास्थिति क्या होगी?

श्री एम० एम० त्रिवेदी : यथास्थिति का अभिप्राय यह है कि ब्रिटिश पोत-मालिक भारतीय नाविकों को उसी आधार पर रोजगार में रखें रहेंगे जिस पर वे अब तक रहे हैं?

गर्भ-निरोध टीका

*44. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गर्भ निरोध के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत टीके के उपयोग के बारे में कोई निर्णय कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : गर्भाधान रोकने वाली वेक्सीन तैयार करने के बारे में अभी प्रयोग चल रहे हैं।

श्री डी० डी० देसाई : इस समय परिवार नियोजन हमारे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है और इस समय प्रयोग आने वाली हाई एस्ट्रोजिन गोली हानिकर सिद्ध हो चुकी है। इस समय की वैकसीन जोकि प्रयोगात्मक स्थिति में है हारमोन प्रोगेस्ट्रो के विपरीत तत्वों से विकसित की गई है। मुझे पता है कि मंत्री महोदय ने इन मामलों में परीक्षण किया है। इससे एक वर्ष के लिए गर्भ निरोध किया जा सकता है।

परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह अभी तक परीक्षणात्मक स्थिति में है तथा देश विदेश में परिवार नियोजन की व्यापक आवश्यकता को

ध्यान में रखते हुए उन्हें परीक्षण कार्य में किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है तथा क्या इन प्रयोगों से भारत तथा अन्य देशों के लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक मैं जानता हूं मेरे वैज्ञानिक इसका परीक्षण कर रहे हैं, मैं स्वयं नहीं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जब गर्भ निरोधक की बात करते हैं तब उनका आशय गोली से है। जहां तक मुझे पता है यह गर्भ निरोधक वेकसीन नहीं है परन्तु गोली है। यह सर्वथा नई पद्धति है जिसका विकास अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान कर रहा है तथा यह विशेष हारमोन एच० सी० जी० पर आधारित है जिसका विकास केवल गर्भावस्था में होता है तथा सिद्धान्त यह है कि यदि उन हारमोनों के विरोधी तत्वों का विकास किया जा सके तो गर्भ नहीं ठहरेगा। परन्तु भविष्य में इसका बहुत असर पड़ेगा क्योंकि यदि हम वेकसीन प्राप्त कर लेते हैं तो नसबंदी की पद्धति पुरानी पड़ सकती है और हम इस बारे में चेचक के समान बड़े पैमाने पर कार्यवाही कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सभा को बताना चाहता हूं कि पशुओं पर परीक्षण शुरू हो गए हैं तथा पांच अन्य देशों में मानवों पर भी प्रयोग शुरू हो गये हैं? यह प्रयोग जिन पांच देशों में शुरू किये गये हैं उनके नाम हैं स्वीडन, फिनलैंड, ब्राजील, चिल्ली तथा सन्ता डीमिंगों। इस बारे में विश्व भर में किये जा रहे प्रयोगों की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। इस पर जो भी खर्चा आएगा हम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस मामले में हमारे देश को सफलता मिलेगी।

कम से कम इस मामले में हमें इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि पहले सफलता पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों को मिले। मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति, इस बारे में सफलता प्राप्त करेंगे उनकी नोबल पुरस्कार प्रतीक्षा कर रहे हैं।

LOCK-OUTS, CLOSURES AND RETRENCHMENTS

*45. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) the number of industries which declared lock-outs and closures or retrenched their employees during the last six months together with the number of workers retrenched ;

(b) whether any legal action is contemplated by Government against them; and

(c) if so, the nature thereof ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) तालाबन्दियों और छटनियों से सम्बन्धित विस्तृत उद्योग-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। जहां तक बन्दियों का सम्बन्ध है, राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिसम्बर, 1975 से मई 1976 तक की अवधि के लिए राज्य-वार सूचना विवरण में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० एल० टी० 11048/76]

(ख) और (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम को संशोधित किया गया है जिसमें 300 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों, खानों या बागानों के सम्बन्ध में जवरी छट्टी, छटनी और बन्दियों के मामले में उचित सरकार की पूर्व

अनुमति आवश्यक कर दी गई है। अधिनियम के उल्लंघन के लिए, अधिनियम में विशिष्ट दण्ड निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

दिसम्बर, 1975 से मई 1976 तक की अवधि के दौरान बन्दियां

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बन्दियां	
	मामलों की संख्या	प्रभावित श्रमिकों की संख्या
गुजरात	109	5369
केरल	102	42221
कर्नाटक	17	3290
उड़ीसा	2	50
राजस्थान	1	30
तमिलनाडु	54	3102
उत्तर प्रदेश .	5	282
पश्चिम बंगाल	40	3237
दिल्ली . . .	3	42
गोवा, दमन एवं दीव .	शून्य	शून्य
चण्डीगढ़ . .	2	61
अंडमान, एवं निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
दादरा और नागर हवेली .	शून्य	शून्य
जोड़	335	57684

टिप्पणी :— शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

Shri M. C. Daga : Sir, the Statement is not complete.

Mr. Speaker : It is a lengthy one. Do you still consider it incomplete ?

Shri. M. C. Daga : It is not so and I want to ask two questions in this regard. The statement says that 8,806 workers have been retrenched. May I know the amount of compensation given under the Industrial Disputes Act as well as the number of workers who have received it ? I want to know, whether it has been disbursed and whether Government have received any complaint from any unit or from labourers in this regard ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

Shri M. C. Daga : 57,684 labourers have been retrenched due to the closure of 335 units. May I know whether any body had given 3 month's notice and if Government had taken any step during that period ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सभी राज्य सरकारों की ओर से कुछ कहना मेरे लिए बहुत कठिन है ।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री जी ने प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में बताया है कि कारखानों में मजदूरों को निकालने, छंटनी करने और कारखाना बंद करने के लिए उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक बनाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया गया है । हमें पता चला है कि तालाबंदी से 73,000 छंटनी से 8000 और कारखाना बंदी के कारण 57,000 श्रमिक प्रभावित हुए हैं । क्या इन लोगों के सम्बन्ध में पूर्व अनुमति ली गई थी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : महोदय, संसद् द्वारा पारित कानून के अन्तर्गत तालाबंदी और हड़ताल नहीं आते । इसके अतिरिक्त ये आंकड़े मैंने केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार वाले कारखानों के बताए हैं, राज्य सरकारों के नहीं ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : महोदय, कल के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार लन्दन की एक पार्टी में बोलते हुए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल के अध्यक्ष श्री के० के० बिड़ला ने आपात स्थिति का यह कहते हुए समर्थन किया है कि हमारे यहां भारी आर्थिक प्रगति हुई है और आर्थिक प्रगति की गति तीव्र हुई है । इस बात को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि छंटनी करने आदि से उत्पन्न गम्भीर स्थिति का केवल एकाधिकारी गृहों द्वारा संचालित गैर सरकारी क्षेत्र में ही व्याप्त है और सरकारी क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं । यह भी बताएं कि सरकारी निदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कोई गम्भीर कदम उठाए हैं ? मुझे पता चला है कि लाला चरत राम ने सरकार का कहना नहीं माना तथा श्री के० के० बिड़ला और श्री आर० एन० गोंयका ने भी नेशनल तम्बाकू कम्पनी के मामले में सरकार की कोई बात नहीं सुनी ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने श्री बिड़ला का वक्तव्य नहीं पढ़ा है । फिर भी आपात स्थिति लागू होने के बाद सरकारी क्षेत्र में कार्यदिवसों की बर्बादी बिल्कुल समाप्त हो गई है । इसी प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र में भी यह संख्या काफी कम हो गई है । श्री मुंशी ने जो अन्य बातें कही हैं उनका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है और मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी सभी आंकड़े गलत दिए हैं । इण्डियन रेयर अर्थस की छावड़ा खानों में ही, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा चलाया जा रहा संस्थान है, 700 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है । उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है । यह बड़ी गलत बात है । सेवा की शर्तों के बारे में कई बार बात मंत्री जी के ध्यान में भी लाई गई है । पर उन्होंने बहुत कम करके आंकड़े बताए हैं । क्या मंत्री जी को छावड़ा खानों से लोगों को निकाले जाने की बात मालूम है ?

श्री एस० ए० शमीम : यदि यह बात ठीक है तो क्या मंत्री जी सच्ची बात बताएंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कारखानों जबरी छुट्टी किए जाने के बारे में 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक मामले में अनुमति दी गई, और 15 रद्द कर दिए गए और बाकी विचाराधीन पड़े हैं। छंटनी के बारे में 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : मैं इण्डियन रेयर अर्थस की छावड़ा खानों के बारे में कह रहा हूं। क्या उन्हें वहां से कोई आवेदन मिला है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सूचना चाहिए। इस विशिष्ट मामले की उन्हें जानकारी नहीं।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : एक आवेदन को मंजूरी दी गई है तो क्या यह इण्डियन रेयर अर्थस के प्रबन्धाधीन खान की ही तो नहीं। इसका उत्तर तो वह दे सकते हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य मेरे पास आ जाएं। मैं उनके साथ चर्चा करूंगा।

श्री वसंत साठे : क्या यह आप दोनों के बीच कोई निजी बात है ? हमें भी उसमें रूचि है। आप हमें बताएं कि क्या इसी संस्थान का आवेदन मंजूर किया गया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं आपको बाद में बता दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों में किए गए संशोधन को देखते हुए क्या हम यह मान लें कि 408 छंटनी किए गए व्यक्तियों और 335 कारखानों को बंद किए जाने से सम्बन्धित मामलों में सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ? यदि नहीं, तो यह कार्यवाही अवैध है। इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरे क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि संशोधित विधि से बचने के लिए कारखानों को बंद किए जाने की तालाबंदी का नाम दे दिया जाता है। शायद मंत्री जी को यह बात मालूम है क्योंकि मैंने उनका एक वक्तव्य देखा है जिसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या उपाय कर रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक तालाबंदी और कारखाना बंद करने का प्रश्न है, तालाबंदी, कारखाना बंद करने ही का दूसरा नाम है। मैंने इस बारे में राज्य सरकारों का ध्यान दिलाते हुए अनुरोध किया है कि जहां वास्तव में कारखाना बंद करके तालाबंदी का नाम दिया गया हो वहां वे जोरदार कार्यवाही करें।

पूर्व अनुमति की जहां तक बात है मैंने केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के आंकड़े दिए हैं। ये सभी मामले राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। मैं एक दम नहीं कह सकता कि स्थिति क्या है ?

Shri Ram Singh Bhai : Vacancies created by the retirement of employees in certain establishments are not being filled up even during this Emergency and machines are lying idle affecting adversely the production and the employment opportunities. Will you place it in lockout or lay-off category ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री जी ने स्वयं कलकत्ता में वक्तव्य दिया था कि तालाबंदी, कारखाना बंदी और छंटनी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है । अब उन्होंने और ही वक्तव्य दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां उन्होंने वह जानकारी नही दी है ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों पर पुलिस द्वारा कुत्ते छोड़े जाना

*46. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा**
श्री एम० एस० पुरती } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों पर 13 जुलाई, 1976 को कुत्ते छोड़े गए थे ;

(ख) क्या पुलिस ने भारतीय व्यापारियों को उनकी दुकानें खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना व्यापारिक क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क को रोक दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) संबद्ध व्यक्ति भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रिक हैं, भारतीय राष्ट्रिक नहीं । जब इन व्यापारियों ने ओरिएन्टल-प्लाज़ा जाने के लिए जोहानीसबर्ग में पेज व्यू नामक स्थान को खाली नहीं किया तो उन्हें जबर्दस्ती निकाल दिया गया । हमारी सूचना के अनुसार दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने इस कार्य के लिए पुलिस के कुत्तों का उपयोग किया लेकिन यह मालूम नहीं है कि दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने उस सड़क को रोक दिया था या नहीं ।

(ग) वर्ग क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत दक्षिण अफ्रीका के शासन ने पेज व्यू को 'ह्वाइट एरिया' (श्वेत क्षेत्र) घोषित किया था और भारतीय मूल के उन व्यापारियों को आदेश दिया था जिनके पास बहुत लंबे अरसे से रिहायश एवं दुकानें थीं, कि वे इलाका खाली कर दें और "ओरिएन्ट प्लाजा" चले जाएं जो कि भारतीय मूल के व्यापारियों के लिए खास तौर पर बनाया गया नया दुकानों का केन्द्र है । 'पेज व्यू' खाली करके जाने की अंतिम तारीख 30 जून 1976 उन्हें बताई गई थी । लोगों के विरोध के परिणामस्वरूप यह तारीख बढ़ा कर जनवरी 1977 कर दी गई है ।

भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के जातीय शासन की वर्गभेद नीति की निरन्तर निन्दा की है । संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद में दक्षिण अफ्रीका शासन की भर्त्सना, दक्षिण अफ्रीका और नामिबिया में की गई अवैधानिक जातिगत कार्रवाईयों के लिए 27 जुलाई, 1976 को की थी । दक्षिण अफ्रीका में वर्गभेद नीति के जो शिकार हाल में हुए हैं, उनके लिए सरकार संयुक्त राष्ट्र निधि तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निधियों में अंशदान दे रही है ।

Shri M. S. Purty : Sir, it is a matter of prestige for India. I want to know whether the South African Government have set-dogs on the Indian traders to evict them from the Country or simply to oppose India. What is the reaction of the Indian Government in this regard ?

श्री बिपनपाल दास : मुझे पता नहीं कि उनका उद्देश्य क्या है । लेकिन तथ्य यह है कि वे रंगवेद की नीति के कारण ऐसा कर रहे हैं और हम उसका जोरदार विरोध करते हैं ।

Shri Ramavtar Shastri : Sir, although the Government of India is strongly protesting against their policy yet the eviction of Indian traders continues. Will Government take any strong action to safeguard their interest or they will be allowed to suffer all this ?

श्री बिपनपाल दास : मैंने यह नहीं कहा कि मामला समाप्त हो गया है, समस्या बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक अल्प संख्यक जातिवादी शासन बना रहेगा । समस्या का समाधान तभी होगा जब अल्पसंख्यक जातिवादी शासन को समाप्त किया जाए जिसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम उनकी सहायता कर रहे हैं और हर सम्भव तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं ।

ढाका को भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

*48. **श्री विभूति मिश्र :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च शक्ति प्राप्त भारतीय प्रतिनिधि मण्डल हाल ही में ढाका गया था ;

(ख) क्या ढाका में दोनों प्रतिनिधि मण्डलों के बीच हुई बात-चीत के दौरान गंगा जल की समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दौरे का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपनपाल दास) : (क) जी हां, विदेश मंत्रालय में नीति नियोजन समिति के अध्यक्ष, श्री जी० पार्थसारथी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने 18 से 22 जून 1976 तक ढाका की यात्रा की थी ।

(ख) और (ग) दोनो पक्षों की ओर से द्विपक्षीय सम्बन्धों पर व्यापक बातचीत हुई, जिसमें कमी के मौसम में गंगा के जल के बंटवारे का प्रश्न भी शामिल था जिस पर अधिक समय लगा । बातचीत से उपयोगी विचार-विनिमय हुआ और दोनों पक्ष अपनी-अपनी सरकारों को उसकी रिपोर्ट भेजने को सहमत हुए । इस पर भी सहमति हुई कि दोनों सरकारें इस पर तथा अन्य मसलों पर एक दूसरे के साथ संपर्क करेंगी ।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, what will be the bilateral relations between the two countries ? Several delegations were exchanged and an agreement was reached with the former government of Bangladesh in regard to waters of the Ganga. Then why the matter again arose ? The hon. Minister should clarify the position.

श्री बिपनपाल दास : यह सच है कि जब हमारे प्रधान मंत्री ने 1974 में बंगलादेश का दौरा किया था, हमारे प्रधान मंत्री और स्वर्गीय मुजीबुर्रहमान ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे जिसके द्वारा यह समझौता किया गया था कि इस समस्या का समाधान दोनों के बीच परस्पर बातचीत द्वारा किया जाना चाहिए । 1975 में हमने 1975 में समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके परिणमस्वरूप हमने फीडर नहरों में कुछ पानी छोड़ने का निर्णय किया था । आश्चर्य की बात है कि उन्होंने यह प्रश्न पुनः उठाया है । दोनों प्रधान मंत्रियों की संयुक्त घोषणा में यह

2—595LSS/76

स्वीकार किया गया था कि यह समस्या केवल कमी वाले मौसम से सम्बन्धित है । अब वे कह रहे हैं कि यह सारे साल के लिए है । यह बड़े आश्चर्य की बात है । हम अपनी सामान्य नीति के अनुसार शान्तिपूर्ण और आपसी बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : The Indians living in Bangladesh are being driven away from there. The hon. Minister has not replied as to what they are doing through bilateral relations. What action is being taken by Government about the Bengali people living in Bangladesh ?

श्री बिपिनपाल दास : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वहां से भारतीयों को निकाला जा रहा है ।

Shri Bibhuti Mishra : It appears that the Government of India has become helpless Indians are being driven away from England and the Indians living in Africa are also being driven away from there. So far as Bangladesh is concerned, an agreement was reached with her in regard to Ganga waters but this matter is again being raised. Does it mean that Govt. of India is still feeling helpless even after 27 years of independence ? We have been driven away from every part of the world. What action is being taken by Government in this regard ?

श्री बिपनपाल दास : हमें इस मामले में विचार व्यक्त करने में सावधानी बरतनी चाहिए । ऐसी समस्याएं होने पर हमें सम्बन्धित सरकारों से उन पर बातचीत करनी होती है और उसका शान्तिपूर्ण हल निकालने का प्रयास करना है ।

श्री त्रिदिव चौधरी : क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व ही हमारी सरकार को बंगलादेश की सरकार से गंगा के पानी सम्बन्धी समस्या के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री उस पत्र के बारे में कुछ बताएंगे ? इसके अलावा आज के समाचारपत्रों में यह खबर है कि हमारे विदेश मंत्री और बंगलादेश के विदेश मंत्री कोलम्बो में मिले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गंगा के पानी सम्बन्धी समस्या पर वहां चर्चा की जाने की कोई सम्भावना है ?

श्री बिपनपाल दास : [हमें वहां पर गंगा के पानी सम्बन्धी समस्या पर वहां चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा द्विपक्षीय आधार पर वार्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए । मुझे पता नहीं कि श्री चह्वाण ने गत रात किस बात पर चर्चा की ।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, एक पत्र प्राप्त हुआ है । यह हमारे उस पत्र के उत्तर में है जिसके द्वारा हमने बातचीत को जारी रखने के लिए बंगलादेश के शिष्टमंडल को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था ।

श्री त्रिदिव चौधरी : क्या वे आने को तैयार है ?

श्री बिपिनपाल दास : मैं इस पत्र का ब्यौरा नहीं बता सकता ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि हमारा शिष्टमंडल कब ढाका गया था, क्या उसने बंगलादेश सरकार के समक्ष यह मांग रखी थी कि कलकत्ता पत्तन को जहाज रानी के लिए कमी वाले समय में 40,000 क्यूसिक्स पानी की आवश्यकता है, और यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उनसे क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री विपिनपाल दास : ऐसा पहले भी कई बार किया जा चुका है और हमारे लिए मुख्य बात कलकत्ता पत्तन को बचाना है, परन्तु वार्ता का ब्यौरा बताने में मैं असमर्थ हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां बंगलादेश के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए हमारी सरकार की घोषित नीति प्रशंसनीय है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री पार्थसारथी के नेतृत्व में गए शिष्टमंडल ने बंगलादेश में सभी जन प्रचार साधनों, सरकारी साधनों और ब्रिगेडियर जनरल जियाउर्रहमान, जिन्होंने इस्तन बोल में हाल के यान-इस्लामिक सम्मेलन में भारत-विरोधी भाषण दिया था, द्वारा किया जा रहे भारत-विरोधी प्रचार का प्रश्न उठाया था और क्या सम्बन्ध सुधारने के लिए बंगलादेश की सरकार यह प्रयास करेगी कि इस प्रकार निराधार भारत-विरोधी प्रचार बन्द किया जाए ? यदि इन बातों पर चर्चा हुई है तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री बिपनपाल दास : हमारे द्वारा उठाया गया यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न था। उनका कहना है कि वे यथासम्भव कार्यवाही करेंगे, परन्तु हम मामले को पुनः उठाएंगे उनके आश्वासन के बाद भी ऐसा हो रहा है। हम हमेशा उनके साथ यह मामला उठाते हैं। हमें अत्यन्त खेद है कि उनके आश्वासन के बावजूद भी यह समाप्त नहीं हुआ है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पार्थसारथी शिष्टमंडल के दौरे के दौरान हमारे दल के विभिन्न अधिकारियों और बंगलादेश सरकार के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई थी या बंगलादेश के नौसेना अध्यक्ष और बाद में श्री सईम और श्री जियाउर्रहमान के साथ बातचीत हुई थी ? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या हाल की बातचीत में बंगलादेश के अधिकारियों ने बताया कि शेख मुजीबुर्रहमान और हमारे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी के बीच हुए समझौते की कुछ बातें अब लागू नहीं की जा सकतीं और उन्होंने उन्हें निलम्बित रखा है ?

श्री बिपनपाल दास : हम अपनी शिष्टमंडल और अपने शिष्टमंडल के नेता को नियुक्त करते हैं, वे अपना शिष्टमंडल और उसका नेता नियुक्त करते हैं और दोनों शिष्टमंडल मामलों पर चर्चा करते हैं। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं यह प्रकट नहीं करना चाहता।

विश्व बैंक द्वारा दूरसंचार उद्योग के लिए ऋण मंजूर किया जाना

*49. **श्री हरी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में दूरसंचार उद्योग के लिए कई करोड़ डालर का ऋण मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) इस धन के उपयोग की क्या योजना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) ; (ख) और (ग) विश्व बैंक छठी दूरसंचार परियोजना के लिए, जोकि दूरसंचार की पांचवीं पंचवर्षीय योजना का एक अंग है, 8 करोड़ अमेरिकी डालर का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है। इसमें से 5.5 करोड़ डालर की रकम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, हिन्दुस्तान केबुल्स लिमिटेड, और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड जैसे सार्वजनिक संस्थानों और डाक-तार कारखानों, दूरसंचार अनुसंधान केन्द्रों,

डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए कच्चा माल और सहायक कल-पुर्जे प्राप्त करने के लिए है तथा 2.5 करोड़ डालर की रकम तैयार माल मंगाने के लिए है ।

इस ऋण का उपयोग योजना आयोग द्वारा स्वीकृत दूरसंचार योजना के अनुसार देश में दूरसंचार-सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा ।

Shri Hari Singh : I want to know the amount actually required to complete this 6th Telecommunications Project and what is the difference between the funds available with you and the money received from the World Bank ?

Dr. Shankar Dayal Sharma : The 6th Telecom. Project is a part of the 5th Five Year Plan. In order to meet the foreign exchange requirements in this Plan a loan of $ 80 millions has been received out of which $ 55 millions are meant for procurement of raw materials and $ 25 millions are for procurement of finished goods. We will manufacture equipment by using these goods.

Shri Hari Singh : You have said in reply to part (c) of my question that this money will help development of telecommunications in the country. I want to know in which areas the country this money is being spent area-wise.

Dr. Shankar Dayal Sharma : The list showing the break-up is very big. I lay this on the Table of the House.

गांवों के लिए टेलीफोन सुविधाएं

*50. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर स्थित गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) लंबी दूरी के पी० सी० ओ० खोलने के बारे में विभाग की जो नीति है उसमें उन दूरवर्ती बस्तियों को शामिल किया गया है जहां से 40 किलोमीटर की अरीय दूरी में कोई टेलीफोन एक्सचेंज न हो, बशर्ते कि वहां जो वार्षिक आवर्ती खर्च होगा उसका सामान्य इलाकों में 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत और पहाड़ी इलाकों में 10 प्रतिशत आमदनी होनी की उम्मीद हो ।

श्री राम सहाय पांडे : दूरस्थ गांवों में टेलीफोन प्रदान करने की योजना को लागू करने का विचार बहुत अच्छा है । समाचार पत्रों में बताया गया है :

> "कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आधार भूत ढांचे को सुदृव करने के उद्देश्य से गांवों में संभार सेवाओं में सुधार किया जा रहा है ।"

दूर-संचार विभाग में एक 'रूराफोन' का आविष्कार किया है जिसकी धरातल पर कोई तार नहीं होगी । तब उसके लिए करेंट का क्या साधन होगा ? क्या माननीय मंत्री स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में यह है क्या ?

Dr. Shankar Dayal Sharma : Our Research Wing has developed it in order to make this service available in rural areas. With the installation of two equipments upto the distance of 15 kms. talks can be held between two places. It is fitted with betteries and is less expensive. It is still in trial stage.

Shri S. M. Banerjee : Will the Minister give us an assurance that there will be no arears of telephone charges in rural areas as happens in urban areas even when no call is made ?

Mr. Speaker : He says that whether there will be no arears as happens in cities.

Dr. Shankar Dayal Sharma : Very few telephone calls are made there.

Shri Paripoornanand Painuli: I want to know whether there is any provision to improve the existing lines in hill and rural areas as telecommunication services there are very unsatisfactory and the lines are out of order ?

Dr. Shankar Dayal Sharma : It is true that there is some defects in wires due to certain natural causes. Wooden poles are set up in hill and rural areas in order to curtail expenditure. Other poles also fall down due to strong wind or felling of trees as a result of which defects are developed in wires. Sometimes wires are stolen at far off places. Our efforts are to provide more and more facilities in rural areas. We try to remove the complaints received by us.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केरल के तटवर्ती प्रदेशों में रहने वाले लोगों के मानसिक विकास पर परमाणु विकिरण का प्रभाव

*47. **श्री बरके जार्ज :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल के इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि परमाणु विकिरण की मंद प्रक्रिया का केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो परमाणु विकिरण के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय सोचे जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आगामी अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

बिहार में लौह अयस्क के निक्षेप

*51. **श्री सरोज मुकर्जी**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने यह रिपोर्ट दी है कि बिहार के मनोहरगढ़ जिले में चिरिया नामक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क निक्षेप है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको तैयार करने, विछिद्रण कार्य करने, नमूनों के विश्लेषण आदि का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) हाल में किए गए अनुसंधानों के आधार पर खनिज समन्वेषण निगम (मिनरल एक्सपलोरेशन कारपोरेशन) ने अनुमान लगाया है कि बिहार के सिंहभूम जिले में चिरिया के निक्षेपों में लगभग 19700 लाख टन लौह अयस्क है ।

(ख) आशा है कि इस समय चल रहा क्षेत्र अनुसन्धान कार्य वर्ष 1977 के अन्त तक पूरा हो जाएगा ।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद की अवधि में बेकार गए श्रम-दिन

*52 **श्री पी० गंगा रेड्डी**
श्री भोगेन्द्र झा } : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के बाद की अवधि में सबसे पहले की अवधि की तुलना में बहुत ही कम श्रम-दिन बेकार गए है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 के पूर्वार्द्ध में तथा आपात स्थिति की घोषणा के बाद जून, 1976 तक की अवधि में हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण क्रमश: कितने कितने श्रम-दिन बेकार गए ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) 1975 की पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध अवधि तथा 1976 की पूर्वार्द्ध अवधि (जनवरी से जून, 1976 तक) के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण हानि हुए श्रम-दिनों की संख्या निम्नानुसार थी :—

अवधि	हानि हुए श्रम दिन (दस लाख में)
जनवरी—जून, 1975 (अ) . .	17.10
जुलाई—दिसम्बर, 1975 (अ) .	4.46
जनवरी—जून, 1976 (अ)	5.31

(अ)—अनन्तिम ।

कोचीन पत्तन पर सुपर टैंकर आयल टर्मिनल

*53. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया**
श्रीमती भागवी तनकप्पन } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन पत्तन पर सुपर टैंकर ग्रायल टर्मिनल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट को बहुत पहले मंजूरी दे दी थी; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य ग्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) ग्रौर (ख) मई 1973 में सरकार ने कोचीन पत्तन में ग्रप्रैल, 1970 में पहले स्वीकृत एर्नाकुलम जलमार्ग के बजाए बोलघाटी में सुपर टैंकर आइल टर्मिनल का स्थान स्वीकृत किया । पत्तन न्यास द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ग्रब सरकार के विचाराधीन है ।

राज्यों में सेरेब्रेल मलेरिया की घटनाएं

***54. डा० सरदीश राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्रासाम, बिहार, मध्य प्रदेश, ग्रांध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात ग्रौर देश के ग्रन्य भागों में व्यापक रूप से सेरेब्रेल मलेरिया के खतरे की ग्रोर दिलाया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो सेरेब्रेल मलेरिया की रोक-थाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मलेरिया नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनके बारे में एक **विवरण सभा** पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मलेरिया नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(1) राज्यों को ग्रनेक कीटनाशक ग्रौषधियां ग्रधिक माता में सप्लाई की गई हैं। उन एककों को वैकल्पिक कीटनाशक ग्रौषधियां भी दी जा रही हैं जहां पर वैक्टर डी० डी० टी० सहन करने वाले बन गए हैं।

(2) राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत पर्याप्त ग्रौषधियां उपलब्ध की गई हैं। व्यापारिक स्रोतों के माध्यम से भी दवाइयां दी गई हैं। जहां यह ग्राशंका थी कि ग्रौषधियां स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से नहीं पहुंचेगी, वहां पंचायतों तथा स्कूलों के माध्यम से मलेरिया निरोधी दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं।

(3) पी० फाल्सीपैरम किस्म के मच्छरों में क्लोरोक्विन के हजम करने की शक्ति किस सीमा तक ग्रा गई है इस बात का पता लगाने तथा उन पर ग्रौषधियों का क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने के लिए ग्रौषधि प्रतिरोध शक्ति के बारे में ग्रध्ययन किए जा रहे हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए सम्बन्धित यूनिटों को ग्रपेक्षित माता में क्विनीन की गोलियां/एम्पाउल्स दे दिए गए हैं।

(4) कार्य संचालन की संशोधित योजना तैयार कर ली गई है । वर्तमान एककों को पुनर्गठित किया जाएगा ।

(5) नगरों में मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा-निरोधी कार्यों को तेज कर दिया गया है ।

(6) क्षेत्र-कर्मचारियों के निरीक्षण को तेज कर दिया गया है ।

इस्पात के मूल्य

***55. श्री एम० कतामुतु**
श्री के० एम० मधुकर } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यापारिक क्षेत्रों ने सरकार से देश में निर्मित इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने की जोरदार मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) संभवतः अभिप्राय उस वक्तव्य से है जो टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के अध्यक्ष ने वर्ष 1975-76 की वार्षिक रिपोर्ट करते समय दिया था ।

(ख) इस समय सरकार का देशीय इस्पात के मूल्य बढ़ाने का कोई विचार नहीं है ।

परिवार नियोजन के बारे में केन्द्रीय विधान

***56. श्री आर० एन० वर्मन**
चौधरी राम प्रकाश } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार परिवार नियोजन के लिए एक केन्द्रीय कानून लाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या वर्तमान अभियान में सरकारी कर्मचारियों पर अधिक जोर दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य किस प्रकार से चलाया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 26 अप्रैल, 1976 को सभा पटल पर रखे गए राष्ट्रीय जन संख्या नीति सम्बन्धी वक्तव्य में जो घोषणा की गई थी, उसके अनुसार भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इस प्रयोजन के लिए कम-से-कम फिलहाल कोई केन्द्रीय कानून न बनाया जाए ।

(ग) और (घ) परिवार नियोजन कार्यक्रम नगरीय और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पूरे ज़ोर से चलाया जा रहा है और जनसंख्या के सभी वर्गों को इसके अन्तर्गत लाया जा रहा है ।

अल्बत्ता, सरकारी कर्मचारियों को लघु परिवार के आदर्श को अपनाने के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए ।

महिला और पुरुष नसबन्दी आपरेशन

*57. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 3 महीनों मे 1975 के 3 महीनों की तुलना में विभिन्न राज्यों में पुरुष नसबन्दी और महिला नसबन्दी के अधिक आपरेशन किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने आपरेशन किए गए हैं ;

(ग) इसके लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों, सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों तथा जनसाधारण को क्या पारिश्रमिक तथा छूट दी जा रही है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार राज्यों को इस संबंध में क्या अंश दान दे रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०–11049/76]

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०–11049/76]

(घ) परिवार नियोजन कार्यक्रम पर होने वाला सारा व्यय जिसमें निर्धारित स्केल के अनुसार नसबन्दी आपरेशनों के लिए दिया जाने वाला धन भी शामिल है, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

दिल्ली के अस्पतालों में अप्रयुक्त 'डायलाइजर'

*58. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में कई वर्षों से "डायलाइज़र" अप्रयुक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रति वर्ष गुर्दे के रोग से मरने वाले रोगियों की संख्या का कोई अनुमान लगाया है क्योंकि उनका समय पर डायलाइजिस नहीं किया जाता ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) डायलाइजर के अभाव में हमारे किसी भी अस्पताल में किसी रोगी के मरने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। डायलाइजर के न होने पर रोगियों का इलाज पेरिटोनियल डायलाइजिस से किया जाता है और यह प्रणाली बहुत वर्षों से अपनाई जा रही है तथा यह पर्याप्त रूप से संतोषजनक है।

विवरण

दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध डायलाइजरों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(1) **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**	—4 एकक, सभी कार्य करने की हालत में हैं।
(2) **सफदरजंग अस्पताल**	—1 एकक कार्य करने की हालत में है। 3 एकक कार्य करने की हालत में नहीं हैं।
(3) **विलिंगडन अस्पताल**	—एक एकक कार्य करने की हालत में नहीं है। एक नए एकक के लिए आदेश दिया जा रहा है।
(4) **इर्विन अस्पताल**	—एक एकक कार्य नहीं कर रहा है और एक एकक की स्थापना की जा रही है।
(5) **हिन्दु राव अस्पताल**	—एक एकक की स्थापना की जा चुकी है। इस मशीन को चलाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सफदरजंग और विलिंगडन अस्पतालों के 4 एककों को, जो काम ही नहीं कर रहे हैं, 8 से 10 वर्ष पहले खरीदा गया था। स्थानीय रूप से इनकी सर्विसिंग की व्यवस्था न होने और फालतू पुरजों आदि के उपलब्ध न होने जैसे विभिन्न कारणों से इन एककों ने काम करना बंद कर दिया है।

हेमा-डायलाइजिस की प्रणाली में हाल ही में सुधार किया गया है। जबकि पुरानी मशीन के मामले में रक्त दाताओं सहित प्राइमिंग की जरूरत होती है जिसके फलस्वरूप संक्रमण और त्रास प्रतिक्रिया होने की संभावना बनी रहती है और एक डायलाइजिस में लगभग 10 घंटे लगते हैं, नई मशीनों को किसी प्राइमिंग की जरूरत नहीं होती है और इसमें लगभग केवल 5 घंटे लगते हैं।

इन अस्पतालों को नई मशीन देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

गुजरात में सर्व-ऋतु पत्तनों का विकास

*59. **श्री अरविंद एम० पटेल**
श्री एन० आर० बेकारिया } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में गुजरात राज्य में कितनी सर्व-ऋतु पत्तनों का विकास किया जाना है,

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है, और

(ग) इस दिशा में कार्य संभवतः कब शुरू कर दिया जायेगा?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) से (ग) छोटे पत्तनों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का है। परन्तु चुने हुये छोटे पत्तनों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण सहायता 'केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं' के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दी जाती है। इस प्रयोजन के लिये गुजरात का चुना गया छोटा पत्तन पोरबन्दर है।

इस समय केन्द्रीय सहायता से गुजरात में किसी अन्य छोटे पत्तन का विकास का विचार नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य

*60. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) : वर्ष 1976-77 के लिए सभी सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 82.05 लाख टन और 64.65 लाख टन निश्चित किया गया है। 1975-76 की तुलना में इस्पात पिण्ड का लक्ष्य 13 प्रतिशत तथा विक्रेय इस्पात का लक्ष्य 12 प्रतिशत अधिक है। विक्रेय इस्पात के उत्पादन में क्षमता का उपयोग 85.5 प्रतिशत होगा। इस्पात कारखानों के मुख्य प्रबन्धकों से कहा गया है कि वे न केवल इन लक्ष्यों को प्राप्त करें बल्कि इनसे भी अधिक उत्पादन करने के लिए सभी संभव प्रयत्न करें।

PERSONS REGISTERED AND JOBS PROVIDED DURING 1975-76

294. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of the unemployed persons who got their names registered in the Employment Exchanges during 1975-76 ; and

(b) the number out of them who have got employment?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) Number of persons (all of whom are not necessarily unemployed) registered with the employment exchanges and the number placed in employment through them during the period 1975-76 was as under :

Number registered	55·57 lakhs
Number placed in employment	4·34 lakhs*

*This figure includes persons registered earlier also. Separate information about the persons placed in employment out of those registered during the period 1975-76 is not available.

गुजरात में श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान

295. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ही एक मात्र ऐसा राज्य है जिसमें कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या गुजरात के किसान अभी भी निकटवर्ती राज्यों से सस्ती दरों पर श्रमिक बुला रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों के बुलाने पर रोक लगाने तथा कृषि श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी देने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : राज्य सरकार ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) गुजरात में लगभग सभी कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरियां दी जा रही हैं।

(ख) बाहर के श्रमिकों के राज्य के अन्दर आने पर कोई रोक नहीं है। परन्तु यह आवश्यक है कि कृषि श्रमिकों को, चाहे वे राज्य के हों, या राज्य से बाहर के, अधिसूचित न्यूनतम मज़दूरियों से कम मजदूरियां न दी जाएं।

(ग) राज्य सरकार की प्रेरणा पर किसानों और कृषि श्रमिकों में यह समझौता हुआ है कि नियोजन में स्थानीय श्रमिकों को तरजीह दी जाए और बाहर के श्रमिक केवल तभी लिए जाएं जब स्थानीय श्रमिकों की कमी महसूस की जाए। इस समझौते के कार्यान्वियन और साथ ही न्यूनतम मजदूरियों के भुगताने की भी निगरानी करने के लिए त्रिपक्षीय तालुका स्तर समितियां गठित की जा रही हैं।

ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद

296. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन में जाति भेद के विरुद्ध और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय और अन्य अश्वेत व्यक्तियों का दमन करने के विरुद्ध भी विश्व मत जागृत करने के बारे में प्रयास किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विदेश मंत्रालय की गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपनपाल दास) : (क) और (ख) : ब्रिटेन में जातीय तनाव की हाल की घटनाओं के बारे में भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के साथ निरन्तर संपर्क बनाए रही है। ब्रिटेन स्थित हमारा हाई कमीशन इस मामले में बंगलादेश तथा पाकिस्तान के लंदन-स्थित मिशनों के साथ संपर्क बनाए रहा है ताकि इस मामले में उनके दृष्टिकोण में तालमेल बैठाया जा सके।

ब्रिटेन की सरकार ने जातीय समानता की नीति के प्रति अपनी बचनबद्धता फिर दोहराई है। संशोधित जातीय संबंध बिल में, जो आजकल ब्रिटिश संसद के विचाराधीन है, जाति-भेद के विरुद्ध कठोरतर उपायों की व्यवस्था की गई है।

दक्षिण अफ्रीका की हाल की घटनाएं न तो नयी हैं और न अप्रत्याशित ही। अल्पसंख्यक जातिबादी सरकार द्वारा अश्वेत लोगों का शोषण करना और उनके प्रति जातीय भेदभाव बरतना दक्षिण अफ्रीका की जातीय पृथग्वासन की घृणित नीति का एक अभिन्न तत्व है।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में और अन्यत्र भी दक्षिण अफ्रीका की इस जातीय पृथग्वासन की नीति के विरुद्ध कई बार आवाज उठाई है। भारत एशिया के लिए अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को नैतिक तथा आर्थिक समर्थन दे रहा है। भारत सरकार जातीय पृथग्वासन के शिकार लोगों की सहायता के लिए तथा जातीय पृथग्वासन की नीति का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कोषों में आर्थिक अंशदान भी कर रही है।

बन्धक श्रमिक

297. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
श्री बयालार रवि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने बन्धक श्रमिकों का पता लगा है उनकी राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) राज्यवार कितने बन्धक श्रमिकों को लाभप्रद वैकल्पिक रोजगार दिया गया है ;

(ग) क्या यह कहा गया है कि वैकल्पिक रोजगार के अभाव में बहुत से मुक्त हुए बन्धक श्रमिक पुनः अपने पुराने मालिकों के पास चले गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) अब तक शिनाख्त किए गए बन्धक श्रमिकों की उपलब्ध राज्यवार संख्या :—

आन्ध्र प्रदेश	826
बिहार	581
कर्नाटक	33,584
मध्य प्रदेश	243
उड़ीसा	208
राजस्थान	4,974
तामिल नाडु (शिनाख्त किए गए 6000 पनियाज़ में से)	2,416
उत्तर प्रदेश	31,000

(ख) **राज्यवार उपलब्ध सूचना**—

आंध्र प्रदेश—675 बन्धक श्रमिकों को तलयारीज़ गांव को सेवकों के रूप में दूसरा लाभदायक रोजगार दिया गया और 23 को भूमि और गृह-स्थल दिए गए। शेष स्वतंत्र किए गए बन्धक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कलक्टर प्रभावी कार्रवाईयां कर रहे हैं।

बिहार—बन्धक श्रमिकों के 581 परिवारों के लिए 19 एकड़ भूमि को सुधार कर उन्हें दिया गया और उन्हें 36,114 रुपये की उधार राहत प्राप्त हुई है। 376 स्वतंत्र किए गए बन्धक श्रमिक परिवारों के साथ 376.65 एकड़ गैर माज़ारूआ भूमि का निपटारा हो गया।

उड़ीसा—3 को क्षेत्रीय विपणन सहकारी समितियों में नियोजित किया गया है।

राजस्थान—पुनः स्थापित किए गए 1394 बन्धक श्रमिकों को 6703 बीघे 11 बिस्बा कृषि भूमि आबंटित की गई है और 13 व्यक्तियों को राजस्थान नहर पर रोजगार दिया गया था। स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर और बड़ौदा बैंक द्वारा 28 व्यक्तियों को 32,400 रुपये का ऋण दिया गया है।

तमिल नाडु—432 परिवारों को कृषि योग्य भूमि दी गयी, 179 परिवारों को उपसंगी काश्तकारी सहायता दी गई। स्टेट बैंक आफ इंडिया ने कोएम्बाटोर जिले में 250 पूर्व बन्धक श्रमिकों को उत्पादक उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये मंजूर किए। स्वतंत्र कराये गए श्रमिकों का पुनर्वास कराने के लिए साउथ आर्कोटी जिले हेतु एक लाख रुपये की मंजूरी दी गई।

उत्तर प्रदेश—देहरादून जिले के स्वतंत्र किए गए 2498 बन्धक श्रमिकों को कृषि के लिए 2485.39 एकड़ भूमि और कृषि सम्बन्धी इम्पुट्स खरीदने के लिए 1,31,430 रु० की राशि के अग्रिम ऋण आवंटित किए गए और कृषि और पशु पालन के प्रयोजनों के लिए सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1,06,200 की राशि के अग्रिम भी श्रमिकों को दिए गए हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई उपलब्ध सूचना के अनुसार—इस प्रकार की शिकायतें/आरोप राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त नहीं किए गए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के लिए एक पृथक पारपत्र कार्यालय का प्रस्ताव

298. **डा० संकटा प्रसाद**
श्री लालजी भाई : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय पारपत्रों के लिए अनेक आवेदनपत्र क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, लखनऊ में अनिर्णित पड़े हैं ;

(ख) क्या लखनऊ स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मांग पूरी करने में असमर्थ है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश से बहुत अधिक आवेदन आते हैं और कार्य के आधिक्य के आधार पर मध्य प्रदेश के लिए एक पृथक क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता है; और

(घ) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के लिए एक पृथक कार्यालय खोलने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपनपाल दास) : (क) नये पारपत्रों के लिए आवेदनों की संख्या में तेजी से तथा यकायक वृद्धि हो जाने की वजह से बकाया मामलों की संख्या बढ़ गई है।

(ख) जी, नहीं। लेकिन, सरकार क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, लखनऊ को और मजबूत अवश्य कर रही है जिससे कि बढ़ती हुई मांग को शीघ्रता के साथ पूर्ण किया जा सके।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश से आने वाले काम की मात्रा फिलहाल इतनी नहीं जो वहां अलग से एक कार्यालय खोलने का औचित्य सिद्ध करती हो।

देश में क्षेत्रीय दूर-संचार केन्द्र

299. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कहां-कहां पर क्षेत्रीय दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्र (टेली-काम सेंटर) हैं, उनकी संख्या और नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक में कौन से मुख्य पाठ्यक्रम लिए जा रहे हैं;

(ख) क्या देश में दूर-संचार जाल के तीव्र विस्तार की दृष्टि से नये क्षेत्रीय दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो नये प्रशिक्षण केन्द्र कब तक खोले जायेंगे और उनके प्रस्तावित स्थल हैं?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) देश में अहमदाबाद, बंगलूर, बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, जबलपुर, मद्रास, (दूर संचार सर्किल), मद्रास (टेलोफोन जिला), मेरठ, नागपुर, नासिक, पटना, राजपुरा और त्रिवेन्द्रम् में 14 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में चलाये जाने वाले मुख्य पाठ्यक्रम जूनियर इंजीनियरों के लिये हैं। कुछ अन्य पाठ्यक्रम भी चलाये जाते हैं, जो अनुबंध-1 में दे दिये गये हैं।

(ख) इस समय, क्षेत्रीय दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित किये जाने वाले जूनियर इंजीनियरों आदि के लिये वर्तमान और प्रस्तावित दोनों ही प्रशिक्षण क्षमताएं पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना की शुरू की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्यापत हैं। इस लिये देश में अतिरिक्त दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र (आस्टी-टी-सी) खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

14 क्षेत्रीय दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्रों की भौगोलिक स्थिति और प्रत्येक दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्र में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रकार प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्रों की भौगोलिक स्थिति	चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रकार
1	2	3
1.	जबलपुर	1. सहायक मंडल इंजीनियर, तार (टेलीफोन), तार यातायात सेवा श्रेणी-II, तार यातायात सेवा श्रेणी-III, जूनियर ईंजीनियरों, वायरलैस आपरेटरों और वायरलैस टैक्नीशियनों आदि के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण।
		2. मंडल इंजीनियरों/सहायक इंजीनियरों/जूनियर इंजीनियरों के लिये स्विच रूम, क्रास बार स्विचिंग, माइक्रोवेव प्रणालियों, को-एक्सियल केबुलों, ट्रासिस्टर तकनीक, यू-एच-एफ, वी०-एच०-एफ०, क्रासवार स्थानीय एक्सचेंजों में रख-रखाव की तकनीक, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटरों के रख-रखाव, जे० ई० वायरलेस तकनीक आदि का पुनश्चर्या प्रशिक्षण।
		3. मंडल इंजीनियरों और उच्च अधिकारियों के लिये क्रासबार टैलीफोनों, को-एक्सिएल तकनीक माइक्रोवेव प्रणालियों आदि के अल्प अवधि के पाठ्यक्रम।
2.	त्रिवेन्द्रम्	1. जूनियर इंजीनियरों और तार यातायात सेवा श्रेणी-III के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण।
		2. सहायक इंजीनियरों/जूनियर इंजीनियरों/आटो एक्सचेंज सहायकों के लिये क्रासबार स्विचिंग का पुनश्चर्या प्रशिक्षण और एस०-डी०-ओ०-टी० पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
3.	कलकत्ता	1. जूनियर इंजीनियरों के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण।
4.	बंबई	2. सहायक इंजीनियरों/जूनियर इंजीनियरों/आटो एक्सचेंज सहायकों के लिये क्रासबार।
5.	मद्रास (टेलीफोन जिला)	स्विचिंग का पुनश्चर्या प्रशिक्षण।
6.	बंगलूर . .	1. जूनियर इंजीनियरों के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण।
		2. उप मंडल अधिकारियों/जूनियर इंजीनियरों के लिये ए०-सी०-एस०-आर० तार लगाने का प्रशिक्षण।

1	2	3
7.	मद्रास (दूर-संचार सर्किल)	1. जूनियर इंजीनियरों के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण। 2. जूनियर इंजीनियरों/टेक्नीशियनों के लिये हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटरों के रख-रखाव का पुनश्चर्या प्रशिक्षण।
8.	नागपुर	1. जूनियर इंजीनियरों के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण।
9.	अहमदाबाद	
10.	हैदराबाद	
11.	पटना	
12.	नासिक	
13.	मेरठ	
14.	राजपुरा	

इस्पात एककों में क्षमता का उपयोग

300. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में विभिन्न इस्पात एककों में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है तथा गत वर्ष की इसी अवधि में उपयोग की गई क्षमता से इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है, और

(ख) चालू वर्ष के लिए एकक बार उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) नीचे दी गई तालिका में वर्ष 1976-77 की प्रथम तिमाही में तथा गत वर्ष की इसी अवधि में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला तथा टिस्को और इस्को के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में क्षमता का उपयोग दिखाया गया है :—

कारखाना	1976-77 (अप्रैल से जून की अवधि) में क्षमता का प्रतिशत उपयोग	1975-76 (अप्रैल से जून की अवधि) में क्षमता का प्रतिशत उपयोग
भिलाई	94.2	77.6
दुर्गापुर	70.4	47.8
राउरकेला	83.9	55.8
टिस्को	91.7	89.1
इस्को	64.5	59.5
कुल	83.9	68.5

बोकारो इस्पात कारखाने में 17 लाख टन चरण की कुछ इकाइयां अभी चालू की जानी बाकी हैं।

(ख) वर्ष 1976-77 के लिए विक्रेय इस्पात के उत्पादन का कारखानावार लक्ष्य नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

कारखाना	1976-77 के लिए निर्धारित लक्ष्य
भिलाई	1830
दुर्गापुर .	825
राउरकेला . . .	1050
टिस्को	1500
इस्को	540
बोकारो	720
जोड़	6465

LOW WAGES TO LABOURERS BY CONTRACTORS ON WESTERN RAILWAY

301. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3392 on the 6th May, 1976 and state :

(a) whether the information has since been collected;

(b) if so, the features thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken in collecting the information?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) Information sought in Lok Sabha Unstarred Question No. 3392 related to the No. of companies contractors etc. who take contracts for unloading goods wagons on Western Railway, whether workers under these contractors were being paid poor wages etc. According to the information made available by the Ministry of Railways (Railway Board), 31 parties have been given goods, parcel, coal etc. handling contracts on the Western Railway. There have been no complaints to the Railways by the labourers employed by the handling contractors regarding low or less wages etc. by the contractors. Necessary provision has been made by the Railways in the relevant handling agreement which requires that the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 are to be complied with by the handling contractors.

कोंकण यात्री नौवहन सेवा

302. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की "मुगल लाइन्स" ने कोंकण यात्री नौवहन सेवा को बन्द करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग के माध्यम से उक्त नौवहन सेवा को चलाने की इच्छा व्यक्त की ; और

(ग) क्या महाराष्ट्र ने यह सुझाव दिया है कि नौवहन सेवा से होने वाली हानि का कुछ अंश गोवा भी वहन करे?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वह वित्तीय व्यवस्था जिसके अन्तर्गत सेवा के परिचालन में हुई हानि महाराष्ट्र और गोआ प्रशासन वहन करे उनके परामर्श से विचाराधीन है।

क्ले खानों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

303. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय:** क्या श्रम मंत्री 6 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3400 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'चाइना कले' और 'फायर क्ले' की तथा ऐसी ही अन्य खानों में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में विचाराधीन प्रारूप प्रस्तावों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख) निम्न श्रेणियों की खानों में रोजगारों के बारे में मजदूरियों की न्यूनतम दरों को निश्चित या पुनरीक्षित करने की अधिसूचनाएँ जारी कर दी गई हैं:—

चीनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सफेद मिट्टी, क्रोमियम, तांबा, जिप्सम, बाराइटीज़, बौक्साइट, मैंगनीज़ और अभ्रक।

निम्न श्रेणियों की खानों में रोज़गारों के बारे में न्यूनतम मजदूरियों को शीघ्र अधिसूचित करने की संभावना, है:—

तापसह मिट्टी, पत्थर, कायनाइट, स्टियटाइट (सैलखड़ी और, टैल्क सहित), गैरू और ऐस्बेस्टास।

भारतीय जहाजों में विदेशी माल का भेजा जाना

304. **श्री वसन्त साठे:** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीका तथा पश्चिम देशों की बड़ी बड़ी जहाज कम्पनियों ने यह निर्णय लिया है कि यदि उनके देश अपना माल भारतीय जहाजों द्वारा भेजेंगे तो वे अपने राष्ट्रीय जहाजों का बहिष्कार करेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी): (क) ऐसी कोई बात भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय शिशिक्षुता योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए शिक्षित बेरोजगार

305. श्री वयालार रवि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिशिक्षुता योजना से कुल कितने शिक्षित बेरोजगारों को लाभ मिला है तथा इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत शिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) व्यवसाय शिक्षुओं की संख्या (जिनकी निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं व्यवसायों के अनुसार पांचवीं स्टैंडर्ड से मैट्रिकुलेशन तक हैं) जून, 1975 के अन्त में, 69,236 थीं, जो बढ़कर 31-7-1976 को 1,40,688 हो गई। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०--11050/76]

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान अधिनियम के अधीन 12,864 स्नातक इंजीनियर और डिप्लोमाधारी भी शिक्षुओं के रूप में नियुक्त किये गए (राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है)।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०--11050/76]

(ख) 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद शिक्षु अधिनियम को पन्द्रह और उद्योगों तथा 43 नये व्यवसायों पर लागू किया गया है और इस प्रकार कुल मिलाकर 216 उद्योग और 103 व्यवसाय इसके अन्तर्गत आ गये हैं। इसी प्रकार स्नातक इंजीनियरों/डिप्लोमा शिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए अधिनियम के अधीन प्रशिक्षण के 57 क्षेत्र निर्दिष्ट किए गए हैं। शिक्षुता सलाहकारों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सभी निर्दिष्ट व्यवसायों में शिक्षुओं के लिए स्थान निर्धारित करें और अधिकतम स्थानों का उपयोग करें।

बाल श्रम को समाप्त करना

306. श्री आर० के० सिन्हा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 1973 के सम्मेलन में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजूरी कराना समाप्त करने की मांग की गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों एवं व्यवसायों में बालकों को रोजगार देने सम्बन्धी न्यूनतम मानक तथा सिद्धान्त निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय बाल संहिता के बारे में निर्णय करने के लिए, एक कार्यकारी दल गठित करने का निर्णय किया है; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के न्यूनतम आयु सम्बन्धी अभिसमय (अभिसमय 138) में अन्य बातों के साथ साथ और कुछ शर्तों और छूटों की शर्त पर, रोजगार या कार्य में दाखिल होने के लिए 12 से 18 वर्षों तक के बीच की न्यूनतम आयु की व्यवस्था है जो ऐसे रोजगार या कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) समाज कल्याण विभाग द्वारा बच्चों के रोजगार के सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है। कार्यकारी दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

मिलावट वाली औषधियों का निर्माण तथा बिक्री

307. **श्री शशि भूषण :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद मिलावट वाली औषधियों के निर्माण तथा उनकी बिक्री सम्बन्धी कितने मामलों का पता चला है ; और

(ख) ऐसे मामलों की राज्य-वार स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–11051/76**]।

"बेबी बूम" की समस्या

308. **श्री रेणुपद दास :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के समक्ष कभी "बेबीबूम" की ऐसी समस्या आई है जैसी यूरोप और अन्य देशों में 1965 के आस-पास पेश आई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस युवक समाज के लिये योजना बनाने तथा उनकी समस्याओं को हल करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस युवक समाज की जनसंख्या कितनी है तथा उन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, नहीं। यूरोप तथा अन्य देशों की भांति भारत के सामने "बेबी-बूम" की समस्या कभी नहीं आई। वास्तव में भारत में तो जन्मदर, जो 1961 में 41 प्रति हज़ार जनसंख्या थी, 1975 में घट कर 35 प्रति हज़ार रह गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ईरान के साथ सहयोग

309. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और ईरान के बीच अब तक कितना सहयोग हो सका है ; और

(ख) यह सहयोग कितना लाभप्रद रहा है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) (क) और (ख) भारत और ईरान के आपसी संबंधों की विशेषता है, मित्रता, समझ-बूझ और सहयोग। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत और ईरान की स्थिति एक-सी है। दोनों ओर से उच्च स्तर की यात्रा के कारण निरंतर एक विचार-विनिमय सम्भव हो सका है, और दोनों सरकारों ने अपनी यह इच्छा पुनः व्यक्त की है कि वे दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक विस्तृत तथा मजबूत करना चाहते हैं।

हाल के वर्षों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग तथा व्यापार तेजी से बढ़ा है। कुद्रेमुख परियोजना और ईरानी-हिंद शिपिंग कम्पनी भारत-ईरानी आर्थिक सहयोग के प्रमख उदाहरण हैं।

जहाज पर रहस्यमय मृत्यु

310. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को श्री साधन कुमार मिश्र, जिनकी 30 मई, 1973 को वरुण शिपिंग कम्पनी के जहाज "एम० टी० आर्यदूत" पर रहस्यमय मृत्यू हो गई थी, की पत्नी श्रीमती ज्योत्स्ना मिश्र से शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एम० वी० 'आर्यदूत' के चीफ इंजीनियर, स्वर्गीय श्री साधन कुमार मिश्र की पत्नी ज्योत्स्ना मिश्र से शिकायत प्राप्त हुई थी, परन्तु मामले में उन्होंने कोई जांच नहीं की और शिकायत को मूल रूप में 21-9-1974 की कार्यवाही करने के लिए इस मंत्रालय को भेजा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सांगली टेलीफोन एक्सचेंज

311. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सांगली टेलीफोन एक्सचेंज, महाराष्ट्र के लिये अन्य स्थान से 300 लाइनें लेकर 2100 से 2400 लाइनें करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि सामान्य प्रतीक्षा सूची में दर्ज अधिकांश व्यक्तियों को टेलीफोन मिल जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) सांगली एक्सचेंज में 600 लाइनों का आटो उपस्कर भेजने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

क्षय रोग से पीड़ित लोग

312. श्री एस० रामगोपाल रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है कि भारत में 80 लाख लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में क्षयरोग पर नियंत्रण के काम को कम प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि देश में क्षय रोग पर नियंत्रण करने संबंधी काम को कम प्राथमिकता दी गई है। देश में क्षय रोग को मुख रोगों में माना गया है और इसके नियंत्रण के लिए एक केन्द्र पोषित राष्ट्रीय कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये रखे गये कुल धन की उपलब्धता के हिसाब से क्षय रोग के नियंत्रण के लिए भी आवश्यक धन दिया जा रहा है।

शिक्षित बेरोजगार

313. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में इस समय शिक्षित बेरोजगारों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) शिक्षित बेरोजगारों के संबंध में यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना, जो कि संलग्न विवरण में दी गई है, 31-12-1975 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों (जो सभी अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या के संबंध में है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1032/76]

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, बिजली, उत्पादन, मुख्य सिंचाई प्रणालियों का कमान क्षेत्र विकास, लघु और मध्यम उद्योगों, समाज सेवाओं, व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य अनुसंगी एवं संबद्ध कार्यकलापों में योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके शिक्षित बेरोजगारों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जायेंगे। 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित युवकों के लिए, जिन में ग्रेज्युएट-इंजीनियर और डिप्लोमाधारी शामिल हैं, रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के अनेक उपायों में से एक उपाय शिक्षु योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करना है।

नये जहाज निर्माण यार्डों के स्थल

314. श्री अर्जुन सेठी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री 11 मार्च, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नये जहाज निर्माण यार्डों के लिये स्थानों का निश्चय करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): मामला अभी विचाराधीन है।

पड़ौसी देशों के साथ सुधरे हुए संबंधों का प्रभाव

315. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे सुधरे हुए संबंधों का साम्राज्यवादी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) एशियाई सुरक्षा के विचार को बढ़ावा देने और हिन्द महासागर को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने में इससे वातावरण कहां तक बन पाया है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत और चीन के बीच संबंधों का दर्जा बढ़ाकर राजदूत के स्तर का करने का और भारत तथा पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध पुनः स्थापित करने का आमतौर से सारे संसार में अच्छा स्वागत हुआ है और इस पर अनुकूल टिप्पणियां हुई हैं।

(ख) और (ग) ये बातें भारत की इस सुसंगत नीति के पूर्णरूपेण अनुरूप हैं कि अपने पड़ौसियों के साथ संबंध सुधारे और मजबूत किए जाएं जिससे कि एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता का पक्ष प्रबल हो जिसमें हिंद महासागर को शांत-क्षेत्र बनाना भी शामिल है।

पंजाब में 'छोटी माता' (चिकनपाक्स)

316. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब में 'छोटी माता' महामारी के फैलने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस महामारी के उन्मूलन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) छोटी माता एक मामूली संक्रामक बीमारी है और रोगी को अलग रखने के सिवाय इस बीमारी के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए और ऐसे कोई उपाय नहीं हैं जो बरते जा सकें।

छोटी माता महामारी से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अन्तर्गत अस्थायी विनियमावली लागू की है । इस रोग को अधिसूच्य रोग के रूप में घोषित कर दिया गया है और निरीक्षण अधिकारियों को पूछताछ करने, निरीक्षण करने और जांच पड़ताल करने तथा छोटी माता से ग्रसित किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अलग रखने के अधिकार दे दिए गए हैं।

पोर्टो रीको में आर्थिक शिखर सम्मेलन

317. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1976 में पोर्टो रीको में आयोजित आर्थिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमरीका ने भारत को आमंत्रित किया था; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जी, नहीं। अमरीका नें पोर्टो रीको में जून 1976 में आर्थिक शिखर सम्मेलन बुलाया था जिसमें पश्चिम यूरोप के कई औद्योगीकृत देश, जापान तथा कनाडा आमंत्रित थे। किसी विकासशील देश को भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।

प्रधान मंत्री की जर्मन जनवादी गणतन्त्र की यात्रा

318. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की जर्मन जनवादी गणतंत्र की यात्रा से दोनों देशों की मित्रता कितनी मजबूत हुई है ; और

(ख) यात्रा के अंत में की गई संयुक्त घोषणा की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) प्रधान मंत्री की जर्मन जनवादी गणतंत्र की यात्रा से दोनों देशों के बीच मित्रता, समझ-बूझ और सहयोग के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

(ख) यात्रा के अंत में जारी की गयी संयुक्त विज्ञप्ति की विशेष बात है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में दोनों देशों के दृष्टिकोण की समानता या निकटता और द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को और अधिक विकसित तथा विस्तृत करने की उनकी इच्छा।

आंन्ध्र प्रदेश में सोने के निक्षेप

319. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सोने के नये निक्षेपों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इन निक्षेपों को निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) चित्तूर जिले के मालप्पाकोंडा इलाके में दो वृत्तों में 100 और 400 मीटर की लम्बाई में दो बोरिंग छिद्रों में सोना पाया गया है। एक बोर-छिद्र में 1.24, 1.24 तथा 2.33 मीटर चौड़ाई वाले तीन वृत्त हैं जिनमें क्रमशः 12.34, 5.68 तथा 5.09 ग्राम प्रति टन चट्टान स्वर्ण मात्रा है। दूसरे छिद्र में अनेक पतले वृत्त पाए गए हैं जिनमें 0.5 से 5.6 ग्राम प्रति टन चट्टान के बीच स्वर्ण मात्रा है। खोज कार्य अभी चल रहा है इसलिए इस समय इस धातु की खुदाई का सवाल नहीं उठता।

जनशक्ति की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण

320. **श्री धामनकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग की जनशक्ति की आवश्यकताओं तथा श्रम शक्ति संबंधी अवरोधों को दूर करने और युवाओं को उत्पादक रोजगार में लगाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ऐसा अध्ययन किया गया है तथा निर्धारण किया गया है और इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस प्रकार किया गया अध्ययन तथा सर्वेक्षण उचित उपचारात्मक कार्यवाही करने में कहां तक सहायक होगा ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) दन्त वाला समिति की सिफारिशों के अनुसरण में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय 1972 से औद्योगिक सर्वेक्षण कर रहा है । इन सर्वेक्षणों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं ;

(i) विशिष्ट उद्योगों में, जो कि विकास और रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जनशक्ति संबंधी स्थिति का अध्ययन करना; और

(ii) इन उद्योगों की जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, ताकि रोजगार की उत्पादनकारी दिशाओं में युवकों को मार्गदर्शन दिया जा सके और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके । अब तक तीन उद्योगों, अर्थात् उर्वरक, दवाई और औषध निर्माण तथा सीमेंट का अध्ययन किया जा चुका है । इन अध्ययनों से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चलता है कि आगामी कुछ वर्षों के दौरान इन उद्योगों में अतिरिक्त जनशक्ति की वार्षिक आवश्यकता इस प्रकार होने की संभावना है ;

उर्वरक	4000
दवाई और औषध निर्माण	24000
सीमेंट	3,300

इन रिपोर्टों को उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए अन्य पक्षों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जनशक्तियोजना से संबंधित संगठनों को भी भेजा जा चुका है ।

कर्नाटक में सन्देशों का द्रुत प्रेषण

321. श्री के० मालन्ना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में संदेशों के द्रुत प्रेषण और विलम्ब को कम करने हेतु एक नई योजना लागू की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) प्रतियोगिक आधार पर एक योजना चलाने का प्रस्ताव है । इस योजना के अन्तर्गत कर्नाटक सर्किल में टेलीप्रिंटर कन्सेन्ट्रेटर चालू करना है । तथापि, यह कोई नई योजना नहीं है । कुछ तार घरों में टेलीप्रिंटर मशीनों और जगह की बचत करने के लिए टेलीप्रिंटर कन्सेंट्रेटर बोर्ड स्थापित किये जायेंगे ।

भारत-सोवियत रूस जहाज सेवा समझौता

322. मौलाना इसहाक सम्भली / श्री डी० बी० गौडा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओडेसा और नई दिल्ली में भारत तथा रूस के जहाजरानी मंत्रियों ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) भारत और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच नयी दिल्ली में दोनों देशों के नौवहन प्रभारी मंत्रियों ने व्यापार नौवहन पर एक संशोधित करार पर हस्ताक्षर किये। ओडेसा में मंत्री स्तर पर ऐसा कोई करार नहीं हुआ।

(ख) व्यापार नौवहन पर नया करार प्रभावी होने पर, 1956 में हुए वर्तमान करार का स्थान ले लेगा। इससे कुछ देशों में उन पत्तनों को छोड़कर जहां विदेशी जहाजों और सामान्य माल के अतिरिक्त सूखे और तरल माल का प्रवेश निषेध है, सोवियत संघ में सभी पत्तनों से भारतीय पत्तनों को माल ले जाने और भाड़ा कमाई में समता और समानता के आधार पर माल का परिवहन होगा। करार में एक देश के जहाजों को दूसरे देश के पत्तनों पर अति अनुग्रहीत राष्ट्र का सा व्यवहार करने, नाविकों को सुविधाएं आदि से संबंधित सामान्य अनुच्छेदों के अतिरिक्त इसके कार्यकरण की देखरेख के लिए एक अन्तर सरकारी मशीनरी की स्थापना करने के लिए उपबन्धों का भी उल्लेख है।

उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी प्रथा की समाप्ति

323. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी में मनेरी मालीपन बिजली परियोजना में व्याप्त बंधुआ मजदूरी प्रथा की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) वन्धक श्रमिक प्रणाली 25 अक्तूबर, 1975 से केन्द्रीय कानून द्वारा पहले से ही समाप्त कर दी गई है।

दिल्ली के अस्पतालों में सामाजिक कार्यकर्ताओं का दर्जा

324. श्री वीरेन्द्र सिंह राव / श्री रानेन सेन : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री दिल्ली/नई दिल्ली के अस्पतालों में सामाजिक कार्य कर्ताओं के बारे में 11 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 422 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली/दिल्ली के अस्पतालों में सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या सामाजिक कार्यकत्ताओं का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) सरकार का निर्धन व्यक्तियों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है जो प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की मुख्य जिम्मेदारी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) दिल्ली नगर निगम में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) में भी एक और सामाजिक कार्यकर्त्ता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) रोगियों की हालत सुधारने के लिये सरकार ने अस्पताल में भर्ती रोगियों को और अच्छी सुविधायें देकर और संध्याकालीन बाहरी रोगी विभाग खोलकर ओ० पी० डी० की सुविधायें बढ़ाने जैसे अनेक कदम उठाये हैं।

एल्युमिनियम का उत्पादन

325. **श्री यमुना प्रसाद मन्डल**
श्री के० एम० मधुकर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एल्युमिनियम का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) (क) और (ख) हमारा उद्देश्य सदा से स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करके एल्युमिनियम उत्पादन बढ़ाने का रहा है। किन्तु एल्युमिनियम प्रद्रावकों पर 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान लागू भारी बिजली कटौतियों के कारण उत्पादन कम रहा।

1975 की पहली छमाही में एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित समस्यओं के व्यापक अध्ययन के फलस्वरूप 15 जुलाई, 1975 को एक समेकित एल्युमिनियम नीति लागू की गई थी, जिसमें एल्युमिनियम उद्योग के लिए युक्तिसंगत बिजली दर (टैरिफ) का भी समावेश था। इस नीति के अनुसरण तथा अनुकूल मानसून से अधिक बिजली उत्पादन के फलस्वरूप 1975-76 में एल्युमिनियम प्रद्रावकों को बिजली पूर्ति की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ, जिससे एल्युमिनियम प्रद्रावकों में क्षमता का उपयोग बढ़कर 88 प्रतिशत हो गया और उस वर्ष एल्युमिनियम के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

पोलैण्ड के साथ समझौता

326. **चौधरी राम प्रकाश**
श्री रामावतार शास्त्री : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पौलैंड के साथ समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इससे क्या-क्या लाभ होने की **संभावना** है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए भारत-पोलिश संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक के बाद, जो वारसा में 30 मई, से 8 जून, 1976 तक हुई थी, एक प्रोटोकोल सम्पन्न हुआ था।

(ख) भारत में कोयले की खानों के विकास एवं आधुनिकीकरण में और अधिक सहयोग करने पर भारत और पौलैंड में सहमति हुई है। पोलिश सरकार तकनीकी और उच्चतर अधीक्षण कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था में, कोयला साफ करने के कारखानों के डिजाइन तैयार करने और उन्हें विकसित करने में तथा खान सुरक्षा एवं बचाव संगठनों की स्थापना में सहायता करेगी।

(ग) जहां तक औद्योगिक सहयोग का प्रश्न है, जिन क्षेत्रों के बारे में सहमति हुई उनमें रासायनिक उद्योग, मस्त्य संसाधन संयंत्र, भवन-निर्माण-सामग्री उद्योग, इलैक्ट्रानिक्स• और दूर संचार सामग्री शामिल है। दोनों पक्षों ने तीसरे देश में सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया, विशेषकर मशीन औजारों के क्षेत्र में। इस बात पर भी सहमति हुई कि पौलैंड द्वारा भारत को विशेष प्रकार के जलयान सप्लाई किए जाने के बारे में संविदाएं सम्पन्न की जाएं।

उड़ीसा में "दनदन" श्रम पद्धति का उन्मूलन

327. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा में चल रही "दनदन" श्रम पद्धति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसी पद्धति का उन्मूलन करने के लिये क्या कार्यावाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

Prime Minister's Visit To U. S. S. R.

328. **Shri Ramavatar Shastri**
Shri C. K. Chandrappan : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether our Prime Minister's visit to Soviet Union during the month of June had been a remarkable success;

(b) whether any new agreement has been reached to strengthen mutual friendship and to intensify co-operation between the two countries; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c)The understanding reached about the further steps to be taken to strengthen mutual friendship and co-operation is expressed in the Indo-Soviet Joint Declaration issued on the conclusion of Prime Minister's visit. Its salient features are determination of the two sides to continue and intensify the already strong tradition of meetings between the leaders of the two countries, economic co-operation, trade, scientific and technical co-operation and co-operation in other spheres such as culture, art, literature etc.

पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सहयोग

329. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में हुई हाल की वार्ता से समझौते का समुचित वातावरण बना है;

(ख) क्या इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच लाभदायक सहयोग का काल आरंभ हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान के बीच 12 मई, से 14 मई, 1976 तक इस्लामाबाद में हुई बातचीत के फलस्वरूप एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें दोनों देशों के बीच संचार-व्यवस्था पुनः शुरू करने, व्यापार संबंधों को बढ़ाने तथा राजनैयिक संबंधों की पुर्नस्थापना की व्यवस्था है। रेल सम्पर्क और वायु सम्पर्क एवं ऊपरी उड़ानों को पुनः चालू करने से संबंधित करारों पर क्रमशः 28 जून, और 16 जुलाई, 1976 को हस्ताक्षर हुए। 15 जुलाई, 1976 से निजी क्षेत्र को दोनों देशों के बीच व्यापार में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई। दोनों देशों के राजदूतों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लिया है।

भारत सरकार को आशा है कि शिमला करार को क्रियान्वित करने की दिशा में ये जो कदम उठाये गए हैं उनसे दोनों देशों के बीच लाभदायी सहयोग का विकास होगा।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निदेशक के मलेरिया के मामलों के बारे में मत

331. **श्री समर मुकर्जी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निदेशक डा० एस० पटनायक के अनुसार मलेरिया के मामलों को 1967 के स्तर पर लाने संबंधी कार्यक्रम पर 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे जबकि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कुल बजट केवल 57 करोड़ रुपये का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) तथा (ख) जी हां, सरकार ने उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत विशिष्ट नियंत्रण की योजना के जरिये मलेरिया पर काबू पाने की एक संशोधित योजना तैयार करली है।

विशाखापत्तनम तथा कलकत्ता में शुष्क पत्तन

332. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग तथा नौवहन मंत्रालय ने विशाखापत्तनम और कलकत्ता के दो पत्तनों पर केन्द्रित जहाज निर्माता उद्योगों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विशाखापत्तनम तथा कलकत्ता में एक एक नया शुष्क पत्तन बनाने संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) इन दो प्रस्तावित शुष्क पत्तनों का निर्माण कार्य संभवतः कब तथा किस तारीख को आरंभ किया जा सकता है और प्रत्येक पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) प्रस्तावों की अभी जांच की जा रही है। विशाखापत्तनम में एक जहाज मरम्मत कम्पलैक्स के निर्माण के लिए लागत लगभग 40 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है और कलकत्ता में सूखी गोदी के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए निर्माण में लगने वाला समय परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद ही बताया जा सकता है।

टेलीफोन लाइनों के लिए कनाडा से पुरानी केबलों का आयात

333. **श्री रानेन सेन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कनाडा से टेलीफोन लाइनों के लिए पुरानी केबलों का आयात किया गया है जो भारतीय स्थितियों के अनुकूल नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) निर्माता के अहाते में आवश्यक परीक्षण कर लेने के बाद और स्वीकृत विनिदेशों के अनुसार 1971 और 1972 में दिए गए आर्डरों पर कनाडा से केबुल आयात किए गए थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उप-विदेश मन्त्री द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा

334. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-विदेश मंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के चार देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने के नये रास्ते ढूंढने के लिए इन देशों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इन देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :(क) और (ख), जी हां, उप विदेश मंत्री ने 15 जून और 24 जून 1976 के बीच थाइलैण्ड, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपीन्स की यात्रा की थी । इन देशों के नेताओं से विचार विमर्श के दौरान उप विदेश मंत्री ने इस क्षेत्र की घटनाओं के बारे में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर बताचीत की । इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ करने के विषय में विचार विमर्श हुआ।

(ग) द्विपक्षीय संबंधों को, विशेष रूप से आर्थिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में और अधिक विकसित करने की भारत की इच्छा का इन देशों ने स्वागत और समर्थन किया ।

जनवरी से मई, 1976 तक खानों में दुर्घटनाएं

335. **श्री रोबिन सेन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से मई, 1976 के बीच खानों में 70 दुर्घटनाएं हुईं,

(ख) यदि हां, तो कुल कितने श्रमिक हताहत हुए ;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :(क) और (ख) जनवरी से मई 1976 तक के दौरान कोयला खानों में 88 घातक दुर्घटनाएं हुई जिन के कारण 107 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 13 अन्यों को गम्भीर चोटें आई और गैर-कोयला खानों में 34 घातक दुर्घटनाएं हुई जिन के कारण 42 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 4 अन्यों को गम्भीर चोटें आयीं । (दिए गए आंकड़े अनंतिम हैं तथा इन में संशोधन किया जा सकता है) ।

(ग) छत का गिरना, पार्श्वों का गिरना, मशीनें और उत्स्फोटक इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण थे ।

(घ) सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) कोयला खानों में छतों और साइडों के गिराव के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में भारत में मुख्य खान निरीक्षक द्वारा किए गए विशेष अध्ययन की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए सम्मिलित अभियान।

(2) दुर्घटना अधोवृत्त खानों के सर्वेक्षण और निवारक उपायों के अभिनिर्धारण के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय में एक दुर्घटना जांच सेल की स्थापना।

(3) खानों के और अधिक निरीक्षण करने की व्यवस्था करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षण संबंधी स्टाफ़ की संख्या में क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार संवर्धन।

(4) जिन शक्य क्षेत्रों/खानों को बाढ़ के खतरे की सम्भावना है, उनके अभिनिर्धारण के लिए विशेष अभियान चलाना तथा इस प्रकार के क्षेत्रों की बंदी सहित आगामी आवश्यक कार्यवाही करना।

(5) खानों के नियमित निरीक्षण के दौरान खानों में सुरक्षा के बारे में लगातार बल।

(6) काम पर जाने वाले श्रमिकों को निजी सुरक्षा की मूल आदतों के बारे में याद दिलाने के लिए कई खानों में सुरक्षा संबंधी काल की प्रणाली रायज करना।

(7) सुरक्षा चेतना की भावना को जीवित रखने के लिए सभी खनन क्षेत्रों में सुरक्षा सप्ताह आयोजित करना।

लोहा/इस्पात का आयात

336. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या वर्ष 1975-76 तथा 1976 में जून, 1976 तक लोहे अथवा इस्पात का कोई आयात किया गया, और

(ख) यदि हां, तो यह आयात किन-किन देशों से किया गया तथा उसका मूल्य कितना था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) वर्ष 1975-76 अथवा अप्रैल-जून, 1976 के दौरान कच्चे लोहे का आयात नहीं किया गया था। इस्पात का आयात हीं किया जाता रहा है।

माध्यम अभिकरणों-सेल इंटरनेशनल लि० तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया गया इस्पात का आयात इस प्रकार है :—

	1975-76	अप्रैल-जून 1976
	मूल्य करोड़ रुपये	मूल्य करोड़ रुपये
सेल इन्टरनेशनल लि०	74.93	14.02
खनिज तथा धातु व्यापार निगम	23.54	4.63

आयात मुख्यतः जापान, यू० के०, अमरिका, बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, स्वीडन, आस्ट्रिया, चेकोसलोवाकिया, पोलैंड तथ' सोवियत रूस से किया गया है।

4—595LSS/76

केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशी दौरे

337. **श्री अमर सिंह चौधरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार के बहुत से मंत्रियों ने विदेशों की यात्रा की है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों की; और

(ग) वहां पर किस प्रकार की वार्त्ता हुई और उसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क), से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

नये इस्पात संयंत्रों में जनशक्ति की आवश्यकतायें

338. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) इस समय वर्तमान इस्पात संयंत्रों में कितनी फालतू जनशक्ति है, और

(ख) क्या नये इस्पात संयंत्रों में जनशक्ति का अनुमान लगाते समय वतमान इस्पात संयंत्रों में फालतू जनशक्ति पर भी विचार किया जायेगा और ऐसे लोगों को नये इस्पात संयंत्रों में भेज दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कुछ समय पूर्व हिन्दुस्तान स्टील लि० के इस्पात कारखानों में किए गए अध्ययनों से पता चला था कि इनका कारखानों में कार्य के मापदण्डों को देखते हुए काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या मामूली सी ज्यादा थी । तब से लेकर स्थिति में लगातार परिवर्तन होता रहा है । जबकि कुछ मामलों में नया काम आ जाने तथा नई इकाइयों की स्वीकृति से अथवा अन्यथा श्रम-शक्ति की आवश्यकता बढ़ गई है दूसरे कुछ मामलों में श्रम-शक्ति आवश्यकता से अधिक है। कारखाने के प्रबन्ध फालतू कर्मचारियों को वर्तमान तथा नई रिक्तियों में काम पर लगाने के लिए यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ।

(ख) यद्यपि किसी निश्चित समय में आवश्यकता से अधिक पाए गए कर्मचारियों के मालले पर नए इस्पात कारखानों की श्रम-शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विचार किया जा सकता है तथापि उनको नए कार्यस्थलों पर ले जाना, भर्त्ती की नीति, सम्बन्धित कर्मचारियों की रजामन्दी, मजदूर संघों के रवैए इत्यादि जैसी कई बातों पर निर्भर करेगा ।

न्यू मंगलोर पत्तन के लिए पत्तन न्यास

339. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय:** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मंगलौर पत्तन के लिए कोई पत्तन न्यास नहीं है ;

(ख) क्या इस समय न्यू मंगलौर पत्तन के प्रशासन की व्यवस्था राज्य के एक अधिकारी कर रहे हैं ; और

(ग) क्या इस पत्तन के उचित कार्यकरण और श्रमिकों के हित के लिए एक पत्तन न्यास बनाने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) नव मंगलौर पत्तन में अभी पत्तन न्यास नहीं बना है ।

(ख) चीफ इंजीनियर और प्रशासन कर्नाटक सरकार से भारत सरकार के पास प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी हैं ।

(ग) नव मंगलौर पत्तन में पत्तन न्यास बोर्ड बनाने का सामान्य प्रश्न विचाराधीन है, परन्तु श्रमिकों का हित विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन संरक्षित है और यह आवश्यक नहीं है कि श्रमिकों के हित के संरक्षण के लिये पत्तन न्यास बनाया जाए।

एक दूसरे से होने वाले संक्रामक रोग (क्रास इन्फेक्शन) के मामले

340. **श्री राजदेव सिंह**
सरदार मोहिन्दर सिंह गिल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा हाल में किये गये अध्ययन से अस्पतालों में एक दूसरे से होने वाले संक्रामक रोगों के अत्यधिक मामलों का पता लगा है ;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने एक प्रमुख विषाणु रोग का पता लगाया है जो कि जापानी एंसेफलाटिस रोग की भांति खतरनाक स्थिति प्राप्त कर गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि प्रगतिशील देशों की तुलना में आपरेशनोपरान्त संक्रमण भारत में अधिक होता है।

(ख) जी हां ।

(ग) इस बीमारी को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार आवश्यक कदम उठा रही है।

डी० डी० टी० के मूल्य में वृद्धि

341. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कीटनाशी औषधियों के बढ़ते हुए मूल्यों से उनके छिड़काव के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या डी० डी० टी० का मूल्य, जो कुछ वर्ष पूर्व 3000 रुपये प्रति टन था, अब बढ़ कर 9000 रुपये प्रति टन हो गया है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां, कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है ।

(ख) डी० डी० टी० के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह इस प्रकार है :—

	प्रति मौट्रिक टन पुरानी दर	प्रति मौट्रिक टन नई दर
	रुपए	रुपए
डी० डी० टी० 50% डब्ल्यू० डी० पी०	3240	6550
डी० टी० टी० 75% डब्ल्यू० डी० पी०	3820	9300

(ग) सरकार ने मलेरिया पर काबू पाने के लिए एक संशोधित योजना तैयार की है। सरकार ने देश में डी० डी० टी० का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ाने का भी निर्णय लिया है ।

मेडिकल शिक्षा

342. **श्री पी० गंगादेव : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैडिकल विद्यार्थियों के लिए एक नया कार्यक्रम लागू किया जा रहा है जिससे कि एम० बी० बी० एस० डिग्री देने से पूर्व अपना "इन्टर्नशिप" की अवधि उप-प्रभाग और ताल्लुक अस्पतालों में व्यतीत करें,

(ख) क्या मैडिकल कालेजों को निदेश दिया जायेगा कि वे इस बारे में नियम बनायें, और

(ग) ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवा समूह के साथ अखिल भारतीय समेकित मैडिकल शिक्षा स्थापित करने के लिए क्या ठोस उपाय किये गये हैं किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) स (ग) चिकित्सा शिक्षा तथा सहायक जन शक्ति पर इस दल की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कार्यवाही योजना के अनुसार देश में प्रत्येक मैडिकल कालेज को शुरू में एक जिले के कम से कम तीन खण्डों की संवधिक, निवारण तथा आरोग्यकर स्वास्थ्य देख भाल की पूरी जिम्मेवारी दी जानी चाहिये परन्तु इतनी गुंजाइश होनी चाहिये कि तीन या पांच वर्षों की अवधि में चरणवार पूरे जिले को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा सके । इन मैडिकल कालेजों में इन्टनर्स का प्रशिक्षण जो कि

सम्पूर्ण रेफरेल-सेवा-कम्पलैक्स का शीर्ष होगा, मैडिकल कालेज अस्पतालों से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ताल्लुक सब-डिवीजनल तथा जिला अस्पतालों में चलाया जाएगा। संशोधित प्रशिक्षण कार्यक्रम को 1977 के सत्र से ही आरम्भ करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद से कहा है कि वे शैक्षिक पाठ्यचर्या की पुनर्संरचना के लिए एक समिति नियुक्त करें ताकि चिकित्सा शिक्षा में सामुदायिक चिकित्सा के प्रति अनुकूल झुकाव प्राप्त हो तथा वर्तमान नियमों/विनियमों में आवश्यक परिवर्तन किये जाएं जिससे कि मैडिकल कालेज नई पद्धति को अपना सकें।

अतः चिकित्सा शिक्षा में वांछित परिवर्तन लाने तथा उनको लागू करने की क्रियाविधि के प्रश्न पर विचार करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् ने एक उप-समिति का गठन किया। परिषद् की कार्यकारिणी समिति उपसमिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्यवाही-योजना को 15 अगस्त, 1976 से पहले लागू करने के लिए कदम उठायें।

बड़े परिवारों को हतोत्साही करना

343. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन राज्यों ने बड़े परिवारों के लिए हतोत्साहन की घोषणा की है,

(ख) ये हतोत्साहन किस प्रकार के हैं,

(ग) क्या ये हतोत्साहन जनसंख्या सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हैं, और

(घ) क्या इन हतोत्साहनों के बारे में राज्य सरकारों ने केन्द्र की स्वीकृति ले ली है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) भारत सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटनक, गुजरात, हरियाणा, पंजाब बिहार, राजस्थान, और मध्य प्रदेश राज्यों और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र ने अनियन्त्रित प्रजनन क्षमता पर काबू पाने के लिए हतोत्साहन के कुछ उपायों की घोषणा की है।

(ख) राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों ने हतोत्साहन की अपनी योजनायें बना ली हैं जो प्रधानतया इस प्रकार हैं––प्रसूति छुट्टी, विभिन्न प्रयोजनों के लिये कर्जों/पेशगियों, आवास/भूमि खण्डों के आवंटन निःशुल्क चिकित्सा, बच्चों के लिये निःशुल्कता शिक्षा भत्ता आदि सुविधाओं से वंचित करना तथा उन सरकारी कर्मचारियों और जनता के सदस्यों को, यथा स्थिति, नौकरियों से वंचित रखना जो बच्चों की निर्धारित संख्या तक अपने परिवार को सीमित नहीं कर पाते अथवा नसबन्दी आपरेशन नहीं करवाते।

(ग) 16 अप्रैल, 1976 को घोषित की गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार, जिसकी एक प्रति लोकसभा की मेज पर रखी जा चुकी है, यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक राज्य जैसा आवश्यक और या उपयुक्त समझे अपनी इच्छानुसार अपने कर्मचारियों और नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर मकानों का आवंटन करने तथा ऋण आदि देने के उपाये कर लें। राज्य सरकारों द्वारा जो जो उपाये किये गये हैं वे मोटे तौर पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की भावना और संकल्प के अनुरूप है।

(घ) को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

BENEFITS OF LEAVE TO WORKERS OF DHABAS IN DELHI

344. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the workers engaged by the "dhabas" in Delhi have to work for whole of the week and are given any leave; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government against the proprietors of the "dhabas" in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) According to Delhi Administration, it is not a fact that the workers engaged by the "dhabas" in Delhi are not given weekly holidays. The Administration has been taking appropriate action on receipt of complaints in this regard. Special inspections have also been made a number of times and action taken against the defaulting managements.

प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्डों में उप डाकघरों का खोला जाना

345. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से सामुदायिक विकास खंड हैं जहां विकास क्षेत्र में एक भी उप डाकघर नहीं है; और

(ख) क्या उन क्षेत्रों में उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दे दी गई है।

(ख) कुछ इलाकों में उप डाकघर खोलने के प्रस्तावों पर संबंधित पोस्टमास्टर जनरल विचार कर रहे हैं।

विवरण

देश के ऐसे सामुदायिक विकास खंडों के नाम प्रदर्शित करने वाला विवरण-पत्र, जिन के इलाके में एक भी उप डाकघर नहीं है।

सर्किल का नाम	सामुदायिक विकास खंडों के नाम
1	2
1. आन्ध्र सर्किल	कोय्यारू, गुडूर, पडाईपेंटा ।
2. बिहार . . .	धरौया, सनूना, दारापुर, अलाली, टुंडी, कल्याणपुर, दुमारसिया, तालघर, बूरिया, पाकुरिया, सुन्देरा पहाड़ी, बोरीपुर, कुंडाहाट, नारायणपुर, मसालिया, काठकुंड, जावा, मोहनपुर, मुसहरी, मोराउल, मीनापुर, नामपुर, पिपराही, कल्याणपुर, पहाड़पुर, नरकटिया, नौटियान, नीमदीह, गोविंदपुर, नाजोहगुन, हरसेन, रजना, एरीनो, हांसी, जयनगर, हरतारगंज, नवादीह, मांडू, बहादुरपुर, सिंगवाड़ा, घनश्यामपुर, हरला, गिनीघाट, करकट, अधूरा, कृदियानंद नगर, आमोर,

1	2
	रुकांली, प्लासी, सिकती, भारगडेना, दिघालडोऊ, कोरगुहा, हालका, बलरामपुर, कादरा, श्राजीन-नगर, प्राणपुर, श्रमदाबाद, मरोना, बहादुरपुर, गाफघाट, बुर्नू, श्रांग्रा, सोनास्ता, बोलदा, जलडेगा, कंगूरा, तामर, ईर्की, चैनपुर, मेराल, भनबारिया, मनीका, गारू, घुर्की, भवियाँव दुराया, भगवानपुर, लिटीपारा, गांपी कंडार पौथाना, सिधाव, कुसी, मारकोयल, केरीदारी, देगली, कटकंफेंडी, गुरेहू, मांडू, हौलाती, पैरारिंग, नौहाथा, कोचनकौन, तिरहागची, सेनहा, भागर, किस्को, चांचू, रानिया ।
3. उत्तर पश्चिमी सर्किल	पांगी, सलूनी ।
4. उत्तर पूर्वी सर्किल	बोरोबाजार, श्रीजंगराम, बालीजना, माउक्वेव, बेता-सिंह, चाकपोट, मावकेल्वत, मारयंगनेंग, थडलासकेंग जिकजिक, सलसेला, रोनग्राम, एबक, रेंन, फैलेंग, नगोपा, बुंधामुन, लुंगसल, सांगो, चावगटे, थिंगसुलथिलियन, टुइपोंग, कालाकंग, वाकुरा, हवाई, देतान, ताली, पालिन, दोइमुख, राया, सगाली, कोलोरिंग, सरली, दुमपोरिजो, नाचो, तलीहा, लीथोमोरा, गेंसी, इंकियोंग, मरियांग, बालेंग, मेबो, लोंगडिंग, नमसांग, लाजू, पोंगचू, नेफरा, कालाकटंग, लूमला, चयाटांजो, बामेंग, थनलोंन, तिपाईकुख, हेंगलेप, साइकुल, चिघई, पुंगार, कामजोंग, चसाद, वाशामुखुलेन, खारोंग, सेपाल, सावमबुंग, वांगोई, टेनगनोपाल, किकरूमा, बाघटी, मोंकुलेम्बा, वांचिंग, लोंगलेन, समातौर, किफेरी, नोकलाक ।
5. उड़ीसा सर्किल . .	कोसागुमुडा, नंदाहांडी, कुन्द्रा, गोविंदपल्ली, कुडुमुडुगुमा, लम्पटापुट, कोलनारा, चन्द्रापुर, सनाखेमुंडी, थुमाल रामपुर, लांजीगढ़, कारलामुड्दा, गोलामुंडा, कीमन, बोदान, रासगोविंदपुर, तिरिंग, कुसुमी, बंसपाल, हाटाडिही, धनकाड़ा, लखनपुर, मक्तीदेउल, मंकुल, जमाई केरा, गोविंदपुर, गुरुंदिया, कनकाडाहड ।
6. राजस्थान सर्किल .	सहारा, उमरेन, भाकिया ।
7. उत्तर प्रदेश सर्किल . .	खदौली, भरौली, छेरागांव, सुहेलगंज, छानिया, पाली, पनियारी, पिपरौली, चमारवा, सदनगर, पनासा, गणे-स्वरी, भगतपुर, टांडा, दलवंतपुर, पारधा, तहाबरपुर,

1	2
	बिर्धा, बामोरे, बानरा, मनेवा, अखंडनगर, इंदुनगर, लमगारा धौलेचिना, धौलीदेवी, नंदगांव, चामुहान, कुदाराह, नरखोरिया, संथा, बांकटी, सेमागियावान, मिथवाल, चानवापुर, बिक्रमजोत, बाघोली, बहादुरपुर, जोगियासोनघाट, नाथनगर, खोइयावान, कालिया, रामगढ़, बारहपुर, भागेन नगर, मदनपुर, तख्याम अलीऊ, आजमगाबाद, खैरगढ़, जलीलपुर, कासिमपुर, गढी, बेहता, पाहला, सौधना, साकरन, इमालिया, सुल्तानपुर, पासेंडी, तंडियावन, सिसरा, बावन, टोडरपुर, कोथुवा, भारखनी, फूलबिहार, बिजुवा, नाकहा, पासगावन, रमियाबिहार, भावरकोल, मैयाव, कुदारचौक, समरेर, सलारपुर, धगावन, जुनावी, मिर्जापुर, भाटपुरा, बैहता, हसेनरेम, तालग्राम, बिसराखंड, आनिया, हनुमानगंज, बैलहारी, दुभार, मुरली, छपरा, पांडाह, बीरपुरवा, भंकाटा, बिसनपुरा, निजुया, मरियाहू, बरसाथी, रामनगर, बेतालघाट, लालौरी, खेरा, पतारा, पिधनू, मैथा, पाकवन, मलासा, संदलपुर, फतेहपुर, चौरासी, असोहा, बिछिया, सिकन्दरपुरसारोसी, सिकन्दरकरन, औरस, सिलौली, असोथर, टेलीक्षनी, दिउमाई, राजापुरा, भोजपुर, राजपुरा, तिलाना ।
8. पश्चिम बंगाल . .	खातरा, मथूरेश्वर, नानूर, मेमेरी, कालना, जमूरिया, पताशपुर, तामलुक, नंदीग्राम, आरशा, नेटूरिया, संतूरी, पारा, उलूबेरिया, पांचला, भगबांगोला, राणाघाट, कृष्णागंज, कुलताली, बरसात, मीनाखान, स्वरूपनगर, संदेशखली, हरीशचन्द्रपुर, हबीबपुर, कालियाचक, हेमताबाद, झोपड़ा, गोएल पोखर,

"सोशलिस्ट इण्टरनेशनल डेलिगेशन" का भारत का प्रस्तावित दौरा

346. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोशलिस्ट इन्टरनेशनल ने भारत में आपातकालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात् वहां की स्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल को भारत आने की अनुमति नहीं दी गई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जुलाई, 1975 में हमें बताया गया था कि सोशलिस्ट इन्टरनेशनल श्री जयप्रकाश नारायण की हिय-सहन की स्थिति और स्वास्थ्य को देखने के लिए 2 प्रतिनिधि भारत में प्रतिनियुक्त करना चाहता है।

(ख) और (ग) : सोशलिस्ट इन्टरनेशनल को यह बतया गया कि सभी राजनीतिक वादियों की, जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण भी शामिल हैं, अच्छी तरह देखभाल की जा रही है। उन्हें यह भी बताया दिया गया था कि इस प्रकार की जांच के लिए किसी विदेशी संगठन या व्यक्ति को भारत आने का कोई प्रश्न नहीं क्योंकि यह हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के बराबर होगा।

कोंकण यात्री नौवहन सेवा

347. **श्री मधुदण्डवते :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की मुगल लाइन्स का विचार कोंकण यात्री नौवहन सेवा बन्द करने का है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन के माध्यम से नौवहन सेवा चलाने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया है कि नौवहन सेवा से हुई हानि के भार का कुछ भाग गोआ सरकार को भी वहन करना चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ). यह प्रस्ताव कि मुगल लाइन द्वारा उठाई गई हानि को महाराष्ट्र तथा गोआ सरकारों द्वारा वहन किया जाए, विचाराधीन है।

LINKING OF DISTRICT HEADQUARTERS BY S. T. D.

348. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether all State Headquarters are likely to be connected by S. T. D. with District Headquarters in the near future; and

(b) if so, the time likely to be taken in providing this facility in all the District Headquarters in Madhya Pradesh ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) The Department plans to connect all the District Headquarters to their respective State Capitals. This will be done progressively depending upon the availability of resources and equipment.

(b) No time schedule has been fixed for connection of District Headquarters in M. P. to Bhopal by S. T. D.

TELEPHONE FACILITIES TO HOSHANGABAD AND EAST NIMAR DISTRICTS.

349. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the names of places in Hoshangabad and East Nimar Districts of Madhya Pradesh where Government propose to provide telephone facilities during 1976-77?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : It is proposed to provide Public Call Offices at Charkheda in Hoshangabad district and Khaknar in East Nimar district during the year 1976-77. AP.C.O. at Sihada in East Nimar district has already been provided during this year.

PAYMENT OF LOW WAGES BY CONTRACTORS ON CENTRAL RAILWAY

350. **Shri G. C. Dixit** :

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of companies, firms and contractors engaged in unloading of wagons in the various Divisions of the Central Railway ;

(b) whether Harijans, Adivasis and persons belonging to the backward classes working with these contractors have been getting very low wages for several years and they are also being deprived of the benefits available to them under the various labour welfare laws; and

(c) if so, the action being taken by Government to improve the lot of such employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) : Information is being collected and will be placed on the Table of the House after it is received from the authorities concerned.

IRON ORE DEPOSITS IN BASTAR DISTRICT OF M. P.

351. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal for the exploitation of iron ore deposits found in Bastar District of Madhya Pradesh and for setting up of a pig iron plant in the State; and

(b) if so, the action taken, so far, in this regard ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav) : (a) and (b) The Bailadila Iron Ore Deposit No. 14 in Bastar District of Madhya Pradesh is already being exploited for exports since April, 1968. Another mine at Bailadila Deposit No. 5 is also being developed for exports.

Studies carried out by the Metallurgical and Engineering Consultants (India) Ltd. in 1973, at the instance of NMDC, indicated that the setting up of a pig iron/sponge iron plant, based on ore fines, at Bailadila would not be economical. A feasibility report for an integrated steel plant, based on the iron ore deposits of Bailadila, has been prepared and is now under study in SAIL.

प्रधानमंत्री के विदेशों के दौरे

352. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ने हाल ही में किन देशों का दौरा किया है ;

(ख) क्या वहां इस बात पर कोई चर्चा की गई थी कि हिन्द महासागर महाशक्तियों के सैनिक विस्तार, उनकी सैनिक गतिविधियों या सैनिक होड़ से मुक्त रहना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, जर्मन जनवादी गणराज्य तथा अफगानिस्तान ।

(ख) और (ग) : जी हां । हिन्द महासागर को तनाव तथा विदेशी सैनिक अड्डों से मुक्त शांति का क्षेत्र बनाने के बारे में आम सहमति थी ।

DEMAND FOR TREATING MEDICAL REPRESENTATIVE AS 'WORKMEN'

353. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the demands of the Medical Representatives that they should be included in the definition of Workmen by making amendments in labour laws; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b). They Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976, which came into force with effect from the 6th March, 1976 and regulates certain conditions of service of sales promotion employees, meets the demands of the medical representatives.

चिकित्सा प्रतिनिधियों के लिए मजूरी बोर्ड की स्थापना

354. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा प्रतिनिधियों ने मांग की है कि उनके लिए एक पृथक मजूरी बोर्ड गठित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी शासन का विरोध

355. श्री सरोज मुकर्जी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने यह ध्यान में रखते हुए कि न्यूजीलैंड ने रगबी खेलने के लिए अपना खिलाड़ी-दल दक्षिण अफ्रीका भेजकर उसके साथ अपने खेल सम्बन्ध बनाये हुये हैं, इस आधार पर 21 अफ्रीकी और अरब देशों द्वारा ओलम्पिक खेलों में न्यूजीलैंड द्वारा भाग लेने के विरोध में ओलम्पिक खेलों से हट जाने पर दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन के समक्ष भारतीय लोगों का विरोध प्रकट करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा व्यवहृत जातिवाद तथा जातीय पृथग्वासन की नीति की भर्त्सना की है और खेल के क्षेत्र में भी इसके व्यवहार का उतना ही विरोध किया है जितना कि अन्य क्षेत्रों में। भारत सरकार राजनयिक, वाणिज्यिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में, जिसमें खेल भी शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित संगत प्रस्तावों के अनुरूप दक्षिण अफ्रीका का पूर्ण बहिष्कार कर रही है।

फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पी० एल० ओ०) के संघर्षकर्ताओं के लिए सहायता

356. श्री सरोज मुकर्जी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के संघर्षकर्ताओं पर प्रतिदिन आक्रमिक प्रहार किये जा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की मांग को उचित तथा मानवीय मानकर स्वीकार किया है और भारत सरकार ने भी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के समर्थन में अपनी नीति घोषित की है मंत्रालय के फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की साज सामान से सहायता के लिए क्या ठोस उपाय किये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : भारत सरकार ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रतिनिधिक स्वरूप को मान्यता दी है और संयुक्त राष्ट्र संगठन में तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उतने फिलिस्तीनी जनता के हितों को समनुरूप तथा सैद्धान्तिक समर्थन प्रदान किया है। जनवरी 1975 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को दिल्ली में अपना कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई थी। सरकार फिलिस्तीनी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी देती है तथा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के निर्वाह के लिए संयुक्त राष्ट्र के राहत एवं निर्माण अभिकरण को अंशदान करती है।

'तीव्र डाक सेवा' की सुविधा वाले नगर

357. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उन नगरों और कस्बों के नाम और संख्या क्या है जहां 1 जुलाई, 1976 को 'तीव्र डाक सेवा' की सुविधाएं उपलब्ध थीं; और

(ख) क्या इस सुविधा का विस्तार और अधिक नगरों तक करने का प्रस्ताव है और क्या इस बारे में कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 1 जुलाई, 1976 को भारत के 392 नगरों/कस्बों में शीघ्र डाक सेवा की सुविधा उपलब्ध थी। इनमें से 45 राष्ट्रीय केन्द्र हैं जो एक दूसरे से जुड़ें हुए हैं। शेष 347 क्षेत्रीय केन्द्र हैं, जो संबंधित राज्यों की राजधानियों संघ शासित राज्यों के मुख्यालयों के साथ जुड़े हुए हैं। एक सूची संलग्न है, जिसमें इन केन्द्रों के राज्यवार नाम दियें गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—11053/76]

(ख) परिवहन सुविधाओं के निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुये अन्य नगरों में भी इस सेवा का विस्तार करने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया जता है।

गांवों में दैनिक डाक वितरण सेवा

358. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य-संघ क्षेत्र में कितने गांव 1—7—76 को दैनिक डाक वितरण सेवा के अंतर्गत थे;

(ख) उनमें से कितने गांवों में डाक वितरण सेवा सप्ताह में एक बार, सप्ताह में दो बार, सप्ताह में तीन बार और दो सप्ताह में एक बार है ;

(ग) क्या दैनिक डाक वितरण सेवा का और अधिक गांवों में विस्तार करने की ओर दैनिक डाक वितरण सेवा से वंचित गांवों में डाक सेवा की आवृत्ति बढ़ाने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :(क) और (ख) इस संबंध में एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—11054/76]

(ग) और (घ) डाक सर्किलों के अध्यक्षों को हिदायतें दे दी गई हैं कि वे दैनिक डाक वितरण की सुविधा यथासंभव अधिक से अधिक गांवों तक पहुंचाएं।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

359. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली (नयी दिल्ली सहित) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास महानगरों में से प्रत्येक में और भारत संघ के अन्य राज्यों की राजधानियों में निम्नलिखित श्रेणियों के टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 31–3–1976 तथा 30 जून, 1976 को (i) ओ-वाई-टी (ii) विशेष (iii) सामान्य वर्गों के कितने आवेदन पत्र थे;

(ख) इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए प्रतीक्षा सूची में पहला नाम किस तारीख को दर्ज किया गया था ; और

(ग) क्या उपरोक्त नगरों में और अधिक टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रतीक्षा सूची में नामों की संख्या कम की जा सके ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) उपलब्ध सीमित साधनों के अंतर्गत एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

OPENING OF NEW AYURVEDIC AND HOMOEOPATHIC COLLEGES

360. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to open new Ayurvedic and Homoeopathic colleges and universities with a view to promote Ayurdvedic and Homoeopathic systems of medicine in the country;

(b) the number of locations of schools, colleges and universities of both the systems of medicine in the country at present; and

(c) the number of students undergoing study in both the systems of medicine?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) The Central Government have no proposal for opening any new Ayurvedic and Homoeopathic colleges and universities. The Fifth Plan provides for strengthening of the existing under-graduate colleges and lays emphasis on quality and not quantity in the field of education.

(b) Number of educational institutions :

Ayurvedic	83
Homoeopathic	92
Total	175

There is also one Ayurvedic University at Jamnagar.

(c) It is estimated that the number of students admitted annually in Ayurvedic and Homoeopathic institutions is about 3,000 and 2,000 respectively.

INDIAN NATIONALS IN LEBANON

362. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Indian nationals evacuated from Labanon and the places where they have been rehabilitated;

(b) what has happened to their movable and immovable property;

(c) the total number of Indian nationals in Lebanon and of those killed in the present war; and

(d) whether the employees of Indian Embassy in Lebanon were also evacuated?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) Around 660 Indian nationals are reported to have left Lebanon since September 1975. Indian employees of the Government of India and Public sector undertakings who were withdrawn from Lebanon were assigned to posts in India or abroad. As regards others, e.g. private individuals, businessmen and employees of international organisations, their departure was based on their own decisions or that of the International Organisations concerned, and the question of our rehabilitating them does not arise.

(b) Indian nationals like other foreigners took away with them only easily movable articles. Heavy movable and immovable properties were left behind.

(c) The total number of Indians in Lebanon today is estimated to be around 40. Four Indians have been killed so far in the conflict.

(d) Yes, Sir.

दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा पारपत्रों का न दिया जाना

363. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने महात्मा गांधी के पांच प्रपोत्रों को पारपत्र देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) क्या उन्होंने इस बारे में सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) हमारी सूचना के अनुसार महात्मा गांधी की पौत्री, श्रीमती इला रामगोबिन के पति, श्री मेवा रामगोबिन ने अपने बच्चों के पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था । दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने पासपोर्ट देना अस्वीकार कर दिया था ।

(ख) जी नहीं ।

NON-DEPOSIT OF PROVIDENT FUND BY DISTILLERIES IN UJJAIN (M. P.)

364. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the amount relating to provident fund and the Employees' State Insurance Scheme which has not been deposited with the Government by the distilleries in Ujjain (M. P.) from 1973-74 to March 1975-76;

(b) whether deductions made on this account are utilised in other business by the distilleries;

(c) whether very few workers are shown as permanent in their muster rolls and a large number of workers are shown as temporary and daily wagers with a view to deprive these workers of the benefits and facilities available under the labour welfare laws; and

(d) if so, how Government propose to remedy the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities and the Employees' State Insurance Corporation have intimated as under :—

(a) & (b) There is only one distillery at Ujjain known as M/S. Doongaji & Company. The establishment is regular in the payment of provident fund dues. They are, however, in default of a sum of Rs. 19,368 as Employees' State Insurance dues as on March, 1976.

(c) & (d) For the purpose of coverage under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Employees' State Insurance Act 1948, no distinction has been made between permanent, temporary and daily wages employees. Detailed information regarding permanent, temporary and daily wages workers of the establishment is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Benefit of Labour Laws to Workers of Panna Diamond Mine

365. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2439 on 15th April, 1976 and state :

(a) whether the information has since been collected; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in the Library. See No. LT—11055/76].

Gold Found in M. P.

366. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleasd to refer to the reply given to Unstarred Question No. 777 on 18th March, 1976 and state :

(a) whether Government propose to conduct an intensive survey of the area and if so, the time by which it would be completed; and

(b) the expenditure incurred so far on the preliminary exploration work and the estimated quantity of deposits in the area and the expenditure likely to be incurred thereon in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) (a) & (b) The State Government of Madhya Pradesh has been conducting geological exploration in the area near village Barjor of Raigarh District. It is premature to indicate when this investigation would be completed or what is the estimated quantity of deposits and the likely expenditure.

Raids Made on the Premises of Spurious Drug Manufactures

367. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether raids were carried out on the premises of spurious drug manufacturers in Kanpur (U. P.) in past months and in Indore in Madhya Pradesh and other parts of the country and whether Government have received information that they are manufacturing spurious drugs on country-wide scale and if so, the facts thereof ;

(b) whether bogus licences have also seized alongwith spurious drugs;

(c) whether the number of spurious drug manufacturers and bogus licences decreased or increased as compared to the number there of in the past years indicating the percentage thereof; and

(d) the steps taken to check the manufacture of spurious drugs in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque : (a) to (d) Inspections of drug manufacturers and dealers are carried out by the Drug Control authorities of the Central and State Governments as a matter of course. Special raids are made whenever information is received regarding the existence of bogus manufacturers and dealers. Those who violate the provisions of the Drugs and Cosmetics Act and Rules thereunder are prosecuted. The Madhya Pradesh authorities are reported to have made 2 raids in Indore and one in Raipur on unlicensed drugs manufacturers. In Kanpur, the Drug Control authorities of Uttar Pradesh are reported to have raided a spurious factory on the 13-7-76 and seized labels tabletting machinery and spurious drugs. Two persons were arrested. No bogus licences are reported to have been seized in these raids. The Drugs and Cosmetics Act, 1940 does not contain the definition of "spurious" drugs and as such statistics regarding them or about bogus licences are not maintained.

The State Governments have been requested to intensify the drive against adulterated and sub-standard drugs. Central assistance is being given to State Governments to improve drug testing facilities. It is also proposed to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940 to make its provisions more deterrent.

बन्धक श्रमिकों को भूमि

368. **श्री एम० एम० पुरती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्धक श्रमिकों को कृषि भूमि देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि उनके लिए फालतू भूमि उपलब्ध नहीं है तो इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रखा है ।

आन्ध्र प्रदेश : स्वतंत्र किए गए 826 बन्धक श्रमिकों में से 698 श्रमिकों को पुन: स्थापित किया गया है । स्वतंत्र किए गए बन्धक श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि संबंधी भूमि और गृह स्थल आंवटित करने के लिए सभी कलाक्टरों, हरिजन कल्याण निदेशक और पिछड़े हुए वर्गो के कल्याण निदेशक को आदेश जारी किए गए हैं। उन्हें कृषि संबंधी कामों और कृषि-विकास के लिए ऋण देने और स्वतंत्र किए गए बन्धक श्रमिकों को वरीयता और प्राथमिकता के आधार पर ब्याज की अधिमानी दर पर ऋण देने का अधिकार भी दिया गया है ; अब तक स्वतंत्र किए गए 19 बन्धक श्रमिकों को कृषि-भूमि सौंपी गई । यदि अतिरिक्त भूमि नहीं होती है तो कलक्टर, आर्थिक सहायता कार्यक्रमों की ओर ऋण देकर और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर भी स्वतंत्र किए गए बन्धक श्रमिकों के लिए उपयुक्त पुन: स्थापन संबंधी कार्रवाइयों की व्यवस्था करेगा ।

बिहार : पुनर्वास योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । 581 बन्धक श्रमिकों को 730 एकड़ भूमि आबंटित की गई । अब तक राज्य बजट से रु० 2,76,000 खर्च किए गए है ।

राजस्थान : स्वतंत्र किए गए 1394 बन्धक श्रमिकों को कृषि-भूमि आंबटित करके पुन: स्थापित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक को रु० 500 देने की व्यवस्था की गई है । स्वतंत्र किए गए 28 बन्धक श्रमिकों को राजस्थान में सूचीबद्ध किए गए बैंकों द्वारा रु० 32400 की ऋण सुविधा दी गई है । स्वतंत्र किए गए 12 बन्धक श्रमिकों को राजस्थान नहर में रोजगार दिया गया है ।

उड़ीसा : स्वतंत्र किए गए 95 बन्धक श्रमिकों को पुन : स्थापित किया गया है। जन-जातिय और ग्रामीण कल्याण बजट से रु० 5 लाख आंबटित किए गए हैं। गैर-जन जातीय श्रमिकों के पुन:स्थापन के लिए रु० 3 लाख आबंटित किए गए हैं। अब तक 28.96 एकड़ कृषि भूमि आबंटित की गई है।

तमिलनाडु : 432 परिवारों को कृषि योग्य भूमि सौंपी गई। 179 परिवारों, जिन्हें भूमि नहीं दी गई थी, को उपसंगी काश्तकारी सहायता दी गई थी। स्टेट बैंक आफ इंडिया ने कोएम्बेटोर ज़िले में स्वतंत्र किए गए, 250 बन्धक श्रमिकों को उत्पादक उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये मंजूर किए। स्वतंत्र किए गए श्रमिकों को बसाने के लिए दक्षिण अरकोट ज़िले के लिए रु० 1 लाख की मंजूरी दी।

उत्तर प्रदेश : देहरादून ज़िले के स्वतंत्र किए गए 2498 बन्धक श्रमिकों को कृषि के लिए 2485.39 एकड़ भूमि और कृषि संबंधी बन्द को खरीदने के लिए रु० 1,31,430 की राशि के ऋण आबंटित किए गए हैं। कृषि और पशु पालन के क्रय के लिए सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वतंत्र किए गए बन्धक श्रमिकों को रु० 1,06,200 की राशि के अग्रिम दिए गए हैं।

तिरुची जिले (तमिल नाडु) में चीनी मिलों के श्रमिकों की जबरन छुट्टी

369. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तिरुची जिले की तीन चीनी मिलों में लगभग 2,400 श्रमिकों को जबरन छुट्टी दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की जबरन छुट्टी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : यह मामला अनिवार्यत: राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है। तमिल नाडु सरकार द्वारा सपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कोठारी शूगर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (21 अप्रैल, 1976 से 291 श्रमिक), दक्कन शूगर एण्ड आबखारी कम्पनी लिमिटेड (547 श्रमिक 16 मार्च, 1976 से) और काबेरी शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि० (406 श्रमिक 29 मार्च, 1976 से) में विभिन्न तारीखों को 1244 स्थायी श्रमिक जबरी छुट्टी पर भेजे गए थे। इस बाद-विषय पर उठाये गए विवाद को राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र ने संराधन हेतु हाथ में लिया था। संराधन विफल हो जाने के कारण तमिल नाडु सरकार मामले में और आगे कार्यवाहियां करने पर विचार कर रही है। सूचित किया गया है कि इस मामले पर राज्य शिखर निकाय की स्थायी समिति की आगामी बैठक में विचार-विमर्श किया जाना है।

पूर्वी तट के बाक्साइट निक्षेपों का उपयोग

370. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने हाल में पूर्वी तट पर पाये गये बाक्साइट निक्षेपों के उपयोग संबंधी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : पूर्वी तट क्षेत्र में बाक्साइट भंडारों को प्रमाणित करने का कार्यक्रम चल रहा है । प्रमाणन कार्यों के परिणामों के आधार पर इन निक्षेपों की खुदाई की योजनाएं बनाई जाएंगी।

ईरान को निर्यात के लिए अलुमिना

371. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान भारत में उस अलुमिना बनाने की अपनी उस योजना को कार्यरूप नहीं दे रहा है, जो ईरान को ही निर्यात किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : ईरान को एल्युमिना की सप्लाई के बारे में उससे बातचीत की गई है । आशा है इस संबंध में शीघ्र प्रबंध हो जाएगा ।

'बल्को' (बी० ए० एल० सी० ओ०) का विस्तार

372. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में बाल्को के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि किस प्रकार की है ; और

(ग) क्या 'बालकों, के उत्पादन को बढ़ाने के बारे में कोई योजनायें हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रदावक की प्रथम पौट लाइन (25000 टन वार्षिक क्षमता वाला) से अप्रैल-जून, 1976 की पहली तिमाही में एल्यूमीनियम का उत्पादन 6,431 टन था जो 102% क्षमता उपयोग का द्योतक तथा जनवरी-मार्च, 1976 की पिछली तिमाही के उत्पादन से 7% अधिक था ।

(ग) **कोरबा** परियोजना द्वारा प्रति वर्ष 100,000 टन एल्यूमीनियम उत्पादन का कार्यक्रम बनाया गया है ।

भारत एल्यूमिथिनयम कम्पनी के कोरबा प्रद्रावक की दूसरी पौट लाइन (25000 टन वार्षिक क्षमता) बन कर तैयार हो गई । मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से अतिरिक्त बिजली मिलते ही इसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा।

तीसरी और चौथी पौट लाइन (50,000 टन वार्षिक क्षमता के निर्माण का काम प्रगति पर है ।

D. T. C. DOUBLE-DECKER BUSES

373. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the total number of double-decker buses D.T.C. operates and the number of such buses involved in accidents during the last two years; and

(b) whether Government intend to investigate the causes thereof and put an end to their operation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh): (a) The DTC has 126 double decker buses in its fleet. During the last two calendar years (1974 and 1975), these buses were involved in 125 accidents including 3 in which the buses overturned.

(b) A Committee of Experts was set up in June, 1971, to ascertain the causes of overturning of double decker buses. On the recommendations of this Committee, the following steps have been taken by the Corporation for safe operation of double decker buses :—

(i) Intensive cheking is imparted to the drivers who are given duty on these buses;

(ii) Strict instructions have been issued in regard to the precautions to be taken for driving of these vehicles ;

(iii) Buses have been fitted with traffic indicators;

(iv) Instructions have been issued not to allow standee passengers on these buses.

As a result of the above precautions, the number of accidents involving overturning of double decker buses has considerably decreased.

In other accidents involving double decker buses, there is no unusual feature. For the prevention of accidents in these and other buses, the Corporation has been taking regularly measures to ensure safe driving by its drivers.

केरल में ग्रेफाइट निक्षेप

374. श्री वरके जार्ज : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ग्रेफाइट निक्षेप का पता लगाने के लिए कुछ सर्वेक्षण किये जा रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किये जा रहे हैं तथा लगभग कितने निक्षेप होने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) एर्नाकुलम जिले के नागपूजा और वडाकोड इलाकों में ग्रेफाइट के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वे द्वारा खोज कार्य किया जा रहा है । चूंकि काम अभी चल रहा है अतः इस समय भंडारों के बारे में कोई ठोस अनुमान देना संभव नहीं है ।

केरल में सोने के लिए सर्वेक्षण

375. श्री वरके जार्ज : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने केरल के अट्टापड़ी में सोने के लिए सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि काम अभी चल रहा है और रासायनिक विश्लेषणों के परिणामों की प्रतीक्षा है। अतः किसी परिणाम का अनुमान लगा लेना असामयिक होगा।

लन्दन में भारतीय छात्र की मत्यु

376. **श्री हरी सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र को 1 मई, 1976 को छुरा भौंक कर मार दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की ओर ब्रिटेन सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में और इस तर की अन्य वारदातों के विषय में ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदायक के मन में असुरक्षित होने की जो भावना है उसके विषय में हमने ब्रिटिश प्राधिकारियों के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की थी। ब्रिटिश पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और वह मामले की छानबीन कर रहे हैं।

बिजली कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

377. **श्री एस० एम० बनर्जी**
श्रीमति रोजा विद्याधर पांडे } : क्या **विदेश** मंत्री ग्रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने विषयक मार्गदर्शी समिति की सिफारिशों को तीन उत्तरी राज्यों में अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों की ओर राज्य सरकारों तथा प्रबन्धकों का ध्यान आकर्षित करने के लिये 9 से 15 अगस्त 1976 तक के सप्ताह को मनाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : कुछ समय पहले प्राप्त सूचनानुसार, इन सिफारिशों को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इस आधार पर कार्यान्वित नहीं किया गया है कि राज्य विद्युत बोर्ड अपने कर्मचारियों के वेतनमान, महंगाई भत्ते और अन्य लाभों के मामले में राज्य सरकार के नमूने का अनुसरण कर रहे हैं।

(ग) और (घ) कुछ संघों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 4 अगस्त, 1976 को मांग दिवस मनाया है। विद्युत शक्ति के उत्पादन और वितरण के लिए काम करने वाले अधिकांश कार्मिक विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के अन्तर्गत काम करते हैं और वे संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य विद्युत बोर्ड उनकी मागों पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

इस्पात संयंत्रों के लिए पुर्जों का निर्माण

378. श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री 13 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच फालतू पुर्जों के निर्माण और सभी इस्पात संयंत्रों की उनकी सप्लाई के लिये सेन्ट्रल वर्कशाप स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जी नहीं।

"इस्पात कारखानों के लिए फालतु पुर्जों के निर्माण के लिए एक "सेन्ट्रल वर्कशाप" स्थापित करने के लिए मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लि० द्वारा तैयार किए गए शक्यता प्रतिवेदन की, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा जांच की जा रही है।

परिवार नियोजन के लिए ब्रिटिश सहायता

379. श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार भारत में परिवार-नियोजन सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए सहायता देने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) : परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी आपरेशन की सुविधायें को सुदृढ करने के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा सहायता अनुदान देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। दोनों सरकारों के बीच औपचारिक करार पर अभी हस्ताक्षर होने हैं।

प्रसूतीतंत्र और बाल चिकित्सा और मानसिक रोगों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए केरल को वित्तीय सहायता

380. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया
श्री एन० श्रीकान्त नायर } **: क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृप करेंगें कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पोट्टक्कल स्थित स्नातकोत्तर (पी० जी०) सेंटर में प्रसूतितंत्र और बाल चिकित्सा तथा (2) मानसिक रोगों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) (क) तथा (ख) जी हां, लेकिन पांचवी योजना के परिव्यय में धन की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका।

मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम में एक क्षेत्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव

381. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया**
श्री एन० श्रीकान्त नायर } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के मैडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम में एक क्षेत्री कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य ने कुल कितनी वित्तीय सहायता मांगी है और उसे कितनी राशि आबंटित की गई है ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के कोई प्रयास किये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) केरल सरकार ने मार्च, 1976 में मेडिकल कालेज, त्रिवेद्रम में क्षेत्रीय कैंसर संथान के विकास के लिए 60 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के लिए आवेदन किया था। पांचवीं योजना में केन्द्रीय सेक्टर में कैंसर अनुसंधान और इसके उपचार के लिए उपलब्ध किए गए सीमित नियतन को ध्यान में रखते हुए, केरल सरकार को इस प्रयोजन के लिए कोई केन्द्रीय सहायता देना संभव नहीं हो पाया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मलेरिया, हैजा तथा अन्य रोगों का उन्मूलन करने के लिए राज्यों को धन का आबंटन

382. **डा० सरदीश राय**
श्री जगन्नाथ मिश्र
श्री पी० गंगादेव } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मलेरिया, हैजा, तथा अन्य रोगों का उन्मूलन करने के लिए अलग-अलग राज्यवार कुल कितना धन आवंटित किया गया है, और

(ख) इस संबंध में राज्यों ने क्या कार्य किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक़)। (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1973-74 से 1975-76 के दौरान मलेरिया उन्मूलन तथा हैज़ा, चेचक, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, रति रोग, रोहे और फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए राज्यों की दी गई नकद केन्द्रीय सहायता का एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए संख्या एल० टी०** 11056/76]

(ख) मलेरिया तथा चेचक उन्मूलन और कुष्ठ रोग, क्षय रोग, रति रोग, हैज़ा, रोहे तथा फाइलेरिया के नियंत्रण से संबंधित कार्यक्रमों को केन्द्र तोषित योजनाएं समझा जाता है जिसके लिए निर्धारित स्वरूपों के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

देश में जुलाई 1975 में चेचक-शून्य घटना का दर्जा प्राप्त कर लिया था और इस दर्जे को अब तक बनाए रखा गया है। विभिन्न कारणों से पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की क्रियान्विति में धक्का लगा है। मलेरिया को रोकने के लिए एक चुंनिदा संशोधित नीति तैयार की गई है। जहां तक कुष्ठ रोग के नियंत्रण का संबध है देश अनुमानित 32 लाख मामलों में से 16 लाख मामलों का पंजीकरण किया जा चुका है और उनका इलाज किया जा रहा है। बाकी मामलों का भी इलाज करने के लिए कार्यक्रम का क्रमिक विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन संक्रामक अन्तरंग रोगियों का इलाज किया जाता है। आधुनिक प्रभावकारी क्षय रोग-निरोधी औषधियां प्राथमिकता के आधार पर दी जाती हैं तथा 20 वर्ष से कम आयु के लोगों को बी० सी० जी० का टीका लगाकर रोग-रोधन किया जाता है। राज्यों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे 435 क्षयरोग क्लीनिक और 308 बी० सी० जी० दल देश में कार्यरत हैं। रति रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन केन्द्र सरकार राज्यों को मुफ्त दवाइयां सप्लाई करती है। 1975 के दौरान केन्द्रीय सहायता से स्थापित किये गए रति रोग क्लीनिकों में 2.4 लाख मामलों का इलाज किया गया। राष्ट्रीय हैज़ा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानिकमारी वाले 28 जिलों में हैज़ा समाघात दल स्थापित किये गए हैं। हैजे की घटनाओं और उनके कारण होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाई गई है। रोहे नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 1976 तक 2575 सामुदायिक विकास खण्डों में 21.543 करोड़ लोगों को सेवाएं प्रदान की गई हैं। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में 142 फाइलेरिया नियंत्रण यूनिट, 12 मुख्यालय व्यूरो तथा 4 ग्रामीण अनुसंधान-व-प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश के असवेक्षित जिलों में फालेरिया की समस्या की हदबन्दी करने के लिए 1975-76 के दौरान 6 सर्वेक्षण यूनिट स्थापित किए गए हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण की जांच करने हेतु समिति

383. **श्री एम० कत्तामुत्तू : क्या नौवन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण की जांच करने हेतु नियुक्त समिति से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मलेरिया निरोधक टीके के उत्पादन के लिये अनुसंधान

384. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरेलिया के पुनरागमन को देखते हुए सरकार ने इस संकट का मुकाबला करने हेतु एक टीके का निर्माण करने की वांछनीयता पर विचार किया है?

(ख) क्या चिकित्सकों के मतानुसार ऐसे टीके का उत्पादन करना सम्भव है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में पहले से किये जा रहे अनुसन्धान अथवा इस संबंध में बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) मलेलिया वैक्सीन के उत्पादन संबंधी वर्तमान ज्ञान अभी प्रायोगिक अवस्था में है। इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकी क्रांति के लिए आगे और अनुसंधान कार्य जरूरी है।

(ग) इस संबंध में भारत और दूसरे मुल्कों में अनुसंधान किया जा रहा। भारत में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मलेरिया की रोकथाम करने के लिए रोगक्षम रोग-निरोधी विधि के विकास के हेतु निम्नलिखित संस्थानों में तीन अनुसंधान परियोजनाएं चला रही है:—

(1) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली;

(2) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़; और

(3) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।

महानगरों में परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिये नियतन

385. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तथा दिल्ली महानगरों में परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का नियतन किया गया,

(ख) इस नियतन में से कितनी राशि का उपयोग किया गया और यदि कोई राशि उपयोग में नहीं लाई गई तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या वर्ष 1976-77 के दौरान अन्य बड़े नगरों को भी इस योजना में शामिल करने की कोई योजना है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत सरकार ने महानगरों में परिवहन सुविधाओं के सुधार के लिये संबंधित राज्य सरकार/उपक्रम की संबंधित वर्षों के दौरान निम्नलिखित सीमा तक ऋण सहायता स्वीकृत की :—

महानगर का नाम	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
		(रु० लाखों में)		
दिल्ली	257.50	585.21	792	730
बंबई	शून्य	शून्य	700	—
कलकत्ता	शून्य	शून्य	800	15
मद्रास . . .	शून्य	शून्य	300	15

(ख) संबंधित उपक्रमों ने ऋण सहायता की पूरी राशि का उपयोग कर लिया है।

(ग) इस समय ऐसी कोई योजना चालू अथवा विचाराधीन नहीं है।

चासनाला कोयला खान दुर्घटना की जांच में हुई प्रगति

386. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चासनाला कोयला खान दुर्घटना की जांच के सन्दर्भ में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) : अब तक सात गवाहों से पूछताछ की गई है।

(ख) जांच के पूर्ण होने के लिए दरकार समय के बारे में कोई निश्चित संकेत दे सकना संभव नहीं है।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

387. **श्री आर० एन० बर्मन**
श्री रोबिन सेन
श्री के० एम० मधुकर
श्री भान सिंह भौंरा
: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चासनाला दुर्घटना के बाद जून, 1976 तक देश में कितनी कोयला-खान दुर्घटनायें हुई और उनमें कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए ; और

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :(क) चासनाला दुर्घटना के बाद जून, 1976 तक कोयला खानों में 101 घातक दुर्घटनाएं हुई जिनके कारण 127 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 13 अन्यों की गम्भीर चोटें आई। (दिये गए आंकड़े अनंतिम हैं तथा इनमें संशोधन किया जा सकता है)।

(ख) सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) कोयला खानों में छतों और साइडों के गिराव के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में भारत में मुख्य खान निरीक्षक द्वारा किए गए विशेष अध्ययन की सिफारिशों को लागू करने के लिए सम्मिलित अभियान।

(2) दुर्घटना अधोवृत्त खानों के सर्वेक्षण और निवारक उपायों के अभिनिर्धारण के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय में एक दुर्घटना जांच सैल की स्थापना।

(3) खानों के और अधिक निरीक्षण करने की व्यवस्था करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षण संबंधी स्टाफ की संख्या में क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार संबंधनि।

(4) जिन शक्य क्षेत्रों/खानों को बाढ़ के ख़तरे की संभावना है, उनके अभिनिर्धारण के लिए विशेष अभियान चलाना तथा इस प्रकार के क्षेत्रों की बंदी सहित आगामी आवश्यक कार्यवाही करना।

(5) खानों के नियमित निरीक्षण के दौरान खानों में सुरक्षा के बारे में लगातार बल।

(6) काम पर जाने वाले श्रमिकों को निजी सुरक्षा की मूल आदतों के बारे में याद दिलाने के लिए कई खानों में सुरक्षा संबंधी काल की प्रणाली रायज करना।

(7) सुरक्षा चेतना की भावना को जीवित रखने के लिए सभी खनन क्षेत्रों में सुरक्षा सप्ताह आयोजित करना।

गुजरात में जहाजनिर्माण यार्ड

388. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० बेकारिया } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में कितने कितने जहाज निर्माण यार्ड कार्यरत हैं तथा वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) क्या सरकार गुजरात राज्य में जहाज निर्माण यार्डों की स्थापना के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं, और

(घ) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्र एच० एम० त्रिवेदी) : (क) छोटे जलयानों के निर्माण के लिए भावनगर में सरकारी क्षेत्र में एक, निजी क्षेत्र में कोई नहीं।

(ख) और (ग) गुजरात में हाजिरा निर्माण स्थलों में एक स्थल है जिस पर पांचवी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में शिपयार्ड की स्थापना के लिए विचार किया जा रहा है।

(घ) जी हां।

श्रमिकों तथा नियोक्ताओं की गिरफ्तारियां

389. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि हड़तालें, तालाबन्दी तथा छंटनी करने आदि के कारण गिरफ्तार किए गए श्रमिकों तथा नियोक्ताओं की राज्यवार कुल संख्या कितनी है अथवा ऐसे कितने लोगों पर मुकदमे चलाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : हड़तालों, तालाबन्दियों और छंटनी करने के लिए नियोजकों और श्रमिकों को बन्दी बनाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक अधिनियम, के अधीन चलाए गए अभियोजनों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों, जोकि काफी संख्या के उद्योगों के मामले में अधिनियम के अधीन उचित सरकार हैं, से सूचना एकत्र की जा रही है।

न्यूनतम मजूरी न देने पर जमींदारों की गिरफ्तारी

390. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि-श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी न देने, बंधवा मजदूर रखने के आदि के कारण गिरफ्तार किए गए जमीदारों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : कृषि श्रमिकों का अधिकांश भाग राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और बन्धक श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के दण्डनीय उपबन्धों के कार्यान्वियन की शक्तियां, उनके तत्सम्बन्धी कार्यवाही क्षेत्रों में, राज्य सरकारों में निहित है और इसलिए, केन्द्रीय सरकार के पास उसके संबंध में कोई सूचना नहीं है।

उड़ीसा में डाक प्रभागों का कार्यकरण

391. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कुल कितने डाक-प्रभाग काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस राज्य में और अधिक प्रभाग बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) इन प्रभागों में कितने डाक-घर अधीक्षक तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं ;

(घ) क्या इनमें से कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और कुशल प्रशासन के लिए इन भ्रष्ट अधिकारियों को निकाल बाहर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ङ) उड़ीसा डाक सर्किल में 13 डाक डिवीजन हैं। कोई नया डिवीजन बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इनमें से कुछ डिवीजन अनुमोदित अधिकारियों के चार्ज में हैं, जिनकी जगह शीघ्र ही अनुमोदित अधिकारी नियुक्त किए जायेंगे।

कुछ अधिकारियों के खिलाफ कुछ शिकायतें आई थीं, जिनकी जांच की जा रही है।

बालासौर, उड़ीसा में शाखा डाक-घर/उप डाक-घर खोलना

392. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये डाकघर खोलने पर लगे प्रतिबन्ध में छूट के बाद उड़ीसा के बालासौर जिले में खोले गये नये शाखा डाकघरों/उप डाकघरों की संख्या कितनी है ;

(ख) विभाग के पास अभी कितने प्रस्ताव स्वीकृति के लिये विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ग) क्या आम धारणा यह है कि इस जिले में ऐसे डाकघर खोलते समय जनता के प्रतिनिधियों के विचारों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 8 शाखा डाकघर खोले गए हैं।

(ख) 30 प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) ऐसी कोई बात अभी तक जानकारी में नहीं आई है।

राज्यों में मलेरिया के मामले

393. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
श्री वीरेन्द्र सिंह राव
श्री वसन्त साठे
: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सा राज्य मलेरिया महामारी का शिकार है ;

(ख) क्या सरकार ने उन राज्यों में मलेरिया की रोकथाम के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी रूप-रेखा क्या है ; और

(घ) क्या इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से परामर्श लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जिन क्षेत्रों में प्रति हजार जन संख्या में दो या दो से अधिक व्यक्ति पाजिटिव मलेरिया से पीड़ित हों उन्हें अधिक प्रकोप वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसे क्षेत्र देश के लगभग सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में हैं परन्तु निम्नलिखित राज्यों में मलेरिया का प्रकोप विशेष रूप से अधिक है :

(1) आन्ध्र प्रदेश

(2) गुजरात

(3) हरियाणा

(4) कर्नाटक

(5) मध्य प्रदेश

(6) महाराष्ट्र

(7) उड़ीसा

(8) पंजाब

(9) राजस्थान

(10) उत्तर प्रदेश

(ख) तथा (ग) इन राज्यों में किए गए उपायों का एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली ने 21 से 24 अप्रैल 1976 तक हुई अपनी एक बैठक में भारत समेत दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया की क्या स्थिति है उस के बारे में पुनः विचार किया गया।

विवरण

मलेरिया नियन्त्रण के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम

1. राज्यों को अनेक कीटनाशक औषधियां अधिक मात्रा में सप्लाई की गई हैं। उन एककों को वैकल्पिक कीटनाशक औषधियां भी दी जा रही हैं जहां पर वैक्टर डी० डी० टी० सहन करने वाले बन गए हैं।

2. राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त औषधियां उपलब्ध की गई हैं। व्यापारिक स्रोतों के माध्यम से भी दवाइयां दी गई हैं। जहां यह आशंका थी कि औषधियां स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से नहीं पहुंचेगी, वहां पंचायतों तथा स्कूलों के माध्यम से मलेरिया निरोधी दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं।

3. पी० फाल्सीपैरम किस्म के मच्छरों में क्लोरोक्विन के हजम करने की शक्ति किस सीमा तक आ गई है इस बात का पता लगाने तथा उन पर औषधियों का क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने के लिए औषधि प्रतिरोध शक्ति के बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए संबंधित यूनिटों को अपेक्षित मात्रा में क्विनोन की गोलियां/एम्पाउल्स दे दिए गए हैं।

4. कार्य संचालन की संशोधित योजना तैयार कर ली गई है। वर्तमान एक्कों को पुनर्गठित किया जाएगा।

5. नगरों में मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा निरोधी कार्यों को तेज कर दिया गया है।

6. क्षेत्र के कर्मचारियों के निरीक्षण को तेज कर दिया गया है।

राज्यों में न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड

394. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड ठीक काम कर रहे है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों में कृषि श्रमिकों, होजरी तथा विद्युतचालित करघा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के भुगतान के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) किन राज्यों में इसे अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) यह विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ख) जी नहीं, कृषि में मजदूरी की न्यूनतम दरों को छोड़कर जिनके संबंध में हमने मजदूरी के पुनरीक्षण की आवश्यकता तथा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए राज्य सरकार से घनिष्ट संबंध कायम रखा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये अवकाश गृह

395. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक श्रमिकों के लिये देश में अवकाश गृह खोलन का है; और

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों और स्थानों पर तथा उनका किराया क्या होगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) तत्काल उपलब्ध सूचनानुसार अनेक राज्य सरकारों ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए विश्राम-गृह स्थापित किए हैं, जैसे कि हरियाणा ने (हरद्वार में), दिल्ली प्रशासन (मंसूरी और हरद्वार में) गुजरात ने (अतुभारत, तिथल, चौडवाड, तुलसी श्याम शक्लातीरथ और पावागध में) । तमिलनाडु ने भी कोटल्लिम मामाल्लापुरम में विश्राम गृह स्थापित करन का निर्णय किया है। औद्योगिक श्रमिकों को सामान्यतः विश्राम गृहों का निःशुल्क प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है जैसे कि उदाहरणार्थ हरियाणा के सम्बन्ध में नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है जैसे कि दिल्ली प्रशासन के मामले में जहां 500 रुपये प्रति मास पाने वाले श्रमिको को 1 रुपए देना पड़ता है और 500 रुपये प्रतिमास से अधिक पाने वालों को 2 रुपये प्रतिदिन प्रति सेट देना पड़ता है। नागालैण्ड, पांडिचरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, चण्डीगढ़ प्रशासन, अरुणाचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने न तो कोई विश्राम गृह स्थापित किया है न ही उनका इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव है।

रेल मंत्रालय और डाक और तार विभाग ने भी अपने कर्मचारियों के लिए पर्वतीय स्थलों और तटवर्तीय दर्शनीय स्थलों पर विश्राम गृह स्थापित किए हैं।

"फैमिली प्लानिंग मस्ट फार मैडिकल स्टूडेंट्स" शीर्षक से प्रकाशित प्रेस समाचार

396. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 1976 के स्थानीय दैनिक में प्रकाशित "फमिली प्लानिंग मस्ट फार मडीकल स्टूडेंट्स" समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी हां। यह प्रेस रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा लिये गये निर्णय पर आधारित है। सरकार मैडिकल छात्रों के पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन की शिक्षा को शामिल करने के निश्चय का स्वागत करती है।

अनिवार्य परिवार नियोजन के लिये राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाया जाना

397. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे**
श्री वयालार रवि } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनिवार्य परिवार नियोजन के लिए कानून पास किये हैं ;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन के लिये कितने प्रोत्साहन शिविर चलाये जा रहे हैं ;

(ग) इस के बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ने परिवार नियोजन के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) किसी भी राज्य ने अभी तक अनिवार्य परिवार नियोजन के बारे में कानून नहीं बनाया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में 67 तथा पांडिचेरी में 125 प्रेरणादायक शिविर आयोजित किये गये।

(ग) यह अनुकूल और रुचिपूर्ण रही है।

(घ) और (ङ) जी हां। लोगों को शिक्षित तथा प्रोत्साहित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस, फिल्मों आदि प्रचार के सभी साधनों को काम में लाकर एक देश व्यापी आन्दोलन छेड़ दिया गया है।

राज्यों की राजधानियों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने संबंधी सुविधा

398. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा देश के सभी राज्यों की राजधानियों तक बढ़ा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो डायल घुमाकर सीध टेलीफोन करने की सुविधा द्वारा कितने राज्यों की राजधानियां दिल्ली से संबद्ध हैं और कितने राज्यों की राजधानियों को अभी इस प्रकार जोड़ा जाना है ; और

(ग) अब तक संबद्ध न की गई राजधानियों को उपरोक्त सुविधा दिये जाने की निर्धारित तारीख क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) अभी नहीं।

(ख) इस समय 21 राज्यों की राजधानियों में से निम्नलिखित 11 राजधानियां उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिये दिल्ली से जुड़ी हैं :—

1.	बम्बई	महाराष्ट
2	भोपाल	मध्य प्रदेश
3.	गांधीनगर	गुजरात
4.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा
5.	जयपुर	राजस्थान
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
7.	मद्रास	तमिल नाडु
8.	पटना	बिहार
9.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
10.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
11.	त्रिवेन्द्रम	केरल

शेष 10 राज्यों की राजधानियों की अभी जोड़ा जाना बाकी है।

(ग) शेष राज्यों की राजधानियों को दिल्ली के साथ जोड़ने का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

1.	बंगलूर	(कर्नाटक)	1976-77
2.	भवनेश्वर	(उड़ीसा)	
3.	दीसपुर	(असम)	
4.	कलकत्ता	(पश्चिम बंगाल)	
5.	हैदराबाद	(आंध्र)	
6.	शिलांग	(मेघालय)	

आशा है कि उपयुक्त माध्यम उपलब्ध होने और पांचवीं योजना के अन्त तक शिलांग में ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज लग जाने के बाद बाकी राज्यों की राजधानियों अर्थात् गंगटोक, इम्फाल, कोहिमा, और अगरतला को दिल्ली के साथ जोड़ दिया जायेगा।

नौवहन टनभार

399. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वर्तमान नौवहन टनभार का कितना उपयोग किया जाता है तथा गत तीन वर्षों में इसके कार्यरण के क्या परिणाम रहे ; और

(ख) पांचवीं योजना अवधि में देश में अतिरिक्त नौवहन टनभार बनाने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा इसमें से कितने के लिये कार्य किया जा रहा है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 1974–75 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान हमारे जहाजों ने देश के कुल व्यापार का क्रमश: 18.9 प्रतिशत, 22.4 प्रतिशत और 27.8 प्रतिशत माल ढोया है।

(ख) पांचवीं योजना प्रलेख प्रारूप में पांचवीं योजना के अन्त तक 86.4 लाख जी० आर० टी० का परिचालानात्मक टनभार अस्थायी रूप से दिखाया गया है। पहली जुलाई, 1976 को परिचालनात्मक टनभार 49.00 लाख जी० आर० टी० था और 7 लाख जी० आर० टी० निर्माणाधीन था।

इस्पात उत्पादों की मांग

400. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में इस्पात उत्पादों की मांग की क्या स्थिति है;

(ख) उत्पादन केन्द्रों और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात यार्डों में मात्रावार तथा मूल्यवार स्टाक की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ग) चालू वर्ष में निर्यात के लिये इसकी कितनी मात्रा उपलब्ध होने का अनुमान है ; और

(घ) पहले ही किये गए अनुबन्ध कितने हैं तथा निर्यात और बढ़ाने के लिए क्या बातचीत की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) चालू वर्ष के प्रथम 4 महीनों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सर्वतोमुखी उत्पादकों की इस्पात की बिक्री में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) अगस्त, 1976 को उत्पादन केन्द्रों तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० के स्टाकयार्डों में विक्रेय इस्पात तथा कच्चे लोहे के स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है :—

	(हजार टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
कारखाने के पास स्टाक	140.9	011.272
स्टाकयार्डों के पास स्टाक	855.3	162.507
	996.2	173.779

(ग) और (घ) : चालू वर्ष में लोहे और इस्पात का निर्यात-लक्ष्य 25 लाख टन है। अप्रैल-जुलाई, 1976 में वास्तव में लगभग 8.61 लाख टन माल जहाज पर लादा गया जिसका मूल्य लगभग 107 करोड़ रुपये है। 1-8-76 को पक्के आर्डर जो अभी सप्लाई किए जाने हैं लगभग 11 लाख टन के हैं जिनका मूल्य लगभग 170 करोड़ रुपये बैठता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में तेजी लाया जाना

401. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में परिवार नियोजन कार्यक्रम में तेजी लाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ क्षेत्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) चालू योजनावधि के अंत तक जन्म दर कितनी कम हो जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में परिवार नियोजन को क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी हैं । सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए उपलब्धि के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं । कुछ राज्यों ने तो स्वयं ही चालू वर्ष के दौरान प्राप्त किये जाने वाले उच्च लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं । इस कार्यक्रम को तेज करने के लिये उन्होंने अपनी अपनी मशीनरी को तेज कर दिया है । अधिकांश राज्यों द्वारा अपनाये गये कुछ खास-खास उपायों को परिशिष्ट-I में दिया गया है ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हो जाने की दशा में पांचवीं योजना के अन्त तक राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर के घट कर लगभग 30 प्रति हजार हो जाने की आशा है ।

विवरण

परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेज करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाये गये विशेष उपाय :

(1) सरकार के सभी विभागों स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय निकायों, जिला परिषदों, पंचायतों, औद्योगिक क्षेत्रों और प्राइवेट संगठनों को बड़ी संख्या में शामिल करने को सुनिश्चित बनाने के लिये कदम उठाये जा चुके हैं ।

(2) कुछेक राज्यों में सरकार के सभी विभागों, स्थानीय निकायों, आदि के लिये लक्ष्य निश्चित किये जा चुके हैं । परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं को भी अनुदेश दिये जा चुके हैं कि वे भी निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर लक्ष्यों को पूरा करें ।

(3) जहां पर पहले की राज्य मंत्रिमण्डल समिति, राज्य परिवार नियोजन परिषद, परिवार नियोजन परिषद और कार्यान्वयन समितियों जैसे उच्च स्तरीय समन्वयन और पर्यवेक्षण निकाय नहीं थे, वहां-वहां ये बना दिये गये हैं । परिवार नियोजन की प्रगति पर राज्य मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा इन निकायों के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

(4) परिवार नियोजन कार्यक्रम में लगे सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि लक्ष्य पूर्ति के अधिक से अधिक परिणाम सुनिश्चित हो सकें । जिन कर्मचारियों का काम संतोषनक नहीं है उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है । यह अनुदेश भी जारी किये जा चुके हैं कि जो कर्मचारी अपने काम में सुधार न दिखायें उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाये ।

(5) अनेक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने सरकारी कर्मचारियों और जनता को प्रोत्साहन और हतोत्साहन देने की विशेष योजनाएं बनाई हैं । इस कार्यक्रम को जोरदार और प्रभावकारी ढंग से चलाने के लिये सर्वोत्तम कार्य के लिये पुरस्कारों की भी योजनायें बनाई गई हैं ।

(6) कुछ राज्य सरकारों ने परिवार नियोजन सम्बन्धी विधियों और आधारभूत ढांचे को अपने अपने साधनों से मजबूत बनाया है ।

(7) अधिकांश राज्यों में लघु नसबंदी शिविर परिवार नियोजन पखवाड़े और परिवार नियोजन मास जैसे विशेष अभियान भी चलाये जा रहे हैं ।

(8) प्रधान मंत्री ने भी सभी मुख्य मंत्रियों को लिख कर इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेने और इस संबंध में उन के द्वारा की गई कार्यवाही से उन्हें सूचित करने की अपील की है । मुख्य मंत्री इस कार्यक्रम को तेज करने के लिए सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं ।

इस्पात का निर्यात

402. **श्री प्रिय रंजन दासमुंशी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से उस इस्पात का निर्यात हो रहा है जिसका उपयोग देश में औद्योगिक उत्पादों में नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रास्ता निकालने के लिए इस्पात और खान मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय के बीच कोई वार्ता अथवा बैठक हुई थी ; और

(ग) क्या हमारे देश में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य अब भी स्तर से कम है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) समस्त देशीय मांग की पूर्ति के पश्चात जो लोहा और इस्पात बाकी बच जाता है उसका निर्यात किया जाता है ।

(ख) निर्यात नीति हर वर्ष सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों (औद्योगिक विकास मंत्रालय भी शामिल है) से परामर्श करके बनाई जाती है ।

(ग) वर्ष 1976-77 के लिए छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य 64.65 लाख टन रखा गया है, इसमें बोकारो इस्पात कारखाने (जहां अभी कुछ इकाइयां चालू की जानी बाकी हैं) का 7,20,000 टन उत्पादन भी शामिल है । बोकारो को छोड़कर शेष निर्धारित/उत्पादन अन्य पांच कारखानों की समस्त क्षमता का 85.4 प्रतिशत बैठता है ।

परिवार नियोजन के मामले में हुई प्रगति

403. **श्री धामनकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है और विभिन्न राज्यों के लिए गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) विभिन्न राज्यों के लिए परिवार नियोजन लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित किये गये हैं और लक्ष्य उपलब्धि सुनिश्चित कराने तथा कमियों और गतिरोधों को शीघ्रता से दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) वर्ष 1976-77 में नसबन्दी, लूप लगाने, परम्परागत निरोध तथा अन्य उपायों के लिए अनुमानित लक्ष्य क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) अनुमान है कि कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर जून 1976 तक कुल 194.60 लाख नसबन्दी आपरेशन किये गये और 61.60 लाख लूप पहनाय गये तथा 25.60 लाख दम्पत्ति प्रचलित गर्भ निरोधकों और खाई जाने वाली गोली जैसे परिवार नियोजन के अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 30–6–76 की स्थिति के अनुसार अनुमान है कि 1040 लाख पात्र दम्पत्तियों में से 18.2 प्रतिशत दम्पत्तियों को, जहां पत्नियों 15–44 वर्षों की प्रजननशील आयु की है, विभिन्न परिवार नियोजन के तरीकों के इस्तेमाल से हाल ही में सुरक्षित कर दिया गया है। अब तक जो काम हुआ है, उस के फलस्वरूप जून 1976 तक 256.10 लाख जन्मों के रोके जाने का अनुमान है। अनुमान है कि जन्म-दर जो 1961–71 में लगभग 41 प्रति हजार थी, 1975–76 में घट कर लगभग 35 रह गई है।

1975–76 और 1976–77 के वर्षों के राज्यवार लक्ष्यों का विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–11057/76]**।

(ख) पांचवीं योजना के अन्त तक जन्म दर घट कर 30 प्रति हजार रह जाये, इस को ध्यान में रख कर अखिल भारत के स्तर पर वार्षिक लक्ष्य तय किए जाते हैं। जनसंख्या के आकार और उसके ग्रामीण/शहरी ब्यौरे परिवार नियोजन पर खर्च, महिला साक्षरता, आर्थिक विकास के स्तर और लक्ष्य दम्पत्तियों के कवरेज के अन्तराल को दृष्टिगत करके कुल अपनाने वालों के राष्ट्रीय लक्ष्य को राज्यों/संघ शासित क्षत्रों के बीच बांटा जाता है।

सरकार हर महीने विभिन्न राज्यों के काम पर कड़ी निगरानी रख रही है और साथ साथ कार्यक्रम का मूल्यांकन भी कर रही है कमियों और बाधाओं का पता लगाने के लिये परिवार नियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण नियमित रूप से राज्यों का दौरा कर रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिये उपाय किये जाते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों के नसबन्दी आपरेशनों के लिए मुआवजे की रकमों को बढ़ा दिया गया है। कुछ राज्यों ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहन और हतोत्साहन देने की योजना आरम्भ की है।

(ग) इस का उत्तर भाग (क) में पहले ही दे दिया गया है।

दिल्ली में उसी दिन स्थानीय डाक वितरण सेवा

404. **श्री धाम नकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में राजधानी में आरंभ की गई 'उसी दिन स्थानीय डाक वितरण सेवा' को कितनी सफलता मिली है ;

(ख) क्या इस प्रकार की डाक सेवा अन्य महत्वपूर्ण नगरों तथा शहरों तथा राज्यों की राजधानियों में आरंभ करने का विचार है; और

(ग) क्या अन्य स्थानों को जहां पत्र पाने वालों को डाक मिलने में बहुत समय लगता है डाक के शीघ्र वितरण में कार्यकुशलता तथा तत्परता लाने के लिए इसी प्रकार के विशेष कदम उठाने का विचार है, और यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) यह योजना सफल रही है और जनता ने इसकी सराहना की है।

(ख) राजधानी में इसकी प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर यह योजना श्रीनगर, अम्बाला, चण्डीगढ़, लखनऊ, पटना, शिलांग, कलकत्ता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, बंगलूर, बम्बई, अहमदाबाद, जयपुर और भोपाल में 15-7-1976 से लागू कर दी गयी है। यह योजना पुणे में 9-8-76 से और शेष राज्यों की राजधानियों में अर्थात् जम्मू, ऐजल, ईटा नगर, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, दीसपुर (गौहाटी), पणजी, सिलवासा, गैंगटोक, शिमला और पांडिचेरी में 16-8-76 से लागू की जा रही है।

(ग) अब डाक और उसके वितरण की व्यवस्था का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है और दूरवर्ती क्षेत्रों में डाक व्यवस्था सुधारने के लिए कारगार कदम उठाए जा रहे हैं। सभी स्तरों पर डाक मार्गों की नियमित जांच की जाती है और परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। मार्ग के अवरोधों का पता लगाया जाता है और डाक के प्रेषण में विलम्ब दूर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि समूचे देश में डाक का प्रेषण उपलब्ध सबसे शीघ्रगामी परिवहन सुविधा के जरिये किया जाये, डाक पारेषण प्रणाली को अधिक गतिशील बनाया जाता है।

मछली पकड़ने वाली नावों का नष्ट होना

405. **श्री धामनकर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तट के निकट अरब सागर में हाल में जून, 1976 में आये तूफान के कारण हुई तबाही के परिणामस्वरूप जिन लोगों की अभूतपूर्व जन-हानि और मत्स्य ग्रहण नावें नष्ट हुई थीं उनको तथा उनके परिवारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या बंबई तट पर बेसिन के निकट समुद्र में पोषा-पीर चट्टानों के कारण जहां भारी मात्रा में गाद और रेत जमा हो गयी थी भूतकाल में मत्स्य ग्रहण दुर्घटनाएं हुई थीं और क्या वे अब साफ कर दी गई हैं;

(ग) क्या सुगम और सुरक्षित नौवहन की व्यवस्था करने के लिये समय पर चेतावनी देने हेतु वहां एक प्रकाश-स्तम्भ बनाने एवं तंग तथा उथले मार्ग को चौड़ा तथा गहरा बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) उक्त तूफान में जिन मछुओं की जानें गईं उनके परिवारों को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से 22000 रुपये की राशि दी गई है। महाराष्ट्र सरकार 1000.00 रुपये प्रति परिवार की दर से 22 मृत मछुओं के 22 परिवारों को राशि का वितरण कर रही है।

(ख) गाद साफ करने के प्रश्न पर मानसून के बाद विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) राज्य सरकार का मछुओं के मार्गदर्शन के लिये पोशा-पीर में एक दीपघर की व्यवस्था करने का विचार है। कार्य के मानसून समाप्त होने पर आरंभ करने की संभावना है।

निरोध की बिक्री के लिये प्रोत्साहन

406. श्री के० मालन्ना : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में निरोध की बिक्री के लिए कुछ नए प्रोत्साहन दिये हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) डिपो होल्डरों के माध्यम से निरोध की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निरोध की बिक्री-दर में संशोधन करके अब पांच के बजाए 12 पैसे के तीन निरोध कर दिये हैं और डिपो होल्डरों को बिक्री की सारी राशि प्रोत्साहन के रूप में अपने पास रख लेने की अनुमति दे दी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निरोध को लोकप्रिय बनाने के लिए डिपो होल्डर योजना 1969 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत डिपो होल्डरों को सरकार द्वारा निरोध की सप्लाई निःशुल्क की जाती है और आगे उन्हें 12 पैसे के तीन निरोध बेचने और बिक्री की सारी रकम अपने पास प्रोत्साहन के रूप में रखने की अनुमति दे दी गई है। यह योजना पहले प्रधानतया डाकघरों के माध्यम से चलाई जाती थी। अब इस में सामुदायिक नेताओं, पंचायतों तथा राष्ट्रीय बचत संगठन, आदि नये-नये स्रोतों को शामिल कर इस का विस्तार करने का विचार है।

वाणिज्यिक वितरण योजना नामक एक अन्य योजना भी 1968 से चल रही है जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने वाली कुछ बड़ी-बड़ी कम्पनियों को सरकार द्वारा 16 पैसे के तीन निरोध के हिसाब से रियायती कीमत पर बेचा जाता है। ये कम्पनियां आगे इन निरोधों को 20 पैसे के तीन की दर से अपने खुदरा दुकानदारों को दे देती हैं और फिर परचून दुकानदार इन्हें 25 पैसे के तीन के हिसाब से उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इस योजना के अन्तर्गत थोक विक्रेता तीन निरोधों पर 4 पैसे का लाभ कमाता है जिससे प्रधानतया माल लाने और ले जाने का खर्च ही पूरा होता है और परचून विक्रेता 3 निरोध के पीछे 5 पैसे कमाता है। यह योजना इस आशय से चलाई गई थी कि वाणिज्यिक वितरकों के जरिये बहुत बड़ी संख्या में बिक्री केन्द्रों के जरिये निरोध आसानी से सुलभ कराये जा सकें। इस योजना के अधीन ढाई लाख परचून विक्रेता निरोध बेच रहे हैं।

लेडीज स्पेशल बसों में दिल्ली के स्कूली बच्चे

407. श्री मौलाना इसहाक सम्भली : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केवल महिलाओं के लिये स्पेशल बस सेवा आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि स्कूली बच्चों को आम बसों में चढ़ने में बहुत कठिनाई होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या एक विशेष उम्र तक के स्कूली बच्चों को लेडीज स्पेशल बसों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) व्यस्ततम यातायात समय के दौरान 1 जुलाई, 1976 से लेडीज स्पेशल के तौर पर विभिन्न मार्गों पर 80 फेरे लगाये जा रहे हैं।

(ग) ऐसी कोई कठिनाई नहीं बताई गई है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। स्कूलों का समय कार्यालयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के समय से विभिन्न होता है। स्कूल जाने वाले बच्चे जो सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर करते हैं की मांग को पूरा करने के लिये पहले से ही चलाई जा रही सेवा को दिल्ली परिवहन निगम ने पर्याप्त समझा है।

पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि

408. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत एक वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में 9 लाख की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या 31-12-1974 को 84.33 लाख थी जो बढ़कर 31-12-1975 को 93.26 लाख हो गई।

(ख) बेरोजगारी की समस्या के संबंध में सरकार पूरी तरह से सचेत है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई रोजगार नीति का उद्देश्य कृषि, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मुख्य सिंचाई प्रणालियों का कमान क्षेत्र विकास, कुटीर, लघु और मध्यम उद्योग समाज सेवाएं, व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य अनुषंगी एवं सम्बद्ध कार्यकलाप आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वियन द्वारा रोजगार अवसरों की व्यवस्था करना है। इन सभी कार्यक्रमों से विभिन्न राज्यों में पर्याप्ति रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से, जो कि इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है, रोजगार अवसर पैदा होने में काफी तेजी आएगी। इस संदर्भ में हथकरघा उद्योग के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए विशेष योजनाओं और शिक्षुता योजना का उल्लेख किया जा सकता है। ग्रामीण विकास के लिए योजनागत स्कीमों के एक हिस्से के रूप में कुएं, तालाब, नहरें आदि जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन या सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ राज्य सरकारें कार्यक्रम चला रही हैं, या इनमें विस्तार कर रही हैं। इन कार्यक्रमों से, जो कि श्रम-प्रधान हैं, अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा करने में भी सहायता मिलेगी।

उड़ीसा में एल्यूमिना संयंत्र

409. श्री डी० के० पंडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य में एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) व (ख) जी, हां 1 नवम्बर, 1974 में उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से नए खोजे गए बाक्साइट भंडारों पर आधारित उड़ीसा में एक लाख टन क्षमता वाले एल्यूमिना कारखाने की स्थापना के लिए कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ।

उसके बाद, गत दो वर्षों के दौरान भूगर्भीय खोजों से उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी तट क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी बाक्साइट के अधिक भंडारों की पुष्टि हुई है । इस समय इन बाक्साइट भंडारों के प्रमाणन का कार्यक्रम चल रहा है । इन प्रमाणन कार्यों से उत्पन्न परिणामों के आधार पर इन भंडारों की खुदाई के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी ।

पाकिस्तान तथा चीन के साथ राजनयिक संबंध

410. श्री डी० के० पंडा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में किस सीमा तक सुधार हुआ है;

(ख) इस दिशा में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ौसी संबंधों में क्या नीवनतम प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) से (ग) इस वर्ष मई में इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच समझौता हो जाने पर 24 जुलाई, 1976 से राजनयिक संबंध पुनः स्थापित कर लिए गए थे । दोनों देशों के बीच भग्न संचार संपर्कों को भी पुनः स्थापित करने पर सहमति ही गई थी । तदनुसार इस वर्ष 28 जून को एक रेल संपर्क समझौते पर तथा 16 जुलाई को विमान संपर्क तथा एक-दूसरे के प्रदेश के ऊपर से उड़ानों के विषय में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ।

जहां तक चीन का प्रश्न है, इस वर्ष 15 अप्रैल को लोक सभा में की गई इस निर्णय की घोषणा के अनुसार कि एक-दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधित्व को राजदूत के स्तर पर पुनः स्थापित किया जाएगा, चीन में भारत के राजदूत ने 24 जुलाई, 1976 को पीकिंग में अपने प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं । ऐसा समझा जाता है कि दिल्ली में चीन का राजदूत भी शीघ्र ही आ जाएगा ।

ये बातें हमारी इस सुसंगत नीति के अनुरूप हैं कि हम अपने सभी पड़ौसियों के साथ बेहतर और मजबूत संबंध चाहते हैं जिससे कि एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बल मिले ।

श्री हितेन्द्र देसाई की लन्दन यात्रा

412. श्री डी० के० पंडा
श्री भान सिंह भौरा } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री हितेन्द्र देसाई हाल ही में लंदन गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा, विशेषकर साऊथ हाल की यात्रा के दौरान उन्हें हुए अनुभवों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ग) ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों का एक वर्ग भारत की मान-प्रतिष्ठा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) श्री हितेन्द्र देसाई ने 6 से 16 जून, 1976 तक ब्रिटेन की यात्रा की थी।

(ख) उन्होंने भारतीय समुदाय के बहुत से लोगों से मुलाकात की, उन्हें भारत की वर्तमान स्थिति समझाई और देश की महान उपलब्धियों से उन्हें परिचित कराया। उन्होंने कई सभाओं में भाषण दिया और 14 जून को साउथ हाल भी गए जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों के नेताओं से बातचीत की। भारतीय समुदाय ने आमतौर से श्री देसाई की यात्रा का स्वागत किया।

(ग) जी हां, ये लोग अधिकांशतः सम्प्रदायवादी और उग्रवादी हैं।

(घ) विदेशों में भारतीय समुदाय को भारत की सही-सही स्थिति समझाने के लिए सरकार ने प्रयत्न किये हैं और बराबर करती रहेगी ताकि उनकी गलतफहमियां दूर हों।

उड़ीसा में मयूरभंज जिले में तांबे के निक्षेप

413. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभंज जिले में तांबे के भारी भंडार का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है तथा उसकी आर्थिक उपयोगिता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। मयूरभंज जिले के केसरपुर इलाके में भारतीय भूगर्भ सर्वे संस्था द्वारा अब तक केवल 16.60 लाख टन भंडार वाले एक छोटे निक्षेप का पता चला है, जिसमें औसतन 1.59% के लगभग तांबा है।

छोटे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अविलम्ब ट्रंक सेवा (एल० टी० डी०) की सुविधाएं

414. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अविलम्ब ट्रंक सेवा (एस० टी० डी०) की सुविधाएं उपलब्ध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे छोटे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां चालू वर्ष के दौरान ये सुविधाएं दी जाएंगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाएं देने के बारे में सरकार विचार कर रही है ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान छोटे नगरों या ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कोलगांग बिहार के निकट हाइड्रोजन गैस का पाया जाना

415. श्री विभूति मिश्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना के 27 जून 1976 के एक दैनिक समाचार पत्र में 'हाइड्रोजन गैस लोकेटेड नियर कोलगांग' (कोलगांग के निकट हाइड्रोजन गैस का पाया जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच अथवा सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उससे क्या पता चला है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था ने कोलगांग में गैस के होने की खोज की है, तथा एकत्र किए गए नमूनों के क्षेत्रीय रासायनिक प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे हैं, जिनके परिणाम की प्रतीक्षा है ।

Beating of Indian Pilgrims in Pashupathinath Temple

416. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have elicited information about the beating of Indian pilgrims in Pashupathinath temple; and

(b) the action taken by Government to ensure that such incidents do not recur in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter was brought to the notice of the Nepalese Foreign Minister by our Ambassador personally. The Government of India hope that the Government of Nepal would provide full protection to the Indian pilgrims visiting shrines in that country.

ब्रिटेन में जातीय स्थिति के बारे में भारत, पाकिस्तान एवं बंगला देश के मिशनों के प्रधानों की लंदन में बैठक

417. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, पाकिस्तान एवं बंगला देश के मिशनों के प्रधानों की ब्रिटेन में जातीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु 17 जून, 1976 को लंदन में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या-क्या मुख्य निर्णय किए गए ; और

(ग) क्या अब तक कोई समाधान ढूंढ़ निकाले गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : इन तीन मिशनों के बीच सलाह-मशविरा मई 1976 के अन्त में शुरू हुआ था । तब से ये संयुक्त रूप से ब्रिटिश प्राधिकारियों से संपर्क बनाए रहे हैं और स्थिति पर विचार करने के लिए समय-समय पर आपस में मिलते रहे हैं। 17 जून को तीनों देशों के दूतों की बैठक इसी सिलसिले में हुई थी । उन्होंने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा अन्य ब्रिटिश नेताओं के वक्तव्य का स्वागत किया जिसमें आप्रवासी समुदाय को पूर्ण जातीय समानता के आधार पर कानून के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान करने का आशवासन दिया गया है । उन्होंने निर्णय किया कि जातीय समरसता का वातावरण तैयार करने के लिए संबद्ध प्राधिकारी जो ठोस कदम उठाएंगे उनके बारे में वे ब्रिटिश सरकार के साथ बराबर संपर्क बनाए रहेंगे ।

Payment of Low Wages to Labourers by Cold Water Companies

418. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the companies selling cold water in Delhi pay only Rs. 2·50 per day for 12 hours to the labourers engaged by them for selling water and do not pay the wage fixed by Government for 8 hours' duty ;

(b) whether more than 8 hours' work is taken from these labourers without any compensation and no facility is given to them; and

(c) if so, what remedial measures, Government contemplate ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) From enquries made it is understood that persons selling Cold Water in Delhi are generally employed on Rs 60 to Rs. 70/- per month plus a minimum commission of 3 per cent on sales.

(b) and (c) No specific complaints in this regard are reported to have been received by the concerned Authority under the Delhi Administration.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित वर्कशाप (विचार-गोष्ठी) की सिफारिशें

419. **श्री श्री के० एम० मधुकर, श्री सी० जनार्दनन् : स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशाप (विचार-गोष्ठी) में भारतीय अस्पतालों के बारे में कुछ विस्मयकारी तथ्य सामने आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या वर्कशाप में अस्पतालों में फैलने वाले संक्रामक रोगों की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) नौसोकोपियल तथा स्ट्रेप्टोकोक्कल संक्रमणों पर सूक्ष्मजीवी अन्वेषण सम्बन्धी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्—विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई कार्यशाला जनवरी, 1976 में आयोजित की गई थी । अस्पतालों में संक्रमण पर प्रकाशित पेपरों के रूप में पहले से जो विभिन्न सांख्यिकी सूचना उपलब्ध थी इस कार्यशाला में उस पर विचार किया गया । कार्यशाला में किसी नए विस्मयकारी तथ्यों का पता नहीं चला है ।

(ग) और (घ) स्ट्रेप्टोकोक्कल, स्टेफिलोकोक्कल तथा सियोडोमोनस संक्रमणों पर कार्य करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने पहले ही तीन राष्ट्रीय सन्दर्भ केन्द्र खोल रखे हैं। कार्यशाला की सिफारिशों पर जुलाई 1976 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में हुई एक बैठक में विचार किया गया था । उस बैठक का कार्यवृत्त सभा पटल पर रख दिया गया है ।

अनिवार्य परिवार नियोजन लागू करने के लिये स्वीकृति

420. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य में अनिवार्य परिवार नियोजन लागू करने हेतु स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) जी, हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

बंधित श्रमिकों का उद्धार और पुनर्वास

421. **चौधरी राम प्रकाश**
श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री बयालार रवि
श्री एम० एस० पुरती
: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1976 तक राज्यवार कुल कितने बंधित श्रमिकों का उद्धार किया गया ; और

(ख) उनमें से कितने श्रमिकों का पुनर्वास कर दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा है ।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	जून, 1976 तक	
		स्वतंत्र किए गए बन्धक श्रमिकों की संख्या	पुनः स्थापित किए गए बन्धक श्रमिकों की संख्या ।
1.	आन्ध्र प्रदेश	826	698
2.	बिहार	581	—
3.	कर्नाटक . . .	27,195	—
4.	मध्य प्रदेश . . .	243	—
5.	उड़ीसा . .	95	95
6.	राजस्थान	4,974	1,396
7.	तमिल नाडु . . .	2,416	1,136
8.	उत्तर प्रदेश . . .	19,166	2,498

परिवार नियोजन अभियन्ता में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को टेलीविजन सेट तथा रेडियो

422. **श्री श्री एस० ए० मुरुगनन्तम**
श्री भान सिंह भौरा : } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्माताओं की ओर से बहुत से टेलीविजन सेट तथा रेडियो आदि मिले हैं जिन्हें परिवार नियोजन अभियान में विशिष्ट काम करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को भेंट किया जाना है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Scheme of Workers' Participation Introduced in Public and Private Sectors

423. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether with a view to increase production and solve other problems, workers' participation in management in industries in private as well as public sector has been envisaged in the 20-point economic programme ;

(b) if so, the names of the units under the private and public sectors, separately, where it has been made applicable during the last one year; and

(c) the reasons for not introducing this scheme in other units and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) Yes, Sir.

(b) A complete list of names of units in all States and Union Territories, which have implemented the Scheme for Workers' Participation in Industry, is not available; however, as reported by them, the provisional number of such units is 924. As regards the public sector units of the Central Government, 472 of them have either implemented or initiated action to implement the Scheme; a list of these units is placed on the Table of the House. (Placed in the library. *See No.* LT-11058/76).

(c) The Scheme has been welcomed by all and is already in the process of implementation all over the country. A number of Units employing less than 500 employees not covered by the Scheme have also implemented its provisions.

Check on Retrenchment and Lay-Off

424. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether despite declaration of emergency and passing of bills by the Parliament, incidents of retrenchment, lay-off and lock-out are occurring in various parts of the country;

(b) if so, the state-wise number of such incidents upto 31st July, 1976 and the number of labourers affected thereby; and

(c) the steps taken by Government to check these illegal and anti-labour acts of the mill owners?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha after it is received.

कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी

425. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में 1974 के बाद अब तक कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षित कर दी गई है ;

(ख) राज्य वार पुरानी मजदूरी दरें और पुनरीक्षित मजदूरी दरें क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि कुछ राज्यों तथा बहुत से राज्यों के बहुत से जिलों में पुनरीक्षित मजदूरी दरों को अभी क्रियान्वित किया जाना है ; **और**

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न है ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 11059/76)

(ग) और (घ) कृषि मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी न देने के आरोपों के केवल दो मामले सरकार के ध्यान में आए हैं—एक गुगरात के सूरत ज़िले में और दूसरा पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में। सम्बन्धित राज्य सरकारों, जो कि न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अधीन उचित सरकारें हैं, से मामले में उचित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

नयी परिवार नियोजन नीति

426. **श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में सरकार द्वारा घोषित नयी परिवार नियोजन नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ख) क्या उन्हें पुरुष और महिला नसबन्दी के बारे में सरकार के निर्णय के दुरुपयोग के बारे में कोई आरोप प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) सुनियोजित पितृत्व की आवश्यकता के लिए लोगों को शिक्षित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य-मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। यह नीति 16 अप्रैल, 1976 को लोक सभा में घोषित की गई थी और इसकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) ऐसा कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) नई नीति को लोगों के सामने लाने तथा परिवार नियोजन को जीवन-पद्धति के रूप में अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करने के सम्बन्ध में एक देश-व्यापी अभियान चलाया गया है । इस काम के लिए प्रचार के सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा राज्यों की प्रचार सम्बन्धी संस्थाओं को इस अभियान में शामिल किया जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य मुख्य विशेषताएं

(क) लड़कियों के मामले में विवाह की आयु को बढ़ा कर 18 वर्ष तथा लड़कों के मामले में 21 वर्ष कर दिया जाएगा और इस आशय का एक उपयुक्त कानून बना दिया जाएगा । इस कानून के अधीन किए गए अपराधों की सुनवाई वह अधिकारी करेगा जो उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट के स्तर के नींचे का नहीं होगा ।

(ख) विवाह के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जाएगा ।

(ग) लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के प्रतिनिधियों की संख्या सन् 2001 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही नर्धारित की जाएगी । चालू वर्ष के दौरान संविधान में आवश्यक संशोधन कर दिया जाएगा । अन्य निर्वाचित निकायों के लिए भी उपयुक्त कानून बना दिया जाएगा ।

(घ) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन, करों के हस्तान्तरण तथा सहायता अनुदान की भान्ति जनसंख्या सम्बन्धी सभी मामलों में वर्ष 2001

तक 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाता रहेगा । राज्य योजनाओं के वास्ते केन्द्रीय सहायता का 8 प्रतिशत भाग विशेष रूप से परिवार नियोजन कार्यों के लिए निर्धारित किया जाएगा ।

(ङ) महिला शिक्षा के स्तर को उठा कर मिडल दर्जे तक ले जाने के साथ-साथ युवतियों के अनौपचारिक शिक्षण की योजनाएं तैयार करने तथा शिशु पोषण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए विशेष उपाए किए जाएंगे ।

(च) पुरुषों तथा स्त्रियों के नसबन्दी आपरेशनों के लिए मुआवजे की रकम, दो या दो से कम जीवित बच्चों के मामले में बढ़ा कर 150 रुपए तीन जीवित बच्चों तक 100 रुपए तथा चार अथवा अधिक बच्चों तक 70 रुपए कर दी जाएगी ।

(छ) सामूहिक प्रोत्साहनों को शक्तिशाली तथा काल्पनिक ढंग से लागू किया जाएगा ताकि परिवार नियोजन को एक जन आन्दोलन का रूप दिया जा सके और इसमें अधिकाधिक लोगों को शामिल किया जा सके ।

(ज) आय कर को आंकते समय परिवार नियोजन प्रयोजनों के लिए दान स्वरूप दी गई रकम पर पूरे रिबेट की अनुमति दी जाएगी ।

हल्दिया में शिपयार्ड

427. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में कलकत्ता में कहा था कि इससे पहले कि हल्दिया में नया शिपयार्ड बनाने का निर्णय लिया जाए, यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या भारत के वर्तमान शिपयार्डों पर उपलब्ध सुविधाओं से संदेश की आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी या नहीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने हल्दिया में प्रस्तावित शिपयार्ड स्थापित न करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा निर्णय किन-किन बातों के आधार पर किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) जी हां । भारी पूंजी लागत वाले नए शिपयार्डों की स्थापना पर कोई निर्णय करने से पूर्व इस बात पर विचार किया जाना है कि मौजूदा शिपयार्डों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे देश की आवश्यकताओं को कहां तक पूरा कर सकती हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-पाक संबंधों के लिये चीन का समर्थन

428. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए चीन का पिंडी को समर्थन सम्बन्धी हाल के प्रैस के समाचारों की ओर सरकार का ध्यान गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार शिमला समझौते के ढांचे के अन्तर्गत ऐसी किसी भी बात का स्वागत करेगी जो भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया का समर्थन करती हो।

डाक-तार सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार

429. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पंजाब में, डाक-तार सुविधाओं के आगे और विस्तार के लिए गत तीन महीनों के दौरान कोई कार्रवाई की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुविधाएं ब्लाक मुख्यालयों पर उपलब्ध की जाएंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) देहाती इलाकों में डाक सुविधाओं के विस्तार के लिए अप्रैल, मई और जून, 1976 में एक अभियान चलाया गया था। इसकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

	सम्पूर्ण देश में	पंजाब में
1. देहाती इलाकों में खोले गए डाकघर	192	38
2. लगाए गए लेटर बक्स . .	7640	665
3. डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री बेचने के लिए नियुक्त किए गए एजेंट .	734	27
4. देहाती चलते-फिरते डाकघरों का खोलना .	199	3
5. दैनिक डाक वितरण सुविधा के अन्तर्गत लाए गए अतिरिक्त गांव	25664	पंजाब राज्य के सभी गांवों में रोजाना डाक वितरण की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) और (ग) बिहार सर्किल के 4 और उत्तर प्रदेश सर्किल के 6 खण्ड मुख्यालयों को छोड़कर देश के सभी खण्ड मुख्यालयों में डाकघर मौजूद हैं।

7—595LSS/76

अमरीका के डिएगो गार्शिया अड्डे से केन्या को फ्रिगेट तथा विमानों का भेजा जाना

430. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में अमरीकी डिएगो गार्शिया नौसैनिक अड्डे का हाल ही में "शक्ति प्रदर्शन" के रूप में केन्या को नौसैनिक फ्रिगेट तथा विमान भेजे जाने के लिए प्रयोग में लाया गया है;

(ख) क्या यह कार्य अपने पडौसी युगान्डा के साथ केन्या के झगड़े में अमरीकी हस्तक्षेप के तुल्य है ;

(ग) अमरीकी सरकार की ऐसी 'गनबोट' राजनीति के प्रति भारत की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या राष्ट्रों के गुट-निरपेक्ष दल को भारत सरकार ने कहा है कि वह शान्ति को खतरा पैदा करने वाले इस डिएगो गार्शिया अड्डे को समाप्त करने की मांग करे ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क), (ख), (ग) और (घ) सरकार ने ऐसी खबरें देखी हैं कि अमरीका ने दीगो गार्सिया अड्डे का प्रयोग करते हुए हिन्द महासागर में नेमी संचालन का एक पैटर्न बना रखा है और यह भी कि हाल ही में एक नौसैनिक फ्रिगेट पोर्ट आफ मोम्बासा भेजा गया था और पी०-3 ऐन्टी सबमेरीन एयरक्राफ्ट नैरोबी। लेकिन बाद की खबरों के अनुसार केनिया और उगांडा का झगड़ा परस्पर विचार-विमर्श द्वारा तै हो गया है ।

अमरीका द्वारा दीगो गार्सिया में पूर्ण विकसित अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में भारत के विचार सुविदित हैं और इस सदन में पहले भी उन्हें बताया जा चुका है । भारत के अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाया जाए । 1970 के लुसाका सम्मेलन में 1973 के अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन में, अगस्त, 1975 में लीमा में गुट-निरपेक्ष विदेश मंत्रियों की बैठक में, तथा मई/जून 1976 में विदेश मंत्रियों की अल्जीयर्स ब्यूरो बैठक में भी इसे फिर दुहराया गया था।

गुट-निरपेक्ष राष्ट्र दल की सदस्यता की कसौटी

431. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष राष्ट्र दल की सदस्यता सम्बन्धी कसौटी का पुनरीक्षण करने के बारे में कुछ राष्ट्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, नहीं। तथापि कुछ गुट-निरपेक्ष देशों ने यह विचार व्यक्त किया है कि पर्यवेक्षकों और अतिथियों के मामलों में विद्यमान कसौटी को लागू करने में कुछ लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाए ।

(ख) हमारा विचार यह है कि इस कसौटी में ढील देने से गुट-निरपेक्ष आंदोलन की अपनी विशिष्टता और सम्बद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

ब्रिटेन में पास किया गया 'रेस रिलेशंस एक्ट'

432. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश संसद् द्वारा पारित किए गये नये रेस रिलेशन्स एक्ट से ब्रिटेन में रह रहे तथा काम कर रहे भारतीय नागरिकों के अधिकारों की कैसी रक्षा होगी;

(ख) क्या हाल ही में ब्रिटेन में एशियाई प्रवासियों के विरुद्ध प्रचार की लहर को ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन और ब्रिटिश प्रेस के कुछ सेक्शनों ने प्रोत्साहन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर ब्रिटेन के अधिकारियों से बातचीत की है और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जाति सम्बन्ध बिल में, जो अभी ब्रिटिश संसद् के विचाराधीन है, यह व्यवस्था है कि ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध मजबूत उपाय किए जाएं। यह भारतीय नागरिकों तथा भारतीय मूल के लोगों सहित ब्रिटेन में सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। और बातों के साथ-साथ, इस बिल में जातिगत भेदभाव की परिभाषा व्यापक की गई है; इससे क्लबों और स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए सदस्य बनाने के मामले में भेदभाव बरतना गैर-कानूनी होगा और इससे भेदभाव उत्पन्न करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगेगी। वर्तमान जाति सम्बन्ध बोर्ड और जाति सम्बन्ध आयोग मिलकर एक बन जाएंगे और उसे अधिक अधिकार और व्यापक जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। भेदभाव के शिकार व्यक्ति अदालतों में मुकदमे दायर कर सकेंगे ताकि उनकी शिकायतें हल हो सकें और ऐसा करने में उन्हें, आजकल की तरह, किसी वैधानिक अभिकरण के सामने अपना केस प्रस्तुत न करना होगा।

(ख) और (ग) कुछ ब्रिटिश अखबारों ने गैर-जिम्मेदारी की खबरें छापी हैं। भारत सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों तथा प्रेस का ध्यान अखबारों में छपी गैरजिम्मेदारी की टिप्पणियों की ओर दिलाया है जिससे कि आप्रवासी समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण पर और ब्रिटेन में जातीय मेल-जोल पर उसके गंभीर परिणाम होंगे।

लन्दन पुलिस की भारतीयों से झड़प

433. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ब्रिटेन में जातिभेद के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले पश्चिम भारतीय और एशियाई प्रवासियों की लन्दन पुलिस से झड़पें हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां।

(ख) 11 जुलाई, 1976 को एशियाई और वेस्ट इंडीज के संघों ने स्थानीय मजदूर यूनियन की सहायता से जातिभेद के खिलाफ एक रैली आयोजित की थी। यह रैली हाइड पार्क से

शुरू हुई जहां इसके अनेक समर्थकों ने ब्रिटिश प्राधिकारियों के तथाकथित जातिभेद के रवए की निन्दा की । डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के आवास के निकट पुलिस और प्रदर्शन-कारियों में भिड़न्त हुई । छह प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए और एक महिला पुलिस कांस्टेबल को मामूली-सी चोट आई ।

(ग) ब्रिटेन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी यद्यपि ब्रिटिश सरकार की है फिर भी ब्रिटिश सरकार को इस प्रकार की हाल की घटनाओं पर भारत सरकार की चिन्ता से और ब्रिटेन में जातीय समरसता का वातावरण बनाए रखने के महत्व से अवगत करा दिया गया है । ब्रिटिश सरकार ने अपने सर्वोच्च स्तर से जातीय समानता की नीति की पुनर्पुष्टि की है ।

डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

434. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाखा डाकघरों को विभागीय उपडाकघरों का दर्जा देने के लिए 5 घंट के कार्यभार की अपेक्षा पर पुनः विचार करने के अनुरोध पर कोई निर्णय किया गया है क्योंकि इस अपेक्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों ने डाकतार सुविधाओं के विकास को आघात पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किस प्रकार का निर्णय लिया गया है और यह निर्णय कब किया गया है और ;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :(क) से (ग) डाकघर की आय/लागत निकालने और शाखा डाकघरों को खोलने/का दर्जा बढ़ाने से सम्बन्धित मानदंडों का अध्ययन करने के लिए विभाग ने एक समिति का गठन किया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और यथाशीघ्र कोई निर्णय ले लिया जाएगा ।

जबरी छुट्टी और छंटनी की पूर्व अनुमति प्राप्त न करने के कारण मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही

435. **श्री समर मुकर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1976 के अनुसार कारखानों, खानों और बागानों के कितने मालिकों ने कर्मचारियों को जबरी छुट्टी देने अथवा उनकी छंटनी करने अथवा अपने प्रतिष्ठानों को बन्द करने से पूर्व सरकार के विशिष्ट अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली थी; और

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1976 के उपबन्धों का पालन न करने वाले मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जो आवेदन और नोटिस पिछली अनुमति/स्वीकृति के लिए प्राप्त हुए तथा जिनका निपटान केन्द्रीय कार्यक्षेत्र में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी और केन्द्रीय सरकार ने किया, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

	प्राप्त हुए	अनुमति/ स्वीकृति दी गई	अस्वीकार किए गए
जबरी छुट्टी	21	1	15
छंटनी	6	2	शून्य
बंदी	4	1	1

राज्य के कार्यक्षेत्र में आने वाले कारखानों और बागान के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अब तक अनुपालन के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है । तथापि, केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र को यह हिदायतें हैं कि जो नियोजक इस सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं, वे उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करें ।

बर्दवान में एंसेफलाइटिस के मामले

436. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल में बर्दवान के कुछ क्षेत्रों तथा उसके साथ लगने वाले बांकुरा जिले में काफी संख्या में जापानी एंसेफलाइटिस के मामलों के घटित होने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या एंसेफलाइटिस की घटनाएं इसी प्रकार उग्र रूप में किसी राज्य में भी हुई हैं ; और

(घ) यदि हां तो इन क्षेत्रों के घातक एंसेफलाइटिस संक्रमक रोग द्वारा प्रभावित होने के कारणों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) जी हां ।

(ख) इस रोग के नियंत्रण/निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) सभी रोगी व्यक्तियों की जांच की गई है और अस्पतालों में उनके इलाज की व्यवस्था कर दी गई है ;

(2) जानपदिक रोग विज्ञान सम्बन्धी परीक्षणों उपचार और नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं ;

(3) इस रोग को फैलाने वाले संक्रामक मच्छरों को समाप्त करने के लिए प्रत्येक रोगी के और इसके पास-पड़ौस के मकानों में गेमैक्सीन का छिड़काव कर दिया गया है ;

(4) इस रोग के प्रकोप वाले क्षेत्रों से मच्छरों को पकड़ा जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है ताकि इस रोग को फैलाने वाली उनकी मौसमी जाति के मच्छरों का उनकी व्यापकता का और जहां वे पैदा होते हैं उन स्थानों का पता लगाया जा सके ;

(5) जापान से जापानी एंसेफलाइटिस-वैक्सीन का आयात किया जा रहा है ;

(6) इसके अतिरिक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के स्थानीय अधिकारियों, मरक वैज्ञानिकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों और स्कूल आफ ट्रापीकल मेडिसिन, कलकत्ता के एक दल ने तथा उक्त संस्थान के वाइरस-विज्ञान के प्राध्यापक ने इस रोग के प्रकोप वाले गांवों और उन अस्पतालों को निरीक्षण किया है जिनमें इन रोगियों को पृथक रखा गया था ; और

(7) इस रोग के प्रकोप वाले क्षेत्र में नियंत्रण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करने में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के एक दल को भी भेजा गया है ।

(ग) किसी अन्य राज्य से इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) ऊपर भाग (ग) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

वियतनाम द्वारा धन आदि की सहायता की मांग

437. **श्री रानेन सेन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम सरकार ने हाल ही में भारत से धन आदि की सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपनपाल दास : (क) और (ख) भारत सरकार ने कहा है कि वियतनाम के पुनर्निर्माण में वह अपना सहयोग देने को तत्पर है ।

मई से जुलाई, 1976 तक मिलों का बन्द होना और तालाबन्दी

438. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई से जुलाई, 1976 तक बन्द होने वाली मिलों तथा उन मिलों में जिनमें तालाबन्दी हुई की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण तथा तथ्य क्या हैं;

(ग) औद्योगिक उत्पादन पर इसका कहां तक प्रभाव पड़ेगा और इससे कितने व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने काम के घंटों की हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

देश में औषधियों की कमी

439. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषधियों की भारी कमी है ;

(ख) क्या देश में अस्पताल गरीब रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता नहीं दे रहे हैं; और

(ग) क्या इस के परिणामस्वरूप मृत्यु दर में वृद्धि हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) देश में औषधियों की भारी कमी नहीं है । कभी-कभी कतिपय औषधियों विशेषकर स्वामित्व वाले (प्रोप्राइटरी) ब्रान्ड की औषधियों की कमी को बाजार में उनकी एवज में उपलब्ध दवाइयों द्वारा पूरा किया जाता है ।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है । गरीब रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने की प्रैक्टिस प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है ।

गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सहयता देने के लिए राज्यों को निर्देश

440. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली तथा राज्यों के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे गरीबों को पहले की भांति निःशुल्क चिकित्सा सहायता देना जारी रखें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं ।

भगवती समिति के प्रतिवेदन की कार्यान्विति

441. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुत पहले सभा के पटल पर रखे गए बेरोज़गारी के बारे में भगवती समिति के प्रतिवेदन की कार्यान्विति के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रदिवेदन की कितनी सिफारिशें अब तक स्वीकार कर ली गई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इसकी कितनी सिफारिशों को नामंजूर कर दिया गया है; और

(ङ) इसकी सिफारिशों के कब तक पूरी तरह से कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) बेरोजगारी सम्बन्धी भगवती समिति की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किए जाने के तत्काल बाद उसमें निर्दिष्ट सिफारिशों पर योजना आयोग द्वारा स्थापित अन्तर्मन्त्रालय कार्यकारी दल द्वारा विचार किया गया। उसके बाद समिति की सिफारिशों और उस पर कार्यकारी दल के विचार संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजे गए। इस मामले में लगातार अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

(ग) से (ङ) बेरोजगारी सम्बन्धी भगवती समिति द्वारा की गई कुल 221 सिफारिशों में से, जो कि सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई थीं, 212 के संबंध में अन्तिम विचार और की गई कार्यवाही के ब्यौरे प्राप्त हो चुके हैं। 90 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि अन्य 106 सिफारिशें सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई हैं और उन पर उपलब्ध साधनों के अन्दर कार्यवाही की जा रही है। मंत्रालयों/विभागों के लिए 16 सिफारिशें स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है।

शेष 9 सिफारिशों के बारे में मंत्रालयों/विभागों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग

442. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाते हुए अनेक मंत्री, सरकारी अधिकारी तथा अन्य प्रतिनिधि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त परिणाम प्राप्त न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारत अथवा इनमें से किसी देश के बीच सांस्कृतिक अथवा आर्थिक समझौता हुआ था।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारत से इस क्षेत्र के विभिन्न देशों की यात्रा पर हाल में जो महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल गए थे, उनके नेता थे: लोक सभा के अध्यक्ष, श्री बलिराम भगत, विदेश मंत्री, श्री यशवंत राव चह्वाण, राजस्व एवं बैंक कार्य-मंत्री, पी० के० मुखर्जी, उप विदेश मंत्री, श्री बिपिनपाल दास और संसदीय कार्य विभाग के उप मंत्री, श्री बी० शंकरानंद। ये यात्राएं मित्र देशों में उच्च स्तर के व्यक्तियों को भेजने-बुलाने की सामान्य प्रथा का ही एक अंग थीं जिससे कि उनके साथ आपसी समझ-बूझ बढ़े और सभी दिशाओं में सहयोग मजबूत हो। यह उद्देश्य अच्छी तरह पूरा हुआ था।

(ग) ये प्रतिनिधिमंडल सांस्कृतिक अथवा आर्थिक करार सम्पन्न करने के उद्देश्य से नहीं भेजे गए थे।

नौवहन के संवर्धन में हेतु विदेशों से समझौते

443. **श्री अमर सिंह चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नौवहन तथा परिवहन में संबंधी तथा सुविधाओं के संवर्धन के लिये गत तीन महीनों में बहुत से देशों के साथ समझौते किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) पिछले 3 महीनों के दौरान नौवहन के बारे में हस्ताक्षर किया गया एकमात्र करार वह है जिस पर व्यापार पोत के संबंध में भारत और सोवियत संघ के बीच नई दिल्ली में 19 जुलाई, 1976 को हस्ताक्षर हुए।

(ख) व्यापार पोत का यह नया करार लागू होने पर 1956 में किये गये करार का स्थान ले लेगा। यह वाणिज्य परिवहन में समानता के आधार पर दोनों देशों में विदेशी जहाजों के लिए दोनों देशों के उन पत्तनों को छोड़कर जो विदेशी जहाजों को खुले हुए नहीं हैं सोवियत संघ के समस्त पत्तनों से भारतीय पत्तनों तक माल-ढुलाई और भाड़ा किराए पर तथा समान्य माल के अतिरिक्त शुष्क और तरल पदार्थों पर भी लागू होगा। करार में यह भी व्यवस्था है कि एक ऐसी अन्तर-शासकीय संस्था स्थापित की जाए जो एक देश के द्वारा दूसरे देश के जहाजों के प्रति अति-अनुगृहीत, राष्ट्र का-सा व्यवहार करने तथा समुद्री-व्यक्तियों को सुविधाएं देने इत्यादि सामान्य कार्यों के अलावा अपनी कार्य-प्रणाली की भी देख-भाल करेगी।

मलंज खंड तांबा खानें

444. **चौधरी नीति राज सिंह :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मलंज खंड तांबा खानों के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है और मलंज खंड में 'कंसेंट्रेटर' और प्रद्रावक (स्मेल्टर) कब तक काम करना शुरू कर देंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री, (श्री सुखदेव प्रसाद) : हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा नियुक्त सोवियत एजेन्सी ने बालाघाट जिले में मालंज खंड तांबा परियोजना के केवल खनन संबंधी अंश की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की। प्रस्तावित सान्द्रक संयंत्र सहित प्रस्तावित पूरे मालंज खंड उद्योग समूह के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जनवरी, 1976 में प्राप्त हुई। निवेश संबंधी निर्णय लेने के उद्देश्य से समूचे उद्योग समूह की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

सलाहकारों ने निर्माण कार्य की वास्तनिक शुरूआत की तारीख स एक समय सूची तैयार की है ताकि सन्द्रिक संयंत्र चौथ वर्ष में चालू किया जा सके।

मालंज खंड ताम्र उद्योग समूह के अन्तर्गत एक प्रदावक बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 का कटाव

445. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों की एक समिति ने कर्नाटक के साउथ कनारा जिले में मारावंधे के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 के कटाव की संभावनाओं का निरीक्षण किया था,

(ख) क्या इस समिति ने गुज्जादी और नोचण्डा के बीच एक "मोड़ सड़क" बनाने की वांछनीयता पर भी विचार किया है, और

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह): (क) और (ख) जी, हां।

(ख) समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

न्यू मंगलौर पत्तन के माध्यम से निर्यात और आयात

446. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष न्यू मंगलौर पत्तन के माध्यम से माल की कुल कितनी मात्रा मदवार निर्यात की गई और आयात की गई, और

(ख) माल के भण्डारण और मशीनों से ढोये जाने के लिये पत्तन स्थल पर क्या व्यवस्था की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 1975-76 वर्ष के दौरान नव मंगलौर पत्तन में धरा उठाई किये गये वस्तुवार यातायात (आयात और निर्यात दोनों) को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-11060/76]।

(ख) जहां तक गोदाम सुविधाओं का संबंध है पत्तन के पास दो पारगमन शेड हैं जिसका फर्शी क्षेत्रफल 7,665 वर्गमीटर है जिसमें 14,000 टन माल की व्यवस्था हो सकती है और 4,000 टन की व्यवस्था करने के लिए पारगमन शेडों में से एक में 2,190 मीटर के फर्शी क्षेत्रफल का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा पत्तन में कन्क्रीट का खनिज जमा करने का बाड़ा है जिसका 6,633 वर्ग मीटर का खुला क्षेत्रफल है। इसके अलावा, वार्फ के निकट एक बड़ा खुला क्षेत्र है जहां इमारती लकड़ी, इस्पात इत्यादि जैसे वस्तुओं के लिये खुला गोदाम है।

जहां तक यांत्रिक धरा उठाई सुविधाओं का संबंध है निम्नलिखित पत्तन उपस्कर पहले ही उपयोग हैं :—

1. 3 टन वार्फ क्रेन	3
2. 3 टन फार्क लिफ्ट	3
3. 2 टन फार्क लिफ्ट	3
4. 3 टन क्षमता की मारयोजक	2
5. चल क्रेन (नेमेटिक टाइप)	2
6. चल क्रेन (क्रावलर टाइप)	2

एक नं० 6 टन वार्फ क्रेन और 4 10 टन वार्फ क्रेन संस्थापित किये जा रहे हैं और प्रगामी रूप से उपयोग के लिये उपलब्ध हो जायेंगे।

न्यू मंगलौर पत्तन को गहरा करना

447. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय: क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुडरेनुक लौह अयस्क परियोजना के अन्तर्गत न्यू मंगलौर पत्तन को गहरा किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां। 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० के भारी मालवाहकों का प्रबन्ध करने के लिए पश्च जल की माइनस 13 मीटर और वाह्य जल मार्ग को 13. 5 मीटर गहरा किया जाना है।

(ख) पश्च जल और जलमार्ग को विभागीय रूप से गहरा करने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिये एक निकर्षक का आदेश दे दिया गया है।

कर्नाटक के मेडिकल कालेजों की मान्यता खत्म करना

448. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने कर्नाटक के बहुत से प्राइवेट मैडिकल कालेजों की मान्यता खत्म करने की इस एक आधार पर सिफारिश की थी कि इन कालेजों में पर्याप्त अस्पताल सुविधायें नहीं थीं,

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन कालेजों में वार्षिक प्रवेश कुल संख्या कम हो गई थी, और

(ग) क्या अध्यापन अस्पतालों में पर्याप्त शय्याओं की संख्या तथा सामान्य शल्य चिकित्सा आदि की सुविधाओं का विस्तार किये बिना ही बाद में इन कालेजों में से कुछ ने प्रवेश के कोटे में वृद्धि किये जाने का प्रबंध कर लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध सुविधाओं का उचित निरीक्षण/दौरा करने के बाद दो मैडिकल कालिजों को दाखिलों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

रोजगार ढूंढने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण

449. **श्री राजदेव सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और चंडीगढ़ के संघ क्षेत्रों के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों में नियोजित व्यक्तियों का अपेक्षाकृत अधिक अनुपात है जिस में दिल्ली का 51 प्रतिशत और चण्डीगढ़ का 43 प्रतिशत है ;

(ख) क्या 22 राज्यों में से 18 राज्यों में रोजगार ढूंढने वाले नियोजित व्यक्तियों का अनुपात 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच है ;

(ग) क्या ये पंजीकृत नियोजित व्यक्ति कुछ हद तक पूरी तरह बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलने में बाधा नहीं पहुंचाते हैं; और

(घ) क्या इन रोजगार कार्यालयों को निर्देश दिया जाएगा कि जो पूरी तरह बेरोजगार व्यक्ति हैं उन का पंजीकरण करें ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) प्रश्न के भाग (क) और (ख) में निर्दिष्ट प्रतिशतताएं श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नियोजित व्यक्तियों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो अक्तूबर, 1972 से सितम्बर, 1973 की अवधि से संबंधित था।

(ग) यह पहलू सर्वेक्षण के अन्तर्गत नहीं आता।

(घ) रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण ऐच्छिक होने की वजह से ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया शिपिंग सम्मेलन

450. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सरकार द्वारा 'अंकटाड' भावना के अनुसार दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया शिपिंग सम्मेलन इस क्षेत्र की शिपिंग लाइनों को मिलाकर चलाने हेतु बुलाने के लिये कोई प्रयास किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच एम त्रिवेदी) : (क) नौवहन सम्मेलनों का गठन देशों के उन राष्ट्रीय नौवहन कंपनियों द्वारा किया जाता है जो सम्मेलन से लाभ उठाते हैं। सरकार द्वारा ऐसे सम्मेलन का गठन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) भारतीय शिपिंग कंपनियों ने दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के समीपवर्ती देशों की शिपिंग कंपनियों के साथ उचित भाड़ा दरों पर राष्ट्रीय ध्वज कंपनियों के माध्यम से अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नये सम्मेलन बनाने के लिये विचार-विमर्श किया है।

बाबुओं की नौकरी की उत्सुकता

451. **श्री राजदव सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में बाबूगिरी की नौकरी के लिये उत्सुकता बढ़ रही है ;

(ख) क्या देश के बेरोजगार कार्यालयों के ताजा रजिस्टरों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों में 80 प्रतिशत संख्या बाबूगिरी की नौकरी चाहने वाले अपर स्नातकों की है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में उस वर्ग के लिए नौकरी के अवसरों में कमी हुई है जबकि ताजा रजिस्टरों में उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना से, जो कि रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या के संबंध में है, पता चलता है कि रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों (मैट्रिक उत्तीर्ण और उससे अधिक) की संख्या में वृद्धि हुई है। यह संख्या 31-12-1975 को 48.05 लाख थी जिसमें 38.69 लाख (लगभग 80 %) अंडर-ग्रेजुएट शामिल हैं।

(ग) बाबूगिरी की नौकरी चाहने वाले शिक्षित पंजीकृतों के लिए रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित रिक्त स्थानों की संख्या 1973 में 4.4 लाख थी, जो घटकर 1975 में लगभग 3.2 लाख रह गई।

(घ) व्यापक पैमाने पर रोजगार अवसर पैदा करना पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई नीति के मूल तत्वों में से एक तत्व है। विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्यक्रमों को लागू करके इसे प्राप्त किया जाएगा। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित युवकों के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के अनेक उपायों में से एक उपाय शिक्षु योजना को प्रभाव पूर्ण ढंग से कार्यान्वित करना है। बाबूगिरी की नौकरियों के अलावा, जिनकी संख्या वस्तुतः सीमित है, नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार अवसर पैदा करने की भी पांचवी योजना में व्यवस्था की गई है। ग्रामीण और लघु उद्योग

क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों की मुख्य नीति का उद्देश्य पर्याप्त परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करना और उद्यमों का विकास करना और उन्हें बढावा देना है जिससे कि रोजगार, खासकर स्व-रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा किए जा सकें। विभिन्न राज्यों में औद्योगिक और वाणिज्यिक सम्पदाएं स्थापित की जा रही हैं और भावी उद्यमकर्ताओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे कि वे अपना कारोबार स्थापित कर सकें।

बेंजीन हैक्साक्लोराइड के प्रयोग से मिर्गी के दौरे

452. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों, विशेष कर उत्तर प्रदेश में बैंजीन हैक्साक्लोराइड के उपभोग से लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या लखनऊ में प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गये खाद्यान्नों के 25 में से 19 नमूनों में बेंजीन हैक्साक्लोराइड की असाधारण मात्रा पाई गई है, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में राज्यों को कोई निर्देश भेजे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) मार्च, 1976 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जिले में मिर्गी जैसी बीमारी के फैलने की सूचना मिली थी। उक्त बीमारी का निदान करने पर इसका कारण बैंजीन-हेक्साक्लोराइड युक्त अनाज तथा मछलियों का खाया जाना पाया गया।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । उत्तर प्रदेश तथा अन्य सभी राज्यों को, कीटनाशकों के वितरण तथा उपयोग पर उचित रूप से देखभाल करते हुए नियंत्रण रखने तथा उपभोक्ताओं को इस बारे में जानकारी देने के लिए जन प्रचार के साधन अपनाने के अनुदेश दिए गए हैं ।

जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संपूर्ण ऐसे खराब स्टाक को जब्त कर लें और उसके स्थान पर ताजा स्टाक उपलब्ध करावें।

समेकित चिकित्सा के लिए भारत का विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रस्ताव

453. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रस्ताव किया था कि वह सदस्य देशों में समेकित चिकित्सा के विकास में सहायता देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और द्विदेशीय एजेंसी के रूप में प्रेरित करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में सोना निकाला जाना

454. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के क्योंझर जिले में सोना पाये जाने की जांच-पड़ताल की नवीनतम रिपोर्ट क्या है; और

(ख) सोना निकालने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) उड़ीसा के खनन और भूतत्व विभाग ने 1975-76 के क्षेत्रगत सत्र के दौरान क्योंझर जिले की कुछ स्वर्णमयधारियों में कुछ खोज कार्य किया था लेकिन वहां किसी आर्थिक महत्व के स्वर्ण का पता नहीं चला । इस काम को अगले वर्ष भी जारी रखने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है।

(ख) इस समय सवाल नहीं उठता ।

काली जलाशय में लौह तथा मैंगनीज अयस्क का निकाला जाना

455. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली जलाशय में लौह तथा मैंगनीज अयस्क निर्धारित समय के अनुसार निकाला गया है और झील में पानी भर जाने से पूर्व क्या यह कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है; और

(ग) क्या इस एजेंसी ने इस अयस्क निकालने के कार्य में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) मेसर्स मैसूर मिनरल्स लि० (कर्नाटक सरकार का उपक्रम) को काली जलाशय के जल मग्न होने वाले क्षेत्र से अयस्क निकालने का कार्य सौंपा गया है । मैसूर मिनरल्स लि० ने स्वयम् अयस्क निकालने के अलावा इस कार्य के लिए अयस्क निकालने वाले ठेकेदारों को भी नियुक्त किया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उनको आशा है कि जलाशय में पानी भर जाने से पहिले ही निचले क्षेत्रों से सम्पूर्ण अयस्क निकाल ली जायेगी।

(ग) मैसूर मिनरल्स लि० के अयस्क निकालने वाले ठेकेदारों द्वारा अयस्क निकालने के लिए स्थानीय लोगों को लगाया जा रहा है।

रोजगार कार्यालयों पर पर्यवेक्षण के लिए केन्द्रीय व्यवस्था

456. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला स्तर पर चल रहे रोजगार कार्यालयों पर पर्यवेक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार की क्या व्यवस्था है ; और

(ख) क्या इस पर्यवेक्षण तंत्र द्वारा सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तथा इस तन्त्र का नाम क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जिला स्तर पर चल रहे रोजगार कार्यालय संबंधी राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करते हैं। राज्यों में केन्द्रीय सरकार की ऐसी कोई पर्यवेक्षी मशीनरी नहीं है। तथापि केन्द्रीय सरकार के अधिकारी राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों के सहयोग से रोजगार कार्यालयों का संयुक्त मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं, ताकि वे सिफारिशों पर, जहां आवश्यक हो, उपचारी कार्यवाही कर सकें।

रत्नगिरि में जहाज बनाने का एकक

457. **श्री वसन्त साठे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरि में एक जहाज बनाने के एकक की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है, और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

SURVEY OF ANDAMAN-NICOBAR ISLANDS FOR MINERALS

458. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) Whether a survey to discover minerals in Andaman-Nicobar Islands has been conducted recently; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) & (b) Yes, Sir. Mineral investigation by systematic mapping by the Geological Survey of India in Andaman and Nicobar islands was initiated in 1958 which continued till 1974. Several small deposits of flux grade limestone and spots with high geochemical values for nickel were located. Samples indicating presence of diatomaceous earth were also drawn which are now being investigated by Oil & Natural Gas Commission. Further Surveys by the Geological Survey of India in these islands in 1976-77 field season are proposed to be carried out.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नागालैण्ड सरकार के सम्बन्ध में अधिसूचनायें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों सीमा शुल्क अधिनियम तथा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नागालैण्ड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1975, को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित नागालैण्ड

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित नागालैण्ड, सरकार अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एक्स० मिस/16/74 जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1975 के नागालैण्ड राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एक्स० पी०/21/69 जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1975 के नागालैण्ड राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नागालैण्ड उत्पाद शुल्क नियम, 1972 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 11014/76]

(2) नागालैण्ड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित अफीम अधिनियम, 1878 की धारा 14 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एक्स० एन० /11/74 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 अप्रैल, 1976 के नागालैण्ड राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 11015/76]

(3) नागालैण्ड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित खतरनाक औषध अधिनियम 1930 की धारा 23 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एक्स० एन०/11/74 (ए) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 अप्रैल, 1976 के नागालैण्ड राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 11016/76]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तगत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 692 जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 371 (ङ) से सा० सां० नि० 384 (ङ) जो दिनांक 27 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 389 (ङ) जो दिनांक 3 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 809 जो दिनांक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 409 (ङ) जो दिनांक 16 जून 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सा० सां० नि० 412 (ङ) जो दिनांक 17 जून,. 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 899 जो दिनांक 19 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 938 जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 435 (ङ) जो दिनांक 1 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 1053 जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 1054 जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 476 (ङ) से सा० सां० नि० 478 (ङ) जो दिनांक 24 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 11017/76]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 354 (ङ) से सा० सां० नि० 368 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 27 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11018/76]

(6) (क) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की धारा 53 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 654 जो दिनांक 11 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 657 जो दिनांक 19 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० ओ० एम० संख्या 695 जो दिनांक 23 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1970 की अधिसूचना संख्या 116 दिनांक 28 मार्च, 1970 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11019/76]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (स्कीपर और बरते हुए मत्स्य जहाज की परीक्षा) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 29 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 731 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रगामी पोतों के इंजन चालकों की परीक्षा) संशोधन निमय, 1976 जो दिनांक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 783 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (मत्स्य ग्रहण नौकाओं के इंजीनियरों तथा इंजन चालकों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 976 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** । संख्या एल० टी० 11020/76]

पारपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1976 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पारपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 25 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 349 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सा० सां नि० 353 (ङ) जो दिनांक 26 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** । संख्या एल० टी० 11021/76]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं खाद्य अपमिक्षण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 29 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 754 में प्रकाशित हुए थे।

(2) खाद्य उपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 856 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11022/76]

सीमा सुरक्षा अधिनियम तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) मैं जी० एफ० एच० मोहसिन की ओर से (1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सां० आ० 429 (ङ) जो दिनांक 24 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 और आपराधिक न्यायालय तथा सीमा सुरक्षा बल न्यायालय (क्षेत्राधिकार का समायोजन) नियम 1969 को सिक्किम राज्य पर लागू किया गया है।

(दो) सां० आ० 430 (ङ) जो दिनांक 24 जून 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11023/76]

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन) नियम 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 जून 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 861 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11024/76]

Notifications under Indian Telegraph Act

The Minister of Communications (Shri Shankar Dayal Sharma) : I beg to lay on the table. A copy of the Indian Telegraph (Sixth Amendment) Rules, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 843 in Gazette of India dated the 12th June, 1976, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

[Placed in the Library—*See* No. LT—11025/76].

विभिन्न आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं पांचवी लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभापटल पर रखता हूं ।

(एक)	विवरण संख्या 24	दसवां सत्र, 1974
(दो)	विवरण संख्या 17	ग्यारहवां सत्र, 1974
(तीन)	विवरण संख्या 16	बारहवां सत्र, 1974
(चार)	विवरण संख्या 20	तेरहवां सत्र, 1975

(पांच) विवरण संख्या 4 पंद्रहवां सत्र, 1976

(छ:) विवरण संख्या 2 सोलहवां सत्र, 1976

(सात) विवरण संख्या 3 सोलहवां सत्र, 1976

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11026/76]

मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड ग (चार) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता है।

(1) जी० ओ० एम० संख्या 2179 जो दिनांक 17 दिसम्बर 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटरयान नियम 1940 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(2) जी० ओ० एम० संख्या 87 जो दिनांक 11 फरवरी 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटरयान नियम 1940 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11027/76]

विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 के अधीन अधिसूचना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, तमिलनाडु श्रम कल्याण निधि अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें।

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 625 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11028/76]

(2) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11029/76]

(3) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु जलपान प्रतिस्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० संख्या 917 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास जलपान प्रतिस्थापना नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11030/76]

(4) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 41 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० संख्या 868 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु श्रम कल्याण निधि निमय, 1973 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11031/76]

(5) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनायें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) एस० आर० ओ० ए०-127/76 (जी० ओ० एम० संख्या 338) जो दिनांक 5 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु औद्योगिक विवाद नियम, 1958 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 522 जो दिनांक 30 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु औद्योगिक विवाद नियम, 1958 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11032/76]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 10 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुदायिक क्षेत्र विधेयक, 1976 पास किया है।

क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र विधेयक

TERRITORIAL WATERS, CONTINENTAL SHELF, EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND OTHER MARITIME ZONES BILL

महासचिव : मैं राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामद्रिक क्षेत्र विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पटसन कारखानों के कथित बन्द होने और कच्चे पटसन के मूल्य में गिरावट आना

Reported closure of jute mills and fall in price of raw jute

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व)--मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर वाणिज्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ;

"पटसन मिलों के कथित बन्द हो जाने तथा कच्चे पटसन के मूल्य में गिरावट के कारण पटसन उद्योग में गम्भीर स्थिति, जिससे उत्पादन, निर्यात और पटसन श्रमिकों की रोजगार समस्या पर प्रभाव पड़ा है।"

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मुझे 18 मई, 1976 को इस सदन में वक्तव्य देने का अवसर प्राप्त हुआ था जिसमें मैंने संक्षेप में पटसन उद्योग के बारे में स्थिति स्पष्ट की थी।

पटसन उद्योग का देश के औद्योगिक ढांचे में तथा निर्यातों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शायद केवल यही सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है जिसका फलना-फूलना अपने निर्यात बाजारों और अन्य बाह्य उपादानों पर निर्भर करता है। लगभग पिछले दो वर्षों में विश्व-व्यापी मंदी के कारण हमारा विदेशी पटसन बाजार इतना घट गया है कि वह चिन्ता का विषय बन गया है। मन्दी के अलावा एक अन्य पटसन निर्यातक देश से परिहार्य तथा दुर्भाग्यपूर्ण प्रतियोगिता से उद्योग की कठिनाई बढ़ गई है। उद्योग की जो मौजूदा हालत हो गई है उसके कारण तो सभी को ज्ञात हैं, उनमें से कुछ ये हैं: आधुनिकीकरण, अनुसन्धान तथा विकास के लिए पूंजी का अभाव, तथा घराने पर आधारित पुरानी प्रबन्ध प्रणाली। किसान, मजदूर, उद्योग तथा विदेश व्यापार के व्यापक हित में सरकार तो स्थिति को सुधारने में लगी हुई है, किन्तु उद्योग भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता और उसे अपनी समूची नीति का पुनर्विलोकन करना होगा जिससे वह अधिक कुशलता से काम कर सके और उसके उत्पाद अधिक प्रतियोगी बन सकें।

सरकार ने गत लगभग 2 वर्षों में जो कदम उठाये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि सरकार परिस्थिति की गम्भीरता के प्रति सजग रही है। पटसन माल के निर्यात की मांग को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। पटसन से बनने वाले सभी किस्म के माल पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। एक विकास परिषद् स्थापित की गई है। सरकार ने कतिपय अनुसन्धान तथा विकास परियोजनाओं के लिए सीधे वित्तपोषण किया है जिनका उद्देश्य

प्रधानतः उत्पादन की लागत कम करना और नए उत्पादों तथा उपयोगों का विकास करना है। सरकार ने पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज उपदान देना जारी रखा है। पटसन माल के हमारे निर्यात उत्पादन को अधिक लाभकर तथा अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार द्वारा कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं हैसियन तथा कालीन अस्तर के उत्पादन के विनियमन का हवाला दूंगा जिसे पटसन आयुक्त द्वारा जून तथा जुलाई, 1976 के महीनों के लिए लागू किया गया था। विशेषतः बढ़िया ग्रेडों के कच्चे पटसन की सप्लाई में भारी कमी की आशंका हो गई थी क्योंकि पटसन मौसम समाप्त हो रहा था। ऐसी स्थिति में, पटसन आयुक्त ने कालीन अस्तर तथा हैसियन के सम्बन्ध में दो मास अर्थात जून तथा जुलाई के लिए 25 प्रतिशत की सीमा तक उत्पादन विनियमन लागू कर दिया। यह भी शर्त लगा दी गई कि टाट का उत्पादन टाट करघों पर ही किया जाएगा। इस उत्पादन विनियमन के स्थान पर यही विकल्प था कि मिलों को ऊल-जलूल ढंग से बन्द होने दिया जाता जिससे प्रभावित मिलों के सभी वर्गों के मजदूरों को अधिक बेरोजगारी का समाना करना पड़ता। किन्तु उत्पादन विनियमन का समय ऐसा चुना गया था जिससे मजदूर वर्ग को कम से कम कठिनाई हो। सरकारी अनुमान के अनुसार मई से अगस्त तक की अवधि में पटसन उद्योग में गैर-हाजिरी 35 से 40 प्रतिशत रहती थी। यह अनुमान लगाया गया था कि पटसन आयुक्त द्वारा लागू किए गए उत्पादन के विनियमन से समग्र उद्योग का 22 प्रतिशत विनियमन होगा और इस लिए उसका 35 प्रति शत से 40 प्रतिशत तक गैर-हाजिरी के सदर्भ में उद्योग के स्थायी तथा अर्ध-स्थायी मजदूरों पर असर नहीं पड़ेगा। यह भी अनुमान लगाया गया था कि चूंकि वर्ष के इस समय में किसानों के पास पटसन नहीं होता इस लिए इस प्रकार के उत्पादन विनियमन का किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 14 जुलाई, 1976 से ऊर्जा नियन्त्रण आदेश लागू कर दिए जाने पर कालीन अस्तर तथा हैसियन के विनियमन के लिए बनाये गए उत्पादन विनियमन आदेश को पटसन आयुक्त ने उसी तारीख से हटा दिया।

देश के उन पटसन मिलों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिन्हें काम बंद होने से हानि हुई। सरकार, इन मिलों में काम बंद हो जाने तथा उसके परिणामस्वरूप भारी संख्या में कर्मचारियों का रोजगार खत्म हो जाने के कारण गम्भीर रूप से चिन्तित है।

जैसा कि मैंने पहले इस सदन के समक्ष स्पष्ट कर दिया था, इन मिलों में काम बंद होने के कारण विविध एवं जटिल हैं। खारदाह पटसन मिल तथा कानपुर जूट उद्योग 1975 से बन्द हो गए। बताया जाता है कि बाकी 11 पटसन मिलों में से 7 पटसन मिलें मुख्यतः औद्योगिक विवादों की वजह से बन्द हो गई। एक मिल तो आग से क्षति पहुंचने के कारण बन्द हो गई और बाकी 3 मिलें मुख्यतः वित्तीय कठिनाईयों की वजह से बन्द हो गईं।

मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि नेशनल कम्पनी का प्रबन्ध जो देश की सबसे बड़ी पटसन मिल है और बहुत ही असंतोषजनक स्थिति में रही है, केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अपने हाथ में ले लिया है। एसी

आशा की जाती है कि यह नया प्रबन्ध पटसन मिल के क्रियाकलापों को सरल और कारगर बनाएगा तथा इस की वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा।

अतः हम पटसन उद्योग की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं और समय समय पर समुचित उपाय करते रहे हैं। तथापि, कुछ पटसन मिलें बदकिस्मती से औद्योगिक विवादों से प्रभावित हैं। औद्योगिक विवादों की ही वजह से काम बन्द हो जाने की जांच, उचित समझौताकारी प्राधिकरण द्वारा की जाती है। इतनी अधिक संख्या में पटसन मिलों में कार्य रुक जाने से उत्पन्न समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हम पश्चिम बंगाल सरकार से निकट सम्पर्क बनाय हुए हैं।

उन पटसन मिलों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण जिन्होंने 5 अगस्त, 1976 को काम बंद कर दिया।

क्रमांक	मिल का नाम	काम बंद होने की अवधि तथा उसके बन्द होने के बताए गए कारण	कर्मचारियों की संख्या
1.	खारदाह	8-5-1975 से वित्तीय तथा औद्योगिक विवाद	5,000
2.	कानपुर जूट उद्योग	6-10-1975 से वित्तीय संकट	3,000
3.	मेघना नार्थ मेघना साउथ	8-3-1976 से 9-2-1976 से औद्योगिक विवाद	6,900
4.	यूनियन जूट मिल्स	14-3-1976 से वित्तीय तथा औद्योगिक विवाद	2,250
5.	भारत	9-4-1976 से वित्तीय संकट	1,500
6.	प्रेमचंद	8-4-1976 से आग से क्षति	3,400
7.	नई हट्टी जूट मिल्स	16-7-1976 से औद्योगिक विवाद	3,200
8.	बज बज	20-6-1976 से औद्योगिक विवाद	3,000
9.	राय बहादुर हरदतराय मोतीलाल	3-7-1976 से वित्तीय संकट	3,500
10.	बरनगोर	19-7-1976 से औद्योगिक विवाद	4,800
11.	वावैरली	26-7-1976 से औद्योगिक विवाद	2,250
12.	श्री गौरीशंकर	31-7-1976 से औद्योगिक विवाद	2,000
13.	एलेक्जेन्डर	2-8-1976 से औद्योगिक विवाद	2,400

श्री एच० एन० मुकर्जी : एक ओर जहां सरकार बड़ी पूंजीपत्तियों पर नियंत्रण करने की घोषणा कर रही है वहां दूसरी ओर विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले इस अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग में बड़ी पूंजी के हितों के आगे सरकार घुटने टक रही है। सरकार पटसन उत्पादकों और पटसन मिलों में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में असफल रही है।

यह समस्या पटसन उद्योगपत्तियों द्वारा पैदा की गई है। यह समस्या भी वैसी है जैसी कि बम्बई में इन्डियन काटन मिल्स फेडरेशन ने पैदा की थी। इस उद्योग पर 9 एकाधिकार गृहों का नियंत्रण है। मिल मालिकों ने कर्मचारियों की भविष्य निधि के 3.50 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं। उन्होंने भारतीय पटसन निगम को 21 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसके कारण हजारों कर्मचारियों को नुकसान हुआ है और पटसन उत्पादकों को समझ नहीं आ रही कि वे क्या करें, क्योंकि पटसन उद्योग में बड़े पूंजीपत्तियों के षड्यन्त्र के कारण मूल्य अलाभप्रद हैं।

गोयनका की नेशनल जूट मिल्स, जो एशिया में सबसे बड़ा उद्योग है, का राष्ट्रीयकरण अच्छी बात है। अब इसके लिए एक 12 सदस्यीय प्रबन्ध बोर्ड है जिसमें गोयनका के आदमी भी हैं जो इस उद्योग की देखभाल करेंगे। ऐसा क्यों किया गया है? इन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। मैं एक और बात माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं। भारतीय पटसन निगम के कुछ उच्च अधिकारियों और पटसन उद्योगपतियों के बीच मिली भगत है। निगम का वर्तमान चेयरमैन वह व्यक्ति है जो पश्चिम बंगाल सरकार में एक राज्य मन्त्री था जिसके विरुद्ध वांच आयोग ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। ऐसा क्यों किया गया है? बन्द होने वाली 13 पटसन मिलों में 46,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। परन्तु मन्त्री जी ने पश्चिम बंगाल में आश्वासन दिया है कि उन्हें पुनः चालू करने सम्बन्धी निर्णय दो सप्ताह के भीतर लिया जायेगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह पटसन उद्योगपतियों की चुनौती का किस प्रकार मकाबला करेंगे। क्या सरकार इनका राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है? सरकार अब ऐसा क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार इसे अपने हाथों में लेने का विचार कर रही है या गोयनका की मिलों को अपने हाथों में ले लिया है? अन्त में मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विकसित देशों के अपने दौरे में क्या उनको इस बात का संकेत मिला है कि उन देशों में हमारे पटसन उत्पादों की मांग है?

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय: पटसन उद्योग के बारे में आपने दो प्रकार के विचार नोट किए होंगे। जो परस्पर विरोधी हैं। एक तो यह है कि सरकार जो कुछ नहीं कर रही है और पटसन उद्योग को भटकने दे रही है और यह उद्योग ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि इसका उत्पादन कम होकर 25 प्रतिशत या 30 प्रतिशत रह गया है।

दूसरा विचार यह है कि इस उद्योग को बहुत रियायतें दी गई हैं। इस उद्योग के प्रति हमारा कोई द्विवेश नहीं है। इस उद्योग में लाभ लगातार बढ़ रहा है। लाभांश लगातार कम हो रहा है। इसके अलावा इस उद्योग में पड़ौसी देशों से कड़ी प्रतियोगिता है। अवमूल्यन के कारण वे अच्छी स्थिति में हैं।

सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई राष्ट्रीयकृत कम्पनी के प्रबन्ध के सम्बन्ध में मैंने आज सुबह एक समाचारपत्र में समाचार देखा है कि पुराने प्रबन्धकों में से एक व्यक्ति को नई प्रबन्ध व्यवस्था में मिलाया गया है। मैं इसकी जांच कराऊंगा। लेकिन किसी व्यक्ति को नई प्रबन्ध व्यवस्था के लिए इसलिए अयोग्य नहीं माना जा सकता क्योंकि वह पुरानी प्रबन्ध व्यवस्था में था। उसे तो हमने उसके गुणों के आधार पर ही नियुक्त किया है लेकिन यदि जांच करने से यह पता लगा कि वह इसके लिए अयोग्य है या उसका रिकार्ड खराब है तो हम अवश्य ही उसके सम्बन्ध में फिर से विचार करेंगे।

नए चेयरमैन के मामले में, जिसने गत वर्ष पश्चिम बंगाल विधान सभा से त्यागपत्र दिया था, सरकार ने बहुत सावधानी से जांच की है और यह विश्वास हो गया है कि रिकार्ड से यह पता नहीं चलता कि वह व्यक्ति इस पद के लिए अयोग्य है।

जहां तक मिलों को पुनः चालू करने का सम्बन्ध है, मैंने पटसन उद्योग और यूनियन नेताओं की कुछ बैठकें कराई हैं जिसके फलस्वरूप मई में चार मिलें पुनः चालू की गई हैं। इसके अलावा औद्योगिक विवाद भी चल रहे हैं। हम शेष यूनिटों को भी पुनः चालू करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे।

जहां तक पटसन मिलों के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, यह बहुत बड़ा कार्य है। पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण कराने की हमारी इच्छा है।

जहां तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आस्ट्रेलियन तथा अन्य देशों में मेरी वार्ता का सम्बन्ध है, उनको भी इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे कृत्रिम रेशा उद्योग को बचाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सम्बन्ध है, वे अपना टैरिफ घटा रहे हैं। और एक वर्ष के भीतर ही वे पटसन पर अपनी टैरिफ कम करके शून्य स्तर पर ले आयेंगे। इस प्रकार यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रतिक्रिया अनुकूल है।

डा० रानेन सेन (बारसाट): भारत के पूर्वी भाग में 4 करोड़ पटसन उत्पादक हैं। इस वर्ष के उत्पादन का अनुमान 75 और 80 लाख गांठें हैं। आमतौर पर हम 2-3 लाख गांठें आयात भी करते हैं। हम कुछ का निर्यात करते हैं और कुछ का उपयोग रस्सी बनाने के लिये करते हैं।

उद्योग द्वारा पटसन के उत्पादन में कमी करने से केवल 55 लाख गांठों की मांग रह जायेगी। हम 75-80 लाख गांठों का उत्पादन करते हैं। इस तरह लगभग 20-25 लाख गांठें फालतू बचेंगी। गत वर्ष का बकाया स्टाक लगभग 8 लाख गांठें है। इसका पटसन उत्पादक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? यह सर्वविदित है कि व्यापारियों तथा पटसन मिल मालिकों द्वारा पटसन उत्पादक का शोषण किस प्रकार से किया जाता है। अतः मिल मालिकों और बिचौलियों की हेराफेरी से उत्पादक को हानि होती है। वाणिज्य मन्त्रालय ने 135 रु० प्रति-क्विंटल मूल्य निर्धारित किया है। यह मूल्य तो उत्पादक को मिलना ही चाहिए। एक महीने के भीतर मूल्य गिर जायेंगे। इसी कारण मिल मालिक पटसन की खरीद नहीं कर रहे हैं और भारतीय पटसन निगम 8 लाख गांठें खरीद रहा है। इससे पटसन के मूल्यों में स्थिरता नहीं आयेगी। इसके मूल्य गिर जायेंगे। अगले वर्ष तक उत्पादक पूरी तरह बरबाद हो जायेंगे और वे उत्पादन नहीं करेंगे। अतः पटसन का मूल्य 135 रु० प्रति क्विंटल स्थिर रखा जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि पटसन का मूल्य 180 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाये और इस सभा में मांग की गई थी कि यह मूल्य 200 रु० प्रति क्विंटल होना चाहिए। यह वास्तव में पटसन उत्पादक के लिए लाभप्रद है। पटसन मिल मालिकों को सभी प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया

गया है और राज सहायता दी जा रही है। उन्होंने कभी भी पटसन उत्पादक या कर्मचारी या जनसाधारण का ध्यान रखा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए निगम को अधिक खरीद करनी चाहिए ताकि मूल्य स्थिर रह सकें। दूसरे सरकार सभी मिलों से कहे कि वह पटसन खरीदना आरम्भ कर दें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या बन्द मिलों को शीघ्र पुनः चालू किया जायेगा या सरकार 11 या 12 मिलों को अपने हाथों में लेगी ताकि हजारों बेकार हुए कर्मचारियों को अपनी नौकरी मिल सके।

प्रो० डी०पी०चट्टोपाध्याय : मैंने पहले ही पटसन उत्पादकों की समस्या सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर दिया है। यदि पटसन निर्माताओं द्वारा कम खरीद की जायेगी तो स्वभावतः कच्चे पटसन की मांग हो जायेगी। यह बहुत सीधी सी बात है।

पटसन की वस्तुओं के लिए ऊंचे वसूली मूल्य की मांग की गई है। सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है और इस वर्ष पटसन की खरीद के लिए अधिक धनराशि आवंटित की है। 135 रु० के मूल्य से खरीद कम हुई है। यदि इसे 180 रु० भी निर्धारित किया जाता है तो यह ठीक नहीं रहेगा और उत्पादक को लाभ नहीं मिलेगा। गत वर्ष उत्पादकों को अच्छी कीमत मिली। इसी कारण इस वर्ष उन्होंने अधिक उत्पादन किया है। अब हमारा यह उत्तरदायित्व है कि क्रय नीति इस ढंग से बनाई जाये कि भारतीय पटसन निगम अधिकाधिक खरीद कर सके। अतः इस वर्ष सरकार ने पटसन की खरीद के लिए 41 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि 135 रु० के प्रोत्साहन मूल्य की दर से वसूली पूर्वाविशिष्ट करने के लिए धन की कोई कठिनाई सामने नहीं आयेगी। ऊंचा मूल्य निर्धारित करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह बात है कि उत्पादक को वास्तव में कितना मूल्य मिलता है। इसी कारण सहकारी समितियों और विभागीय क्रय केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की गई है और उन्हें गतिशील बनाया गया है। मिलों को भी खरीद करने के लिए कहा गया है। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन भी खरीद करने के लिए सहमत हो गई है।

जहां तक कुछ मिलों द्वारा निगम से खरीदे गए पटसन की कीमत न चुकाने का सम्बन्ध है, यह ठीक नहीं है और निगम को निदेश दिए गए हैं कि वे उन मिलों को पटसन न बेचें जिन्होंने भुगतान नहीं किया है।

यदि धन उपलब्ध हो जाता है, जैसा कि वित्त मन्त्रालय ने आश्वासन दिया है तो हम जितना भी सम्भव होगा उतना कार्य करने का यत्न करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मन्त्री महोदय ने भारतीय पटसन मिलों के संघ में भाषण देते हुए 21 मई को कलकत्ता में कहा था कि जबतक पटसन उत्पादकों को उनके उत्पादन के पर्याप्त दाम नहीं दिए जाते तब तक देश के पटसन उत्पादन में कमी बनी रहेगी। जबतक पटसन उत्पादकों को ठीक दाम नहीं मिलते तबतक उद्योग को हानि उठानी पड़ेगी।

क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 140 रुपए निर्धारित किया जाये और पश्चिम बंगाल सरकार ने 180 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की है। परन्तु सरकार ने अन्ततः 135 रुपए मूल्य निर्धारित किया है। बताया गया है कि जूट कार्पोरेशन आफ इण्डिया के पास 135 रुपए पर पटसन खरीदने के लिए पर्याप्त धन है।

धन तथा भण्डागार सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्पोरेशन 75 लाख टन उत्पादन में से 8 अथवा 10 लाख टन पटसन खरीद सकता है। जूट कार्पोरेशन को सुरक्षित भण्डार क्यों नहीं बनाने दिया जाता? इस सम्बन्ध में क्या नीति है।

क्या सरकार नेशनल जूट मिल, जिसका प्रबन्ध उसने अपने हाथ में लिया है का राष्ट्रीयकरण करेगी? यह राष्ट्र की सबसे बड़ी मिल है जिसमें 15,000 कार्मिक कार्य करते हैं।

क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री ने सिफारिश की है राष्ट्रीय वस्त्र निगम के समान राष्ट्रीय पटसन निगम की स्थापना की जाये। जो 13 अथवा 15 ऐसी मिलों को अधिकार में ले, जिनका प्रबन्ध ठीक नहीं है। क्या केन्द्र सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है?

पटसन उद्योग निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। मांग घट जाने के कारण क्या सरकार इस उद्योग की क्षमता विस्तार पर विचार करेगी? पटसन उत्पादन को 13 लाख टन से बढ़ाकर 17 लाख टन करने की योजना प्रकाशित की गई थी। उसका आधार क्या है? इस सम्बन्ध में वास्तविकता क्या है? क्या उद्योग का भविष्य बहुत खराब है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने इतना ही किया है कि मिल मालिकों के चिल्लाने को ध्यान में रखते हुए उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया है तथा कई अन्य रियायतें इनको दे दी हैं।

तैयार माल के मूल्यों में कमी नहीं आई है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि एक ओर तो आयात में कमी की बात कही जाती है और दूसरी ओर पांचवी योजना में उद्योग की क्षमता बढ़ाने की बात की जाती है।

मिलों के बन्द होने का दायित्व उन्होंने मुख्य रूप से औद्योगिक विवादों पर डाला है। पिछले महीने की 22 तारीख को पटसन उद्योग सम्बन्धी शिखर समिति की बैठक में भारतीय पटसन निर्माता संघ के चेयरमैन ने आश्वासन दिलाया था कि पटसन उद्योग श्रमिक संगठनों तथा सरकार के साथ परामर्श किए बिना कोई एकतरफा कार्यवाही नहीं करेंगे। परन्तु बैठक के कुछ दिन के भीतर ही उन्होंने 3 और मिलें बन्द कर दीं। आश्वासन भंग करते हुए यह एकतरफा कार्यवाही की गई। यह इस प्रकार दिए गए आश्वासन को भंग किया गया है। यह पैदा किया गया संकट है। उद्योग को बचाने के लिए क्या सरकार के पास कोई दीर्घकालीन योजना है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं समझता हूं कि उद्योग ने मिलों के बन्द किए जाने के बारे में उत्तरदायी ढंग से कार्य नहीं किया। इस बारे में मैंने श्रम मन्त्री का ध्यान दिलाया है। परन्तु औद्योगिक विवाद, काम का बन्द किया जाना, कार्मिकों में बरोजगारी फैलाना आदि पर राज्य सरकार को ध्यान देना है।

निर्यात घटाने तथा उद्योग की क्षमता के विस्तार के बारे में मेरा निवेदन है कि पटसन उद्योग कलकत्ता के आस-पास फैला हुआ है तथा आसाम त्रिपुरा, बिहार और उड़ीसा के पटसन उत्पादकों को काफी समय से अपने माल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। वे लोग तथा वहां की राज्य सरकारें काफी समय से उस क्षेत्र में मिलें लगाये जाने की मांग करते रहे हैं। उस

समय हमने 1-2 मिलें मेघालय में, 1-2 आसाम तथा बिहार में तथा 1 उड़ीसा में स्थापित करना स्वीकार किया था। परन्तु मन्दी के कारण उनकी स्थापना नहीं की जा सकी।

परन्तु मैं निराशावादी नहीं हूं। हालात में सुधार आना शुरू हो गया है। एक दो वर्ष में प्रस्तावित नई मिलों की स्थापना की जायेगी। इस बारे में हमें सतर्क रहना है।

राष्ट्रीय पटसन निगम के बनाने के बारे में हमने पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा है। जब इस परियोजना की लिखित रूपरेखा आ जाती है तो हम उस पर विचार करेंगे।

राष्ट्रीय जूट निगम का अभी तक न तो गठन ही हुआ है और न ही इसके सम्बन्ध में हमें कुछ जानकारी दी गई है। मैंने ऐसी परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा है। जब यह परियोजना लिखित रूप में हमारे पास भेज दी जाएगी तो हम अवश्य ही उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री एस० एस० बनर्जी : वित्तीय संकट के कारण 5 सितम्बर, 1975 को कानपुर जूट उद्योग नाम की मिल बंद हो गयी। उसकी जांच के बारे में नियुक्त समिति ने सिफारिश की कि मिल का वर्तमान मालिक उसे चलाने में असमर्थ है। मंत्री महोदय उस मिल को सरकारी अधिकार में ले लें।। इसे 15 अगस्त तक अधिकार में ले कर चालू किया जाए।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : कानपुर जूट उद्योग मिल को पुनः खोलने के बारे में श्री आलोक जैन ने हमें सूचना दी है कि वह इस उद्योग को 15 जुलाई तक खोलने का कार्य करेगा। यह तिथि बीत गई है और यह मिल अभी तक नहीं खोली गई है। अब हमारे पास उसका एक पत्र आया है जिसमें उसने लिखा है कि यह उद्योग पहली सितम्बर तक पुनः खोल दिया जाएगा। हम इसकी जांच करेंगे और इसे दुबारा खोलने के लिए दूसरे तरीकों पर विचार करेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : अभी हाल ही में मंत्री महोदय ने कलकत्ते में बताया है कि सरकार पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती। मैं जानना चाहती हूं कि उद्योग संकट-ग्रस्त होते हुए भी इस प्रकार का आश्वासन बिना मांगे क्यों दिया गया? इतनी रियायतें तथा प्रोत्साहन पाकर भी वे लोग मिलें क्यों बन्द कर रहे हैं? मैं जानना चाहती हूं कि वित्तीय संकट मुख्यत: आंतरिक प्रबन्ध संबंधी झगड़ों के कारण है। मंत्री महोदय ने इस बारे में की जा रही कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं बताया।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : रियायतों आदि के बारे में कई बार पूछा गया है और मैंने उत्तर देने की चेष्टा की है। हमने रियायतें उद्योग के लिए दी हैं उद्योगपतियों के लिए नहीं दी हैं। यदि मिलें बन्द हो जाती हैं तो कच्चे माल की खपत तथा अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा समाप्त हो जाती है। इससे मजदूरों को भी कठिनाई होती है। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

केन्द्रीय और अन्य सोसायटियां (विनियमन) विधेयक

CENTRAL AND OTHER SOCIETIES (REGULATION) BILL

(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद): मैं केन्द्रीय सोसायटियों और घोषित केन्द्रीय सोसायटियों के निगमन, विनियमन और समापन और सहायताप्राप्त संघराज्य क्षेत्र सोसायटियों के विनियमन तथा केन्द्रीय सोसायटियों या सहायता प्राप्त संघ राज्य क्षेत्र सोसायटियों के उस प्रकार की अन्य

सोसायटियों के साथ समामेलन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(2) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद): मैं केन्द्रीय सोसायटियों और घोषित केन्द्रीय सोसायटियों के निगमन, विनियमन और समापन और सहायताप्राप्त संघ राज्यक्षेत्र सोसायटियों के विनियमन तथा केन्द्रीय सोसायटियों या सहायता-प्राप्त संघ राज्यक्षेत्र सोसायटियों के उसी प्रकार की अन्य सोसायटियों के साथ समामेलन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—65वां प्रतिवेदन

Committee on Private Members, Bills & Resolutions with Report

श्री जी० जी० स्वैल : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 65वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोकसभा 2 बजकर पांच मिनट (म० प०) तक के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned from lunch till five minutes past fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्तर भोजन के पश्चात 2 बजकर आठ मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at eight minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— जारी)

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद द्वारा 11 अगस्त, 1976 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे ।

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा- प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए ।"

Shri R. R. Sharma (Bande) —Clause 27 of the Bill seeks to amend section 80 of the code. In the mofussil courts and district courts mostly the peor people come to seek permanent injuction. These people would not get any relief if the clause is not altered. Therefore the clause should be amended. The poor man will pay court fee. He will pay the fee of the lawyer, but if he does not get relief, it would be very wrong. This should be considered.

In respect of clause 43, section 115 which provides jurisdiction for revision. I have to submit in respect of revision jurisdiction the different High Courts have given different amendments. The High Courts power of revision of orders should be retained. This power should be given to District judges also. The difficulties arise when new Magistrates are appointed who are not familiar with either C.P.C. or Cr. P. C.

Various High Courts have fixed different quotas for Mofussil Magistrates for the subordinate courts. The arrangement made by the Allahabad High Court is as follows. The Mofussils would deal with cases upto the value of Rs. 2,000/-. Disposal of four such cases would be taken as equivalent to their five days work. In the case criminal procedure four contested cases would amount to their one day's work. My apprehension is that the High Court desire early disposal of cases and not the justice. As against the saying that the justice delayed is justice denied, we have heard justice hurried is justice burried.

Clause 48 of the Bill seeks to amend section 144 of the code by providing for review. There in those conditions have been laid wherein a review would be possible. The hon. Minister should be made more clear. Clause 48, section 144 of the Principle Act defines 4-5 type of circumstances under which a review is possible.

In clause 86 consequences of disobedience or breach of injunction has been enumerated. It is provided therein that where it is proposed to grant an injunction the court would require the applicant to deliver to the opposite party copies of documents on which he relied. This provision should be deleted because it is quite a long time in obtaining those copies. If the applicant wait for such a long time the purpose of seeking temporary injunction would be defeated. It is also necessary that the pay scales of munsifs and judges are increased. At present they do not have even proper working facilities. Government should consider these things.

The person who lost a case should be given a copy of the judgement free of cost. He should be allowed to see the record of the court. No fee should be charged for inspecting files. Court fee should also be reduced. The Central Government can do this in Union Territories. If it is done the State Governments will follow suit.

निर्माण और आवास और संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघु रामैया): मेरा सुझाव है कि सामान्य चर्चा 3.30 बजे समाप्त हो जाए, मंत्री महोदय को 3.30 बजे बुलाया जाए और उसके बाद हम खण्ड-वार विचार आरम्भ करें।

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर): विधेयक के उद्देश्य हैं कि वादी को निष्पक्ष और शीघ्र न्याय मिले, और मामलों का शीघ्र निपटारा हो तथा प्रक्रिया को इस प्रकार सरल बनाया जाए जिससे समुदाय या समाज के गरीब लोगों के साथ न्याय हो। संदेह है कि क्या इस विधेयक से ये उद्देश्य प्राप्त होंगे। कुछ उपबन्ध जो पुरःस्थापित किए गए हैं वास्तव में अच्छे हैं। इनसे न्यायिक निर्णयों के बारे में तो शंकाएं और संदेह दूर हो गए हैं।

धारा 11 में यह व्यवस्था की गई है कि समिति क्षेत्राधिकार वाले निम्न न्यायालय का निर्णय उच्चतर क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में उन्हीं वादी-प्रतिवादियों के बीच पूर्ण न्याय के रूप में माना जाएगा। यह भी सराहनीय है कि पूर्व-न्याय का सिद्धान्त निष्पादन मामलों में भी लागू किया गया है।

इसी तरह मूल अधिनियम की धारा 60 में भी उचित संशोधन किया गया है, जिससे न्यायालय द्वारा घोषित ऋणी अपनी गिरफ्तारी और अपने वेतन की कुर्की से बच सकता है।

जहां तक धारा 80 का संबंध है, विधि आयोग ने इसके निकाले जाने की सिफारिश की है, परन्तु समिति ने देखा कि इसे नही हटाया जाए, जिससे सही मामलों को सरकार न्यायालय के बाहर ही तय कर सके और मुकदमेबाजी पर होने वाले अनावश्यक व्यय से बचा जा सके। इस संशोधन के बाद मुकदमा करने वाले को न्यायालय में मामला दर्ज कराने नहीं भेजा जाएगा। सही मामलों में सरकार दावा करने वालों को न्यायालय जाने से बचायेंगी।

दूसरी अपील से संबंधित धारा 100 में "महत्वपूर्ण कानूनी पहलू" जोड़ दिया गया है। अब दूसरी अपील के लिए महत्वपूर्ण कानूनी पहलू उसमें निहित होना चाहिए। समझ में नहीं आता कि धारा 100 में यह क्यों जोड़ा गया है। धारा 115 में संशोधन करके बाद के आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा छानबीन करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इस कारण वर्षों से विचाराधीन पड़े मामलों में मुकदमा चलाने वालों को अत्यधिक असुविधा हो रही है तथा मामले रुके पड़े हैं।

निर्णय देने के संबंध में एक नया खण्ड जोड़ कर यह व्यवस्था की गई है कि निर्णय सुनवाई समाप्त होने के बाद 15 दिन में दे दिया जाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो वादी और प्रतिवादी को पूर्व-सूचना देकर इसे 30 दिन में सुना दिया जाए। इस खण्ड का स्वागत है। परन्तु न्यायालय दोनों पक्षों को सूचना देने के बाद निर्णय को अगली तिथि तक स्थगित कर सकता है। इसलिए संशोधन का उद्देश्य सामान्यतः तब पूरा नहीं होगा जहां न्यायाधीश को दोनों पक्षों को सूचित करना हो।

नए आदेश 20क में मुकदमा दर्ज कराने से पहले किए गए व्यय का भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। पारिवारिक मामलों के बारे में यह उपबन्ध भी किया गया है कि न्यायालय ऐसे मामलों को सुनवाई शुरू होने से पहले सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा ही उपबन्ध ऐसे मामलों के संबंध में भी किया जाए जिनमें 3,000 रु० से कम की राशि अन्तर्निहित हो। 3,000 रु० से अधिक के मामलों के बारे में अपील करने के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। इस संबंध में कृष्ण अय्यर समिति की रिपोर्ट में बहुत अच्छी सिफारिशें की गई हैं।

इस समय गरीब वादी को ही वकील की सहायता दी जाती है। परन्तु उस प्रतिवादी का क्या होगा जोकि वादी के समान ही गरीब है? इस पर विचार किया जाए। संशोधी विधेयक में किया गया यह प्रस्ताव भी अच्छा है कि अपील को 60 दिन में निपटा दिया जाए।

इस संशोधन विधेयक से उस किसी भी उद्देश्य की सिद्धि नहीं की जा सकती, जिसके लिए यह लाया गया है। परन्तु विधेयक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में सहायक सिद्ध हुआ है और इसमें कानून की व्याख्या किए जाने के कारण निर्णय संबंधी विवाद समाप्त हो गया है।

कानूनी सहायता के संबंध में मुख्य प्रश्न यह है कि लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय किस प्रकार मिले। इसके निम्न प्रखण्ड स्तर पर मुख्यालय में मुन्सिफ/मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए जाएं जिससे वादी-प्रतिवादी को गवाहों को पास के शहर न ले जाना पड़े।

500 रुपए या 1,000 रुपए से अधिक के मामले न्याय पंचायतों को सौंपे जाएं। देश भर में ग्राम पंचायतें स्थापित की जाएं। हमें दावों का निपटारा कराने के लिए मुकदमा चलने से पहले ही सहायता पहुंचानी चाहिए।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच): देश में तीन प्रकार की संहिताएं प्रचलित हैं—सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता। देश में प्रचलित इन तीन संहिताओं के संबंध में यह संशोधन विधेयक लाकर सरकार ने अच्छा किया है। इस विधेयक के उपबन्धों का लक्ष्य मुकदमे के समय को और इसकी लागत को कम करना तथा न्याय संबंधी प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है। जिस सीमा तक ये उद्देश्य पूरे होते हैं उस सीमा तक इस विधेयक का स्वागत है तथा इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 80 सरकार तथा उसके अधिकारियों द्वारा ईमानदार वादी-प्रतिवादी के दावों को न्यायालय के बाहर ही निपटाने का अवसर प्रदान करता है। परन्तु सरकार के कार्य ने इस सराहनीय सिद्धान्त को झुठला दिया है। इसलिए विधि आयोग ने मुकदमा चलाने से पहले सरकार को दो मास का नोटिस दिए जाने के उपबन्ध को हटाए जाने की सिफारिश की थी, परन्तु सरकार ने इस सिफारिश को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया।

नई जोड़ी गई धारा 80 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। जब तुरन्त तथा शीघ्र सुविधा दिया जाना आवश्यक हो तो अन्तरिम रोकादेश अथवा निषेधादेश दिया जाए और उसे दो या तीन सप्ताह में शीघ्रता से निपटाया जाए।

सरकार ने धारा 115 में कुछ संशोधन किए हैं। संशोधी विधेयक में यह खास रूप से उपबन्ध किया जाए कि बादकालीन आदेश का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता तथा जैसी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपबन्ध है कि जिलाधीश को जिलाधीश के अधीन न्यायालय द्वारा दिए गए बादकालीन आदेश के पुनरीक्षण की सुनवाई करने का समवर्ती अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सुनवाई स्थगित करने के संबंध में संहिता में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि वकील किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त हो तो वह कार्यवाही स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता।

जहां तक गरीब वादियों को कानूनी सहायता देने का प्रश्न है यह सरकार का बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। अब तक केवल न्यायालय शुल्क में ही रियायत दी जाती थी, अब वादी की ओर से एक वकील भी नियुक्त किया जाएगा। यह अच्छा हो कि इसी प्रकार निर्धन प्रतिवादी को भी बचाव करने के लिए सहायता देने की बात को स्वीकार किया जाए।

जहां तक निर्णय सुनाने का संबंध है यह अच्छी बात है कि इसे आशुलिपिक को बोल दिया जाए तथा न्यायाधीश इसे स्वयं लिखने की प्रतीक्षा न करे। दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह उपबन्ध है कि तर्क लिखित रूप में पेश किए जा सकते हैं। यही व्यवस्था सिविल प्रक्रिया संहिता में भी कर दी जाए।

हमें पता है कि निचली अदालतों में काम बहुत अधिक बढ़ गया है। अतः न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। दिन प्रति दिन कानून पास किए जा रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छे पुस्तकालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। वकीलों में बेरोजगारी से चिन्ता बढ़ रही है। वादी-प्रतिवादी को कानूनी सहायता देने से बेरोजगारी कम होगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : एक कहावत है कि विलम्ब से दिया गया न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है। राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या प्राइवेट मिल मालिकों से न्याय न मिलने पर कर्मचारियों को न्यायालय में जाना पड़ता है। हमने उनकी हालत देखी है। उन्हें हर कदम पर पैसा देना पड़ता है। इस विधान का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम खर्चीला बनाना है। लेकिन क्या इस उद्देश्य की पूर्ति उस विधेयक द्वारा हो सकेगी इसमें सन्देह है। धारा 80 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत में मामला पेश करने से पहले 60 दिन का नोटिस देना होगा। इस अवधि को रखने का उद्देश्य यह था कि सरकार या नियोजक इस बात की जांच कर ले कि क्या कर्मचारी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि धारा 80 का लोप किया जाना चाहिए। यदि इस धारा का लोप कर दिया जाए तो इससे हमें कुछ भी हानि नहीं होगी क्योंकि इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। इस संबंध में श्री चटर्जी द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 17 का मैं समर्थन करता हूं।

इसी प्रकार धारा 115 का भी लोप किया जाना बेहतर होगा।

निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता का क्या हुआ? मैं समझता हूं कि कृष्ण अय्यर आयोग तथा भगवती आयोग ने इसकी सिफारिश की है। कानूनी सहायता मांगने वाले बंदियों को साधारण वकील दिए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अपना मामला रखने के लिए अच्छे वकील उपलब्ध किए जाने चाहिए।

उत्तर प्रदेश में, विशेषतः इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, बहुत से मामले बकाया पड़े हुए हैं। ऐसे मामलों की संख्या कितनी है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं?

श्री एस० एम० बनर्जी : बताया गया है कि 65 रिक्त स्थान हैं जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे बड़े राज्य को यह श्रेय तो प्राप्त होना ही चाहिए। मुझे बताया गया है कि सिफारिश किए गये नामों की सूची केन्द्रीय सरकार के पास पड़ी हुई है। सरकार या तो न्यायालयों को ढंग से चलाए अन्यथा उन्हें समाप्त कर दे। देश में बुद्धिमान व्यक्तियों का अभाव नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति अवश्य की जानी चाहिए।

मैं समझता हूं कि बुद्धिजीवियों के स्तर में इस ओर तथा दूसरी ओर भी गिरावट आई है।

मैं मंत्री महोदय से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि सभी संशोधनों पर विचार करें। इन्हें इसलिए अस्वीकार न किया जाए कि ये श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। मैं समझता हूं कि ये सभी संशोधन भली प्रकार विचरित हैं। मैं उन संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : सिविल प्रक्रिया संहिता का यह संशोधनकारी विधेयक चिर प्रतीक्षित था। इस विधेयक का उद्देश्य मुकदमों में लगने वाले समय तथा खर्चे को कम करना तथा गरीब वादकारियों को राहत देना और उचित न्याय दिलाना है। लेकिन इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति केवल प्रक्रिया में संशोधन कर देने मात्र से नहीं होगी। विलम्ब को कम करने के लिए अच्छे तथा अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें संदेह नहीं कि मुकदमेबाजी को कई बातें खर्चीला बनाते हैं जिनमें से न्यायालय शुल्क एक बहुत भारी मद है। लेकिन संहिता में इस बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, अतः सरकार को इस पहलू की ओर भी ध्यान देना होगा।

जहां तक धारा 80 को रखने अथवा लोप करने का प्रश्न है, यह तर्क दिया जाता है कि जब सरकार स्वयं इसका अनुपालन नहीं करती तो इसके रखने का क्या लाभ है। यदि इस धारा का कोई मान नहीं है तो इसका लोप क्यों न कर दिया जाए? विधि आयोग का भी यही विचार है। अब प्रश्न यह है कि क्या एक ऐसे नागरिक को अनावश्यक मुकद्दमेबाजी से बचाया जा सकता है। जो सरकार के विरुद्ध सही दावा कर रहा है। संभव है कि सरकार धारा के उद्देश्य का अनुपालन न कर पाए। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी नागरिक द्वारा सरकार के विरुद्ध किए गए सही दावे का निपटान नागरिक द्वारा न्यायालय की शरण लिए बिना हो जाए। अतएव इस धारा को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि इससे साधारण, विशेषतया समाज के गरीब तथा कमजोर वर्ग को सरकार से राहत प्राप्त होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वह समिति के चेयरमैन रहे हैं। परन्तु प्रश्न यह है। मूल रूप से पुरःस्थापित किए गए विधेयक में धारा 80 नही थी। मान लीजिए धारा 80 हटा दी जाती है तो इसका क्या परिणाम निकलेगा। कोई प्रभावित कर्मचारी सरकार को अभ्यावेदन भेजता है। वह नोटिस देता है और जब उच्च न्यायालय में जाता है तो उससे कहा जाता है कि "आप उच्चतम अपीलीय प्राधिकरण के पास जाइए और वहां से एक 'कोई आपत्ति नहीं' प्रमाणपत्र लीजिए, तभी इसे स्वीकार किया जाएगा।" यह कठिनाई है।

श्री लीलाधर कटकी : इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि सम्बद्ध पक्ष मुकदमा दायर कर सकें। और निषेधाज्ञा के लिए कह सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के तथा किसी नागरिक के बीच सिविल विवाद में क्या नागरिक को सरकार के समकक्ष रखना उचित है? यदि किसी व्यक्ति को नोटिस दिया जाए तो वह तुरन्त मामले को समझ सकता है और उससे निपट सकता है। परन्तु सरकारी तन्त्र में अनेक लोग सम्बन्धित होते हैं और इसलिए व्यक्ति के मामले में नोटिस की जितनी अवधि की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक अवधि सरकार के लिए जरूरी है। इसलिए धारा 80 के बारे में निर्णय लेने से पूर्व सभा को इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उपबन्ध किया गया है कि राहत के जरूरी मामलों में बिना नोटिस के भी मुकदमा दायर हो सकता है। परन्तु मात्र मुकदमा कर देने से ही तो राहत नहीं मिल जाती क्योंकि ऐसी अर्जी पर सरकार को भी समुचित समय देना होगा। तब तत्काल राहत कैसे मिल सकती है?

श्री लीलाधर कटकी : मैंने तो सभा के विचार के लिए कुछ बातें रखी हैं। अन्ततः मंत्री महोदय को इन सब बातों पर विचार करना है।

जहां तक गरीबों को कानूनी सहायता देने का संबंध है, प्रक्रिया में इसकी व्यवस्था है, लेकिन पूरी तरह इस का पालन नहीं हो सकता। गरीबों को कानूनी सहायता देने वाले इस विधान को सरकार को संसद के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

अदालतों का कार्यभार कम करने के लिए वह सभी मुकद्दमें जो दीवानी किस्म के हें अथवा जो धन संबंधी हैं अथवा छोटे-मोटे झगड़ों के मामले हैं उन्हें छोटी अदालतों और पंचायतों के पास भेज दिया जाए। अधिकांश ऐसे मुकद्दमों का निपटारा कम खर्च में बिना विलम्ब के हो सकता है। विधेयक में इस बात की भी व्यवस्था नहीं है। जहां तक सुनवाई स्थगित कराने का प्रश्न है, इस बात को देखा जाए कि किस प्रकार यह प्रक्रिया आसान बनाई जा सकती है तथा अनावश्यक स्थगनों को रोका जा सकता है।

629. Sardar Swarn Singh Sokhi (Jamshedpur) : This C. P. C. Amendment Bill was brought before the House on the 8th April, 1974. It is unfortunate that it is two years now and nothing has happened. The intention of the Bill is to minimize delays including procedural delays in the dispensation of justice to make it both expeditious and cheap to the weaker sections of our society. The advocates, magisterates and the Judges are corrupt and have vested interest in delays. The judges never do justice to the public in government cases for year of compulsory retirement.

Our purpose cannot be achieved unless the attitude of our lawyers is changed. The fees of the lawyers should be fixed so that clients are not cheated.

I have come to know that certain retirement judges of High Courts practice in Supreme court. and charge 2 to 3 thousand rupees per day from their clients. They do not even give receipts for the fees and evade income-tax. The Government should keep a watch on these lawyer because they cheat the Government of its rightful taxes. With these words I support this Bill.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मुकद्दमेबाजी में होने वाले विलम्ब को दूर करना तथा मुकदमेबाजी को कम खर्चीला बनाकर गरीब मुकद्दमेबाजों की सहायता करना है।

सिविल प्रक्रिया संहिता 68 वर्ष पुरानी है। इन 68 वर्षों के दौरान इस कानून के विस्तृत और विशाल उपबन्धों ने कुछ वर्गों को ऐसा सोचने पर विवश कर दिया था कि इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ अन्य लोगों का कहना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता भिन्न परिस्थितियों और दशाओं के अन्तर्गत लागू की गई थी, अब हालात बदल गए हैं और अब यह संहिता बहुत पुरानी पड़ गयी है। या तो इसे समाप्त कर दिया जाए या इसमें पर्याप्त संशोधन किया जाए। इन दोनों पहलुओं पर विचार किया गया है तथा विधेयक में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिससे मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिले।

धारा 80 के बारे में परस्पर विरोधी विचार हैं। किन्तु इस धारा के कार्यकरण से पता चलता है कि इससे कुछ प्रयोजन तो अवश्य सिद्ध हुआ है। इसके अन्तर्गत नोटिस भेजने से कई मामलों में समझौता हो गया है। यहां यह प्रयास किया गया है कि इस धारा की उपयोगिता को स्वीकार करके उससे उत्पन्न कठोरता को हटा दिया जाये।

यह भी कहा गया है कि मुकदमेबाजी करने वालों को प्रसिद्ध वकील उपलब्ध नहीं होंगे और इसलिए वकील की अनुपस्थिति के कारण स्थगन आदेश न देने का उपबन्ध अनुचित है। स्थगनों की बात करते हुए हम बड़े-बड़े वकीलों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिन्हें कि प्रायः अमीर लोग ही मुकदमा लड़ने के लिए नियुक्त करते हैं। हम तो अधिकांश वादियों का ध्यान रख रहे हैं। चूंकि एक वकील कई कई मुकदमों को अपने हाथ में ले लेता है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों में स्थगन के बाद स्थगन का आदेश दे दिया जाता है जिससे समूची न्याय कार्यवाहियों की प्रक्रिया ठप्प हो जाती है। यह प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही इस उपबन्ध को विधेयक में जोड़ा गया है।

केवियट सम्बन्धी उपबन्ध तथा आवश्यक मामलों में नोटिस देने सम्बन्धी उपबन्ध की आलोचना की गई है। तर्क दिया गया है कि यदि आवश्यक मामले पर नोटिस दिया जाता है तो इससे की गई कार्यवाही का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। मकान गिराये जाने का एक उदाहरण सर्वत्र दिया जाता है। कानून सामान्य परिस्थितियों के लिए होगा, न कि किन्हीं विशेष मामलों के लिए। यदि कोई मामला बहुत आवश्यक हो तो नोटिस बहुत ही अल्पकाल के लिए दिया जायेगा। अन्ततोगत्वा यदि लाखों मामलों में कोई मकान गिराने का मामला होता है तो अन्ततः क्षति की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जा सकती है।

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खंडवार चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clause 2 to 12 were added to the Bill

खंड 13

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill.

खंड 14 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 14 to 19 were added to the Bill.

खंड 20

सभापति महोदय : श्री गोखले का सरकारी संशोधन संख्या 1 है। वही संशोधन डा० सैयद मुहम्मद का है और इसकी संख्या 35 है।

संशोधन किया गया :

Amendment Made

पृष्ठ 7, पंक्ति 13 तथा 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

Amendment of Section 47

20. In section 47 of the principal Act.

(i) Sub-section (2) shall be omitted.

(ii) For the Explanation, the following Explanations shall be substituted, namely :—"

(धारा 47 का संशोधन 20 मूल अधिनियम की धारा 47 में,—

(i) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किए जायेंगे;

अर्थात् :—")

(संशोधन संख्या 35)

(डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 20, as amended, was added to the Bill.

खंड 21 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clause 21 to 26 were added to the Bill.

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : मैं संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं संशोधन संख्या 5 तथा 6 प्रस्तुत करता हूं। धारा 80 के अन्तर्गत सरकार ने वादी को यह रियायत दी है कि यदि वह तत्काल राहत चाहता है तो न्यायालय की अनुमति से वह दो महीने की पूर्व-सूचना के प्रावधान का अनुपालन किए बिना मुकदमा दायर कर सकता है। लेकिन साथ ही यह संशोधन भी जोड़ दिया गया है कि जब तक राज्य या सरकारी अधिकारी को अवसर नहीं दिया जाता तब तक अन्तरिम राहत नहीं दी जा सकती। इस प्रकार ये दो बातें परस्पर विरोधी हैं। अतः इस प्रकार का प्रावधान जोड़ने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं। मैं इस संशोधन पर जोर डाल रहा हूं क्योंकि सामान्य चर्चा के दौरान मंत्री महोदय का उत्तर संतोषजनक नहीं था।

जब विधेयक पेश किया गया था तो इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता से धारा 80 को हटाने की व्यवस्था की गई थी। यही नहीं विधि आयोग ने भी इस धारा को हटाने की सिफारिश करते हुए कहा था कि जब धारा 80 का प्रावधान किया गया था तो उस समय देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। अब भारत स्वतन्त्र है और एक कल्याणकारी राष्ट्र है। अब ऐसे प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं। आश्चर्य की बात है कि सरकार निषेधाज्ञा के मामले में विशेष प्रक्रिया अपनाना चाहती है। मैं नहीं समझता कि सरकार का मत यह है कि उनके विरुद्ध जो भी निषेधाज्ञा जारी की जाएगी, वह आवश्यक रूप से बुरी ही होगी। जब निषेधाज्ञा का कोई संगत मामला न्यायाधीश के समक्ष आता है और वह संतुष्ट है कि इसमें निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार न्यायाधीश के लिए निषेधाज्ञा जारी करना असम्भव क्यों बनाया जा रहा है?

विधि आयोग ने 14वें तथा 27वें प्रतिवेदन में धारा 80 को हटाने की सिफारिश की है। संसद में पेश किए गए मूल विधेयक में भी इस धारा को हटाने का प्रस्ताव था। इससे पता चलता है कि सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। अतः अब सरकार अपना दृष्टिकोण क्यों बदलना चाहती है? इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। अतः जब तक सरकार यह नहीं समझती कि सभी मामलों में उसका कहना सही है और उसे नोटिस दिए बिना न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, तब तक यह प्रक्रिया क्रियान्वित नहीं की जा सकती और यही कारण है कि लोग अनुच्छेद संख्या 226 का सहारा ले रहे हैं। तब सरकार के पास कोई चारा नहीं रह जाता। यदि वादी को छोटे न्यायालय में न्याय मिल गया होता तो उसे उच्च न्यायालय में जाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए मैं अपने संशोधन पर जोर दे रहा हूं।

Shri R. R. Sharma : I have not asked for deleting section 80 as a whole. My submission is that it should be suitably amended by adding that the court would not grant relief in the suit, whether interim or otherwise, except after giving to the Government or public officer; as the case may be a reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief prayed for in the suit.

Government have already taken two safeguards. Firstly, that the plaintiff has to obtain leave of the court and secondly that the presiding officer in the Court would have to be satisfied that the matter requires immediate and urgent relief. In these circumstances, what is the justification for retaining the section. Therefore, this provision should be suitably amended.

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : धारा 80 को हटाने के बारे में कई तर्क तथा संशोधन पेश किए गए हैं। लेकिन हम इस धारा को प्रस्तावित संशोधन के रूप में बनाए रखना चाहते हैं और इसके चार कारण हैं।

मुकदमे के मामले में सरकारी तंत्र की स्थिति एवं व्यक्ति विशेष की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। दीवानी मुकदमे में कार्यवाही का कारण भारत के किसी भी कोने में हो सकता है। सम्बन्धित व्यक्ति को तो केवल मुकदमा ही दायर करना होता है लेकिन उस मुकदमे का सम्बन्ध कई सरकारी अधिकारियों के साथ हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ली गई निषेधाज्ञा और सरकार के विरुद्ध ली गई निषेधाज्ञा में काफी अन्तर होता है। ऐसी स्थिति में सरकार को व्यक्ति विशेष से अलग समझने का औचित्य है। इस मामले में सरकार को पूर्वसूचना दी जानी चाहिए।

पहले यह नियम था कि केवल तकनीकी कारणों से किसी व्यक्ति विशेष के न्यायोचित दावे स्वीकार नहीं किए जाते थे परन्तु, अब इस कमी को दूर कर दिया गया है। अब यह उपबन्ध किया गया है कि केवल तकनीकी बातों से नागरिक को न्याय दिलाने में विलम्ब नहीं होगा।

सरकारी तंत्र की स्थिति और व्यक्ति विशेष की स्थिति में अन्तर होता है। इसलिए सरकार के सम्बन्ध में विभिन्न ढंग से कार्यवाही करना उचित है और सरकार को पूर्वसूचना दी जानी ही चाहिए। कोई भी मामला अविलम्बनीय है अथवा नहीं, इसका निर्णय न्यायालय करेगा और यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामला अविलम्बनीय है तो वह शीघ्र कार्यवाही कर सकता है। इसी ढंग से ही कानूनों की रक्षा की जा सकती है। इसी उद्देश्य से यह उपबन्ध रखा गया है।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The Hon. Minister has told that we have adopted democratic socialism. But I would like to know whether sub-judges and judges of lower courts and High Courts and Chief justices of High Courts have also adopted democratic socialism? There should be provision for the welfare of poors.

श्री बी० आर० शुक्ल : दल की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं संशोधन संख्या 5 तथा 6 वापिस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सदन इस बात से सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 5 तथा 6 सभा की अनुमति से वापिस लिए गए।

The Amendments No. 5 and 6 were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 17 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 15 : **विपक्ष** में 139

Ayes 15 Noes 139

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 24 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधिन संख्या 24 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 24 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

"खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया"

Clause 27 was added to the Bill.

खंड 28

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 28 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 28 was added to the Bill.

खंड 29

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं संशोधन संख्या 18 और 19 प्रस्तुत करता हूं।

यह संशोधन एक प्रक्रिया सम्बन्धी मामले से सम्बन्धित है। मैं नहीं चाहता कि इस उपबन्ध को हटाया जाए। आन्तरिक राजनयिक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए इस उपबन्ध का होना आवश्यक है। मैं एक मामले के बारे में जानता हूं जिसमें एक दूसरे देश के पास पट्टे पर भूमि थी। वह भूमि उन्होंने कलकत्ता के मारवाड़ियों को दे दी और अब उस भूमि पर उनका कब्जा है। इससे छुटकारा पाने के लिए पट्टे की समाप्ति हेतु मुकदमा दायर करना आवश्यक है। अब सरकार को मुकदमा दायर करने के लिए अनुमति देनी होगी क्योंकि सरकार ने भूमि का कब्जा लेने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसे मामले में सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना चाहिए ताकि कहीं वह यह धारणा न बना ले कि उसके मामलों पर विचार नहीं किया गया। इसलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है।

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : कुछ मामलों में, जहां अन्य देश अन्तर्ग्रस्त हैं, वहां केन्द्रीय सरकार के लिए कारण बताना सम्भव नहीं है कि अनुमति क्यों दी गई है अथवा क्यों नहीं दी गई है। प्रत्येक मामले में कारण को अनिवार्य बनाने से उपबन्ध का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 18 और 19 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18 और 19 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

Amendments No. 18 and 19 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 29 was added to the Bill.

खंड 30

सभापति महोदय : अब मैं खंड 30 सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि खंड 30 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 30 was added to the Bill.

खंड 31 से 36 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 31 to 36 were added to the Bill.

श्री राम रतन शर्मा : मैं संशोधन संख्या 14 और 15 प्रस्तुत करता हूं।

Shri R. R. Sharma : Sir, May I know from the Hon. Minister if he has considered the proposal to allow appeal in the High Court in case fact findings of lower court and appellate Court are not concurrent ? It will be injustice not to allow it.

सभापति महोदय : मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे। अब हम संशोधन संख्या 14 और 15 लेंगे।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 और 15 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 14 and 15 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 37 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 37 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 37 was added to the Bill.

खंड 38

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 25 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 38 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 38 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 38 was added to the Bill.

खंड 39 से 42 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 39 to 42 were added to the Bill.

श्री राम रतन शर्मा : मैं संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 16 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 43 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 43 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 43 was added to the Bill.

खंड 44 से 46 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 44 to 46 were added to the Bill.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 26 was put and negatived.

खंड 47

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय संशोधन संख्या 26 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 26 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 47 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 47 को विधेयक में ज़ोड़ा गया।

Clause 47 was added to the Bill

खंड 48

श्री राम रतन शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 27 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 27 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 48 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 48 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 48 was added to the Bill

खंड 49 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 49 was added to the Bill

खंड 50

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 28 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 50 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 50 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 50 was added to the Bill

खंड 51-54 को विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 51—54 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 55 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 55 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 55 was added to the Bill.

खंड 56 से 59 को विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 56 to 59 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 60 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 60 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 60 was added to the Bill.

खंड 61 से 67 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 61 to 67 were added to the Bill.

खंड 68

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 29 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 68 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 68 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 68 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 69 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 69 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 69 was added to the Bill.

खंड 70 से 80 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 70—80 were added to the Bill.

खंड 81

संशोधन किये गये

संशोधन किया गया

31. Page 71,— *after* line 45, *insert*—

"Power of Government to provide for free legal services to indigent persons.

18(1) Subject to the provisions of this order, the Central or State Government may make such supplementary provisions as it thinks fit for providing free legal services to those who have been permitted to sue as indigent persons.

(2) The High Court may, with the previous approval of the State Government, make rules for carrying out the supplementary provisions made by the Central or State Government for providing free legal services to indigent persons referred to in sub-rule (1), and such rule may include the nature and extent of such legal services, the conditions under which they may be made available, the matters in respect of which, and the agencies through which, such services may be rendered."

पृष्ठ 71--

पंक्ति 45 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाए--**

निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

"18(1) इस आदेश के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उन व्यक्तियों के लिए, जिन्हें निर्धन व्यक्तियों के रूप में वाद करने की अनुज्ञा दी गई है मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए ऐसे अनुपूरक उपबन्ध बना सकेगी जो वह ठीक समझे।

(2) उच्च न्यायालय ऐसे अनुपूरक उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट निर्धन व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नियम बना सकेगा और ऐसे नियमों के अन्तर्गत ऐसी विधिक सेवाओं की प्रकृति तथा विस्तार, वे शर्तें, जिन के अधीन ऐसी सेवाएं उपलब्ध की जा सकेंगी, वे विषय होंगे जिन के बारे में और वे अभिकरण भी होंगे जिनके माध्यम से ऐसी सेवाएं की जाएंगी।" (31)

(डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद)

खंड 82 85 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 82-85 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 86 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 86 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 86 was added to the Bill.

खंड 87 से 96 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 87 to 96 were added to the Bill.

खंड 97

संशोधन किया गया

32, पृष्ठ--91,

पंक्ति 27 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये--

CLAUSE 97

Amendment Made :

Page 91, *after* line 27, *insert.*—

"(3) Save as otherwise provided in sub-section (2), the provisions of the principal Act, as amended by this Act, shall apply to every suit, proceeding, appeal or application, pending at the commencement of this Act or instituted or filed after such commencement, notwithstanding the fact that the right, or cause or action, in pursuance of which such suit, proceeding, appeal or application is instituted or filed, had been acquired or had accrued before such commencement."

(Dr. V. A. Seyid Muhammad)

"(3) उपधारा (2) में अन्यथा उपबंध होने पर, मूल अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, के उपबन्ध, इस अधिनियम के लागू होने के समय निलम्बित अथवा लागू होने के बाद दायर किये गये प्रत्येक मुकदमे, कार्यवाही, अपील या आवेदन पर लागू होंगे चाहे मुकदमा, कार्यवाही, अपील या आवेदन दायर करने का कारण इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व घटित हुआ हो।"

(संशोधन संख्या 32)
(डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 97, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 97 को संशोधित रूप में, विधेयक से जोड़ा गया।

Clause 97, as amended, was added to the Bill.

खंड 98

संशोधन किया गया

Amendments Made :

33. Page 91.—line 30, *for* "98" *Substitute* "98(1)".

34. Page 91,—*after* line 32, *insert*—

36 of 1963 "(2) Where the period specified in article 127 of the Schedule to the Limitation Act, 1963, had expired on or before the commencement of this Act, nothing contained in sub-section (1) shall be construed as enabling such application as is referred to in the said article, to be filed after the commencement for this Act by reason only of the fact that a longer period therefor is specified in the Act aforesaid by reason of the provisions of sub-section (1)."

33 पृष्ठ 91, पंक्ति 30 के स्थान पर "98(1)" प्रतिस्थापित किया जाये।

33. Page 91, line 30,—*for* "98" *substitute* "98(1)"

34 पृष्ठ 91—पंक्ति 32 के पश्चात् यह प्रतिस्थापित किया जाये—

1963 का 36 "(2) जहां परिसीमन अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 127 में निर्दिष्ट अवधि इस अधिनियम के लागू होने के समय या उससे पूर्व समाप्त हो गई हो, उपधारा (1) में निहित किसी भी बात से, केवल इस तथ्य को देखते हुए कि उपधारा (1) के उपबंधों के कारण उपर्युक्त अधिनियम में दीर्घकाल विनिर्दिष्ट किया गया है, उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित प्रकार के किसी आवेदन को इस अधिनियम के लागू होने के बाद दिया गया नहीं माना जायेगा।"

(संख्या 33 तथा 34)
(डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 98, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 98 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 98 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1, अधिनियमन सुत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, Enacting Formula and the title were added to the Bill.

डा० सैयद मुहम्मद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

Shri Ramavtar Shastri : Sir, the purpose of this Law will be achieved only when it is implemented effectively. The poor have to suffer a lot due to delay in the dispensation of justice. Justice delayed is justice denied. We must give them protection of law. It should be ensured that the rich and vested interests are not able to harass the poor. It is the responsibility of the Government to safeguard the interests of the poor.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी संविधिक संकल्प और आंतरिक सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION *RE*: DISAPPROVAL OF MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (SECOND AMENDMENT) BILL

श्री सोमनाथ चेटर्जी (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 जून 1976 को प्रख्यापित आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

25 जून, 1975 को आपात् स्थिति की घोषणा करने के पश्चात् सदन के प्रत्येक सत्र में अन्तर्सत्रावधि में आंसुका में और आगे संशोधन करने के लिए जारी किये गये अध्यादेश का स्थान लेने के लिए विधेयक लाया गया है। इन अध्यादेशों में आंसुका को कठोर, दमनकारी तथा अमानवीय बनाया गया है। आज आंसुका ही देश का एक मात्र कानून है, यद्यपि इस आरोप का खंडन किया गया है। आंसुका का उपयोग खुले रूप में राजनीतिक

विरोधियों, कार्मिक संघ नेताओं, मजदूरों, किसानों, छात्रों आदि के विरुद्ध किया जा रहा है। संसद् सदस्य भी इसकी मार से नहीं बचे हैं। देश के लोगों में तथाकथित अनुशासन और भय तथा आतंक पैदा करने के लिए अधिकारी लोग इसका उपयोग सामान्य शस्त्र के रूप में कर रहे हैं। इसके द्वारा यही एक उद्देश्य सरकार सिद्ध कर सकी है। आज कल लोग कुछ भी कहने, लिखने और कानाफूसी करने तक में घबराते हैं। उन्हें सभा आदि करने तक की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के कानून को लागू करके देश में इस प्रकार भय की भावना फैला दी गई है।

1971 में जब आंसुका को लागू किया गया था तो यह निस्सन्देह कुछ सीमा तक नजरबन्दी निवारक अधिनियम को सामने रख कर बनाया गया था और उसमें कुछ कठोर उपबन्ध किए गए थे। परन्तु कम से कम एक बात वे कर सकते थे। वे न्यायालय में जा सकते थे, यद्यपि बहुत ही सीमित मामलों में इसकी अनुमति थी। वे बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकते थे। इस नई आपात स्थिति के आने पर सब कुछ बदल गया। पहला परिवर्तन आंसुका में जो सरकार ने किया वह यह है कि यदि सरकार कहती है कि आपात् स्थिति के लिए अमुक व्यक्ति की नजरबन्दी आवश्यक है तो उन्हें उसका कारण प्रकट करना आवश्यक नहीं है। नजरबन्द व्यक्ति को नजरबन्दी का कारण ही नहीं बताया जाएगा। बल्कि उसे उसके विरुद्ध किसी भी निकाय को अभ्यावेदन भेजने का अवसर भी नहीं दिया जाता। उसका मामला परामर्शदाता बोर्ड को नहीं जाएगा। बड़े से बड़े निन्दनीय कैदी को भी यह पता होता है कि वह कब जेल से छूटेगा, परन्तु आंसुका के अन्तर्गत कैद व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह कब तक जेल में रहेगा।

8 अप्रैल, 1976 को सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि आपातस्थिति में की गई नजरबन्दी एक वर्ष तक की होगी। 12 मास के समाप्त होते ही सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया।

पुलिस अधिकारियों को अत्यंत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। देश में नागरिक स्वतन्त्रता सरकार के दान और संरक्षण पर आधारित है। हर बात के लिए आंसुका को लागू किया जाता है। पता नहीं आंसुका के अन्तर्गत कितने व्यक्ति कैद हैं। वे लोग बिना किसी सुनवाई के जेलों में सड़ रहे हैं तथा किसी भी सभ्य सरकार में उपलब्ध न्यायिक प्रणाली की एक अंश मात्र सुविधा भी उन्हें उपलब्ध नहीं है।

जहां तक अनुच्छेद 359(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना का संबंध है, इसे तो वापस नहीं लिया जा रहा है। यदि सरकार लोगों को आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द रखती है तो वह अभियुक्तों को अदालत में जाने की अनुमति क्यों नहीं देती है?

सरकार हमें यह बताये कि उसने 'आंसुका' की धारा 16क का कितने मामलों में प्रयोग किया हैं ? हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने कितने मामलों का पुनरावलोकन किया है और इस आधार पर कितने नजरबन्दियों को रिहा किया है।

सरकार ने यह मत प्रकट किया था कि धारा 16क के अन्तर्गत आपात् नजरबन्दी केवल सीमित अवधि के लिए ही है और इसे एक वर्ष से अधिक बनाये रखने का कोई विचार

नहीं है। क्या यह भी आश्वासन दिया गया है कि यह 36 महीने या 48 महीने तक लागू नहीं रखी जायेगी ?

कई सरकारी कर्मचारियों को आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। किसी को भी गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए। कई गिरफ्तारी-आदेशों पर केवल पुलिस सब-इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर होते हैं।

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए
Shri Bhagwat Jha Azad in the chair]

सरकार ने इन इंस्पेक्टरों को अंधाधुन्ध शक्तियां दे रखी हैं।

अब नागरिक स्वतन्त्रता सरकार के संरक्षण का विषय बन कर रह गया है। पुलिस अपना कार्य भली प्रकार नहीं निभा रही है। वह सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध लगाए आरोपों को न्यायालय में सिद्ध करने के कार्य से बचने के लिए उसे आंसुका में गिरफ्तार कर लेती है। जो मालदार व्यक्ति होता है, वह पैसे देकर छूट जाता है और जो पैसे नहीं दे पाता, वह जेल में डाल दिया जाता है। यह पता ही नहीं चल पाता कि कितने व्यक्ति आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार कहती है कि स्थिति सामान्य है और सब जगह शांति है। जब यह सच है तो जेल में पड़े लोगों को रिहा क्यों नहीं किया जाता। कई संसद् सदस्य एक साल से भी अधिक अवधि से जेलों में हैं। यह बड़े दुःख की बात है।

आपात स्थिति ने सरकार को तो लाभ पहुंचाया है परन्तु क्या देश को इससे कोई लाभ हुआ है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो भावी इतिहासकार ही करेंगे। लोग बिना मुकदमे के जेलों में सड़ रहे हैं। नागरिकों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा रहा। हम भली प्रकार जानते हैं कि आंसुका का प्रयोग राजनीतिक दलों के विरूद्ध किया जा रहा है।

जहां तक अनुच्छेद 359(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना का प्रश्न है, इसे वापिस नहीं लिया जा रहा। यदि सरकार व्यक्तियों को आंसुका के अन्तर्गत जेल में डाल सकती है तो नजरबन्द व्यक्ति को न्यायालय में जाने से क्यों रोकती है ? क्या सरकार न्यायालयों से डरती है; मैं यह तो नहीं कहता कि सरकार के सारे काम गलत होते हैं। यदि उसने 9 काम ठीक किए हैं, तो एक काम गलत भी हो सकता है। तब उस एक व्यक्ति के पास कोई समाधान नहीं रह जाता। वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी पेश नहीं कर सकता।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने मामलों का पुनरावलोकन किया गया और उसके बाद कितने व्यक्ति रिहा किये गए। तभी हमें पता चल सकता है कि सरकार कानूनों का सदुपयोग कर रही है। सरकार न तो जनता को विश्वास में ले रही है और न ही संसद् को। जिस व्यक्ति के विचार सरकार से भिन्न होते हैं उसे राष्ट्र-विरोधी संज्ञा दे दी जाती है। यदि वह राष्ट्र-विरोधी है तो न्यायालय में उसका दोष क्यों नहीं सिद्ध किया जाता। दुःख की बात है कि सम्बन्धित व्यक्ति को न्यायालय में सफाई पेश करने तक का अवसर नहीं दिया जाता। इस प्रकार लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

आंसुका की धारा 16क के अन्तर्गत व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी की अवधि 12 माह रखी गई थी परन्तु अब 15 माह हो गए हैं लेकिन व्यक्तियों को रिहा नहीं किया गया है। अब सरकार का क्या इरादा है? क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि गिरफ्तारी की अवधि अमुक तिथि के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी?

आंसुका का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए मैं सिद्धान्त रूप से इस विधेयक का विरोध करता हूं।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I support the motion moved by the Hon. Home Minister. The picture of last year shows that people of the country have become conscious of their responsibilities.

Before the promulgation of emergency smuggled goods were pouring into the country like anything. Our foreign exchange was going to be liquidated. Anti-social elements were bent on crippling our economic life. An atmosphere of violence was created. People began to feel that there is no administration and if there is any, it is unable to discharge its responsibility. It was not doing its duty to provide security to the people. Such allegations were levelled against the Government. An explosive atmosphere was created. The Anand Marga people hatched a conspiracy to liquidate top leaders particularly belonging to Congress Party in the country. Feelings of hatred were created among the youth. They were playing with the sentiments of our youngmen. What was the situation in social and political sphere ? There was indiscipline and chaos among the students . The opposition parties were behaving in a manner which brought shame to our democracy. They were instigating our people both inside and out-side the Parliament to agitate and demonstrate against the Government so that the administration could be paralysed.

Under these circumstances the Government had no alternative but to promulgate emergency and to put an end to the chaos and anarcy prevailing in the country. The emergency had a salutary effect on the health of the nation. It was the fear of emergency that enabled the Government to collect 1,500 crores under voluntary disclosure Scheme.

With the promulgation of MISA the activities of anti-social elements licke smugglers, foreign exchange racketeers, etc. have been very much curbed. The prices of essential commodities which were rising skyhigh have been stabilised. The MISA has shown the right way to the misguided youth. If our leadership is good and strong, naturally our country will progress.

We know that MISA has been misused at certain places. It is gratifying that the Home Minister has given a categorical assurance that the cases where MISA has been misused, will be looked into. It has never been the intention of the Government to penalise innocent people.

The people who do meditation on self would have realised that whatever Prime Minister Shrimati Indira Gandhi has done has done for the right even today she is prepared to join hands with the opposition parties. With these words I support this Bill.

श्री पी० जी० मावलंकर (ग्रहमदाबाद) : ग्रांसुका की यह ग्रवधि विस्तारण हमारी राजनीतिक स्थिति तथा राष्ट्रीय जीवन के लिए एक बहुत दु:खद बात है। एक ग्रोर तो सरकार कह रही है कि स्थिति सामान्य हो रही है ग्रौर दूसरी ग्रोर उसका कहना है कि चूंकि परिस्थितियां बहुत ग्रसमान्य हैं इसलिए देश में कठोर कानूनों की ग्रावश्यकता है। यह कैसा विरोधाभास है?

लोग ग्रांसुका से इस कारण नहीं डरते कि इसके ग्रन्तर्गत उन्हें जेल जाना पड़ता है ग्रपितु वह उस ग्रनिश्चितता से भयभीत हैं जो सब नजरबन्द लोगों के सिर पर मंडरा रही है। एक बन्दी व्यक्ति को उसकी नजरबन्दी के कारण बताया जाना चाहिए।

हमें बताया जाना चाहिए कि नजरबन्द लोगों का कसूर क्या है, ताकि हम उन्हें सुधार कर सही रास्ते पर ला सकें। लेकिन सरकार के यह कहने से कि यह समाजविरोधी ग्रौर प्रजातन्त्रविरोधी तत्व हैं, हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते।

कहा गया है कि महत्वपूर्ण कठोर कानून ग्रावश्यक हैं। महत्वपूर्ण कठोर कानूनों की ग्रावश्यकता बुराई को दबाने के लिए पड़ती है। इसका प्रयोग विमति के दमन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन कानूनों का उद्देश्य ग्रव्यवस्था ग्रौर हिंसा को रोकना है न कि सभ्य तथा ग्रहिंसात्मक ढंग से प्रकट किए गए विचारों का दमन करना है। यदि ग्रपील की ग्रनुमति, स्वाभाविक न्याय ग्रौर ग्रधिकार दिये बिना ग्रांसुका की ग्रवधि का विस्तारण किया जाता है तो यह बहुत बुरा होगा। किसी को लोकतन्त्र में विमति ग्रौर ग्रहिंसात्मक ढंग से ग्रभिव्यक्त किये गये विचारों के लिए दण्डित नहीं किया जाना चाहिए।

गृह मंत्री को 'ग्रांसुका' के दुरुपयोग के मामलों को बहुत सावधानीपूर्वक देखना चाहिए क्योंकि नौकरशाही के प्रभुत्व ग्रौर राजनीतिक प्रतिहिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सब तरह के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मात्र राजनीतिक प्रतिशोध के कारण विद्यार्थियों, ग्रध्यापकों ग्रौर राजनीतिक कार्यकर्ताग्रों को हिरासत में लिया जा रहा है। कुछ मामलों में तो प्रोफेसरों ग्रौर शोध कार्य करने वाले छात्रों को भी पकड़ा गया है उनका कसूर यह है कि उन्होंने कहा है कि ग्रापातस्थिति की घोषणा उचित नहीं है। हमें ग्रसामाजिक तत्वों ग्रौर ईमानदार राजनीतिक भिन्नमतावलम्बियों में भेद करना चाहिए।

'ग्रांसुका' वास्तव में ग्रातंक बन गया है। सब लोग इस से डरते हैं। लोग ग्रांसुका के कारण सरकार से भी डरते हैं। लेकिन सरकार भी सचाई से डरती है। हम महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी ग्राज इस ग्रधम स्तर तक पहुंच गए हैं कि एक दूसरे से डरने लग गए हैं ग्रौर महात्मा गांधी का यह सबक 'निडर रहो' ग्रब बहुत तेजी से लुप्त होता जा रहा है। मैं ग्रांसुका की ग्रवधि को एक वर्ष तक ग्रौर बढ़ाने का कड़ा विरोध करता हूं।

Shri Hari Singh (Khurja) : The extention of the period M.I.S.A. is most appropriate. Shri Mavalankar has said that MISA is a terror, but this is not so for the patriots. If the property of the nation is to be protected and the Freedoms of the people have to be safeguarded some sort of penalty is essential. The liberty under which the opposition used to endanger the lives and properties of the people should not be granted.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

62वां प्रतिवेदन

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 62वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 13 अगस्त, 1976/22 श्रावण 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 13th August, 1976/ Sravana 22, 1898 (Saka).

11—595 LSS/76—GIPF.